रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501] नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 2017/ ज्येष्ठ 29, 1939
No. 501] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 2017/ JYAISTHA 29, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क नियम, 2017)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

सं. 3/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 610(अ).—केंद्रीय सरकार, माल और सेवा-कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा-कर नियम, 2017 है।

(2) ये 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से माल और सेवा-कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) "धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(घ) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यक) में उसका है ;

(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमश: उनके हैं।

अध्याय 2

संयोजन नियम

3. संयुक्त उद्ग्रहण के लिए सूचना-(1) कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है और जो धारा 10 के अधीन कर के संदाय का विकल्प देता है, नियत दिन से पहले किन्तु उक्त दिन के पश्चात् या तीस दिन के अपश्चात् या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-01** में इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना फाइल करेगा :

परंतु जहां **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-01** में की सूचना नियत दिन के पश्चात् फाइल की जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन से कोई भी कर संगृहीत नहीं करेगा किन्तु उक्त दिन के पश्चात् की गई पूर्तियों के लिए पूर्ति का बिल जारी करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-01** के भाग ख में धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प दे सकेगा, जिसे उक्त धारा के अधीन कर संदाय करने की सूचना के रूप में समझा जाएगा।

(3) कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प देता है, उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले, जिसके लिए पूर्वोक्त धारा के अधीन कर संदाय के विकल्प का प्रयोग किया गया है या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02** में सूचना फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से साठ दिन की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-3** में विवरण देगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल करता है, स्टाक के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उस तारीख से पूर्ववर्ती दिन को, जिससे वह उक्त धारा के अधीन कर संदाय करने का विकल्प देता है, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त उसके द्वारा धारित माल की आवक पूर्ति भी है, उस तारीख से, जिससे संयुक्त उद्ग्रहण के विकल्प का प्रयोग किया जाता है या ऐसी और अवधि के भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-03** में देगा।

(5) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम (1) या उपनियम (3) के अधीन किसी भी सूचना को उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत कारबार के सभी अन्य स्थानों की बाबत सूचना समझा जाएगा।

4. संयुक्त उद्ग्रहण की प्रभावी तारीख- (1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प उस वित्तीय वर्ष के, जब नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन सूचना फाइल की गई है और वह नियत दिन जब उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल की गई है, आरंभ से प्रभावी होगा।

(2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन सूचना पर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा और धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए उसका विकल्प नियम 10 के उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन नियत तारीख से प्रभावी होगा।

5. संयुक्त उद्ग्रहण की शर्तें और निर्बंधन- (1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :--

(क) वह न तो आकस्मिक कराधेय व्यक्ति है और न ही अनिवासी कराधेय व्यक्ति है ;

(ख) जहां विकल्प का प्रयोग नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन किया गया है, वहां उसके द्वारा नियत दिन को स्टाक में धारित माल का अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान क्रय नहीं किया गया है या भारत से बाहर किसी स्थान से आयात नहीं किया गया है या राज्य के बाहर स्थित उसकी शाखा से या राज्य के बाहर उसके अभिकर्ता या प्रधान से प्राप्त नहीं किया गया है ;

(ग) उसके द्वारा स्टाक में धारित माल का किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से क्रय नहीं किया गया है और जहां क्रय किया गया है, वहां वह धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करता है ;

(घ) वह माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति पर धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करेगा ;

(ङ.) वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ङ.) के अधीन यथा अधिसूचित माल के विनिर्माण में नहीं लगा हुआ है ;

(च) वह, उसके द्वारा जारी पूर्ति के बिल के ऊपरी सिरे पर "संयुक्त कराधेय व्यक्ति, पूर्तियों पर संगृहीत कर के लिए पात्र नहीं" शब्दों का उल्लेख करेगा ; और

(छ) वह, उसके कारबार के मूल स्थान पर प्रमुख स्थान पर और कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या साइन बोर्ड पर "संयुक्त कराधेय व्यक्ति" शब्दों का उल्लेख करेगा।

(2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए हर वर्ष नई सूचना फाइल करना आवश्यक नहीं है और वह अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों के अध्यधीन उक्त धारा के अधीन कर का संदाय करता रह सकेगा ।

6. संयुक्त उद्ग्रहण की विधिमान्यता - (1) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प तब तक विधिमान्य रहेगा, जब तक वह उक्त धारा और इन नियमों के अधीन उल्लिखित सभी शर्तों की पूर्ति करता है ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उस दिन से जब वह धारा 10 या इस अध्याय के उपबंधों में उल्लिखित किसी शर्त की पूर्ति नहीं करता है, धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन कर संदाय करने का दायी होगा और उसके पश्चात् की गई प्रत्येक कराधेय पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेगा और वह ऐसी घटना के घटित होने के सात दिन के भीतर **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04** में स्कीम से प्रत्याहरण के लिए सूचना भी फाइल करेगा ।

(3) ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आशय संयुक्त स्कीम से प्रत्याहरण करने का है, ऐसे प्रत्याहरण की तारीख से पहले सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित **प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 04** में आवेदन फाइल करेगा ।

(4) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का पात्र नहीं था या उसने अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह **प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 05** में ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस, ऐसे नोटिस की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर यह हेतुक दर्शित करने के लिए जारी कर सकेगा कि धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प क्यों न इंकार कर दिया जाए ।

(5) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से उपनियम (4) के अधीन जारी हेतुक दर्शित करने वाले नोटिस के **प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 06** में उत्तर की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी ऐसे उत्तर की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, या तो विकल्प की तारीख से या ऐसे उल्लंघन से संबंधित घटना की तारीख से धारा 10 के अधीन या तो उत्तर को स्वीकार करते हुए या कर संदाय करने के विकल्प को इनकार करते हुए **प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 07** में आदेश जारी करेगा ।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने उपनियम (2) के अधीन सूचना दी है या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण का आवेदन फाइल किया है या ऐसा व्यक्ति, जिसकी बाबत उपनियम (5) के अधीन **प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 07** में विकल्प के प्रत्याहरण का आदेश पारित किया गया है सामान्य पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी आईटीसी- 01** में, यथास्थिति, उस तारीख से, जिससे विकल्प का प्रत्याहरण किया गया है या **प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 07** में पारित आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर एक विवरण इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकेगा, जिसमें उस तारीख को, जिसको विकल्प का प्रत्याहरण या उसको इनकार किया गया है, उसके द्वारा स्टाक में धारित इनपुटों के स्टाक और अर्द्ध तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के ब्यौरे होंगे ।

(7) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम (5) के अनुसार उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण या धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के विकल्प के इनकार किए जाने की सूचना या आवेदन को उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत कारबार के अन्य सभी स्थानों की बाबत सूचना समझा जाएगा ।

7. संयुक्त उद्ग्रहण के कर की दर - धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के प्रवर्ग धारा 10 के अधीन उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दर पर कर का संदाय करेगा :

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे विनिर्माताओं से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, भिन्न विनिर्माता	एक प्रतिशत
2	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियां करने वाले पूर्तिकार	ढाई प्रतिशत
3	धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	आधा प्रतिशत

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण

8. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन- (1) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कटौती के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति, धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा

(1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है), रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पहले या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-01** के **भाग क** में अपना स्थायी लेखा संख्यांक, मोबाइल नं0, ई-मेल पता, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र घोषित करेगा :

परंतु किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई इकाई या इकाइयां रखने वाला व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसकी अन्य इकाइयों से भिन्न किसी कारबार शीर्ष के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो कोई इनपुट सेवा वितरक है, ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा ।

(2) (क) स्थायी लेखा संख्यांक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस से सामान्य पोर्टल द्वारा आनलाइन विधिमान्य बनाया जाएगा ।

(ख) उपनियम (1) के अधीन घोषित मोबाइल नम्बर को उक्त मोबाइल नम्बर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ; और

(ग) उपनियम (1) के अधीन घोषित ई-मेल पते को उक्त ई-मेल पते पर भेजे गए एक पृथक् वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ।

(3) स्थायी लेखा संख्यांक, मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते के सफलतापूर्वक सत्यापन पर एक अस्थायी निर्देश संख्यांक सृजित किया जाएगा और उसे आवेदक को उक्त मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते पर संसूचित किया जाएगा ।

(4) आवेदक, उपनियम (3) के अधीन सृजित निर्देश संख्यांक का उपयोग करके इलैक्ट्रानिक रूप से, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-01** के **भाग ख** में, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन, उक्त प्रारूप में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा ।

(5) उपनियम (4) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को **प्ररूप जीएसटी आरईजी-02** में, इलैक्ट्रानिक रूप से, अभिस्वीकृति जारी की जाएगी ।

(6) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्य पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्यांक दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के पश्चात् ही उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति इलैक्ट्रानिक रूप से जारी की जाएगी ।

9. आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन—(1) आवेदन समुचित अधिकारी को भेजा जाएगा, जो आवेदन और संलग्न दस्तावेजों की परीक्षा करेगा और यदि वे ठीक क्रम में पाए जाते हैं तो आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया जाएगा ।

(2) जहां नियम 8 के अधीन दिए गए आवेदन में या तो उक्त नियम के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना या किसी दस्तावेज के रूप में कमी पाई जाती है या जहां समुचित अधिकारी उसके साथ दिए गए आवेदन या दस्तावेजों में दी गई किसी सूचना की बाबत किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है, वहां वह आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी- 03** में, इलैक्ट्रानिक रूप से नोटिस जारी कर सकेगा और आवेदक, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-04** में, इलैक्ट्रानिक रूप से, ऐसा स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेज देगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "स्पष्टीकरण" पद के अंतर्गत **प्ररूप जीएसटी आरईजी- 01** के **भाग क** में घोषित स्थायी लेखा संख्यांक, राज्य मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते से भिन्न रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में घोषित विशिष्टियों में उपांतरण या सुधार भी है ।

(3) जहां समुचित अधिकारी का आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से समाधान हो जाता है, वहां वह ऐसे स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर सकेगा ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में आवेदक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है या जहां समुचित अधिकारी दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है, वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे आवेदन को नामंजूर कर देगा और आवेदक को **प्ररूप जीएसटी आरईजी-05** में इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा ।

(5) यदि समुचित अधिकारी,--

(क) आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर ; या

(ख) उपनियम (2) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर,

कोई कार्रवाई करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा ।

10. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाना-(1) धारा 25 की उपधारा (12) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए आवेदन का नियम 9 के अधीन अनुमोदन कर दिया गया है, वहां आवेदक को कारबार के मुख्य स्थान और कारबार का (के) अतिरिक्त स्थान या स्थानों को दर्शित करते हुए **प्ररूप जीएसटी आरईजी-06** में सामान्य पोर्टल पर एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाया जाएगा तथा माल और सेवा कर पहचान संख्यांक निम्नलिखित वर्णों के अध्यधीन समनुदेशित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) राज्य कोड के लिए दो वर्ण ;

(ख) स्थायी लेखा संख्यांक या कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक के लिए दो वर्ण ;

(ग) अस्तित्व कोड के लिए दो वर्ण ; और

(घ) एक चैकसम वर्ण ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसी तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाता है ।

(3) जहां आवेदक द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन, उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभावी तारीख, नियम 9 के उपनियम (1) या उपनियम (3) या उपनियम (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख होगी ।

(4) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक प्रमाणपत्र समुचित अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा ।

(5) जहां रजिस्ट्रीकरण नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन प्रदान किया गया है, वहां आवेदक को, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक संसूचित किया जाएगा और उपनियम (1) के अधीन इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसे नियम 9 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन दिन की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा ।

11. किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर बहु कारबार शीर्षों के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण— (1) किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर बहु कारबार शीर्ष रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन उसके कारबार शीर्ष में से किसी कारबार के लिए एक पृथक् रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, प्रत्येक शीर्ष के संबंध में पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) ऐसे व्यक्ति के पास धारा 2 के खंड (18) में यथा-परिभाषित एक से अधिक कारबार शीर्ष हैं ;

(ख) किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार शीर्ष को धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि उसी व्यक्ति के अन्य कारबार शीर्षों में कोई एक धारा 9 के अधीन कर का संदाय कर रहा है ।

(ग) ऐसे व्यक्ति के पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकृत सभी कारबार शीर्ष, ऐसे व्यक्ति के दूसरे रजिस्ट्रीकृत कारबार शीर्ष को की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अधिनियम के अधीन कर का संदाय करेंगे और ऐसी पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेंगे ।

स्पष्टीकरण- खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कोई भी कारबार शीर्ष, जिसे पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उक्त व्यक्ति के अन्य सभी कारबार शीर्ष उक्त धारा के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाएंगे ।

(2) कारबार शीर्षों के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का पात्र कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्येक शीर्ष के संबंध में **प्ररूप जीएसटी आरइजी-01** में पृथक् आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे ।

12. स्रोत पर कर की कटौती के लिए या स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना – (1) धारा 51 के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या धारा 52 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन **प्ररूप जीएसटी आरइजी-07** में प्रस्तुत करेगा ।

(2) समुचित अधिकारी सम्यक् सत्यापन के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा और आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरइजी-06** में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।

(3) जहां जांच किए जाने पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के अनुसरण में समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति, जिसे **प्ररूप जीएसटी आरइजी-06** में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने का दायी नहीं रहा है तो उक्त अधिकारी उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा और ऐसे रद्दकरण को उक्त व्यक्ति को इलेक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी आरइजी-08** में संसूचित किया जाएगा :

परंतु समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए नियम 22 में यथा उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

13. अनिवासी कराधेय व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना –(1) कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति, अपने विधिमान्य पासपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी आरइजी-09** में कारबार के प्रारंभ से कम से कम पांच दिन पहले प्रस्तुत करेगा :

परंतु भारत से बाहर निगमित या स्थापित किसी कारबार अस्तित्व की दशा में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसके कर पहचान संख्यांक या विशिष्ट संख्यांक, जिसके आधार पर अस्तित्व की उस देश की सरकार द्वारा पहचान की जाती है या यदि उपलब्ध हैं तो उसके स्थायी लेखा संख्यांक सहित प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्य पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्यांक दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के पश्चात् ही नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति उसके इलेक्ट्रानिक नकद खाते में इलैक्ट्रानिक रूप से जारी की जाएगी।

(3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे ।

(4) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन, उसके ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो विधिमान्य स्थायी लेखा संख्यांक रखने वाला भारत में निवासी कोई व्यक्ति होगा ।

14. भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना-(1) भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन सामूहिक या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आरइजी- 10** में प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदक को, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन और ऐसे अधिकारी द्वारा, जो परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, **प्ररूप जीएसटी आरइजी- 06** में प्रदान किया जाएगा ।

15. आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रचालन की अवधि का विस्तार.-(1) जहां रजिस्ट्रीकृत आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के उसके आवेदन में उपदर्शित रजिस्ट्रीकरण की अवधि का विस्तार चाहता है, एक आवेदन **जीएसटी -11** प्ररूप में साधारण पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति द्वारा उसको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन केवल धारा 27 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय पर अभिस्वीकृत किया जाएगा ।

16. अपने आप से रजिस्ट्रीकरण.-(1) जहां, किसी सर्वेक्षण, जांच, निरीक्षण, तलाशी या इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियों के अनुसरण में, उचित अधिकारी यह पाता है कि अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में विफल हो गया है, ऐसा अधिकारी, उक्त व्यक्ति को अस्थायी आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और **जीएसटी आरईजी -12** में एक आदेश जारी कर सकेगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) के अधीन अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, नियम 8 या नियम 12 में उपबंधित प्ररूप और रीति में रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा:

परन्तु जहां उक्त व्यक्ति अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के विरुद्ध अपील दाखिल करने में विफल हो जाता है, ऐसे मामले में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए दायित्व उठाने वाले आदेश के जारी करने की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तन सहित, उप-नियम (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को लागू होंगे ।

(5) उप-नियम (4) के अधीन सत्यापन के अनुसरण में समनुदेशित माल और सेवा कर पहचान संख्या, उप-नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगी ।

17. कतिपय विशिष्ट सत्ताओं को विशिष्ट पहचान संख्या का समनुदेशन.-(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 25 की उप-धारा (9) के उपबंधों के अनुसरण में विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया जाना अपेक्षित है **जीएसटी आरईजी -13** प्ररूप में इलैक्ट्रानिक रूप में, सामान्य पोर्टल पर, या तो सीधे या बोर्ड या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केंद्र के माध्यम से, नियम 8 में विनिर्दिष्ट रीति में, सम्यक रूप से हस्ताक्षित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) उचित अधिकारी, **जीएसटी आरईजी-13** प्ररूप में एक आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर या उक्त प्ररूप भरे जाने के पश्चात् उक्त व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करेगा और आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर **जीएसटी आरईजी -06** में प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

18. नाम पटल पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और माल तथा सेवा कर पहचान संख्या को प्रदर्शित करना.-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसके कारबार के मुख्य स्थान पर और ऐसे प्रत्येक कारबार के अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर, प्रमुख अवस्थिति पर उपदर्शित करेगा ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके कारबार के प्रमुख स्थान और कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर, प्रवेश स्थान पर प्रदर्शित नाम पटल पर माल और सेवा-कर पहचान संख्या प्रदर्शित करेगा ।

19. रजिस्ट्रीकरण में संशोधन.- (1) रजिस्ट्रेशन के लिए **प्ररूप जीएसटी आरईजी- 01** या **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 07** या **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 09** या **प्ररूप जीएसटी आरईजी -10** या **प्ररूप जीएसटी आरईजी -13** विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन में दी गई विशिष्टियों में रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करते समय या समय-समय पर यथा-संशोधित कोई परिवर्तन है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन से पंद्रह दिवस के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में इलैक्ट्रोनिक रूप से, ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ, इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित, आवेदन या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगाः

परन्तु यदि-(क) परिवर्तन निम्न से संबंधित है -

(i) कारबार का विधिक नाम;

(ii) कारबार के प्रमुख स्थान या कारबार के किसी अन्य अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का पता; या

(iii) भागीदारी या निदेशकों, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यास बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य के जोड़ने, हटाने या सेवानिवृत्ति पर, कारबार के दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए उत्तरदायी है ,-

धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का वारंट रद्दकरण नहीं होता उचित अधिकारी सम्यक् सत्यापन के पश्चात् **प्ररूप जीएसटी आरईजी -14** में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर संशोधन को अनुमोदित करेगा और इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी आरईजी -15** में एक आदेश जारी करेगा और ऐसा वारंटिग संशोधन की घटना घटने की तारीख से प्रभावी होगा;

(ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में खंड (क) के उप-खंड (i) और उप-खंड (ii) से संबंधित परिवर्तन समान स्थायी खाता संख्या पर इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्राप्त सभी रजिस्ट्रीकरणों पर लागू होगा;

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न किन्हीं विशिष्टियों से संबंधित परिवर्तन होता है, तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में आवेदन प्रस्तुत करने पर संशोधित होगा;

(घ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्थायी खाता संख्या में परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी कारबार के गठन में कोई परिवर्तन होने पर उक्त व्यक्ति नये रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी -01 में आवेदन करेगा:

परन्तु यह और कि इस नियम समय-समय पर यथासंशोधित के अधीन प्रस्तुत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में कोई परिवर्तन, उक्त नियम के अधीन उपबंधित रीति से सामान्य पोर्टल के माध्यम से आनलाईन सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।

(2) जहां उचित अधिकारी की राय है कि उप-नियम (1) में चाहा गया संशोधन या तो वारंटेड नहीं है या उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण या गलत है, तो वह **प्ररूप जीएसटी आरईजी -14** में आवेदन प्राप्त करने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर, **प्ररूप जीएसटी आरईजी -03** में सूचना तामील कर सकेगा, उक्त सूचना की तामील के सात कार्य दिवसों के भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करते हुए, कि क्यों न उप-नियम (1) में प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाए ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-नियम (2) के अधीन कारण बताओं सूचना का प्रत्युतर उक्त सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 04** में प्रस्तुत करेगा ।

(4) जहां उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युतर संतोषप्रद नहीं है या उप-नियम (2) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युतर में, उप-नियम (3) में विहित अवधि के भीतर कोई प्रत्युतर नहीं दिया जाता, तो उचित अधिकारी उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और **प्ररूप जीएसटी आरईजी – 05** में आदेश पारित कर सकेगा ।

(5) यदि उचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने में विफल रहता है –

(क) आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, या

(ख) उप-नियम (3) के अधीन कारण बताओं सूचना के प्रत्युतर प्राप्त होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर

तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र किए गए आवेदन के विस्तार तक संशोधित रहेगा और संशोधित प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

20. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन – एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से भिन्न जिसे नियम 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है या वह व्यक्ति जिसे नियम 17 के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है, धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहता है **प्ररूप जीएसटी आरईजी – 16** में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस तारीख जिसकी रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, को स्टाक में धारित इनपुट ब्यौरे या स्टाक में धारित अर्द्ध तैयार या तैयार माल में अन्तर्विष्ट निवेश और स्टाक में धारित पूंजी माल, उस पर दायित्व ऐसे दायित्व के विरुद्ध किए गए संदाय के ब्यौरे यदि कोई हो, वारंट रद्दकरण की घटना घटित होने के तीस दिवसों की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर सुसंगत दस्तावेजों से समर्थित आवेदन के साथ या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कोई आवेदन, कराधेय व्यक्ति की दशा में, जो रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पहले रजिस्ट्रीकृत किया गया है स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना - किसी व्यक्ति को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण का रद्द किए जाने के लिए दायी होगा, यदि उक्त व्यक्ति-

(क) कारबार के घोषित स्थान से किसी कारबार का संचालन नहीं करता; या

(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में माल या सेवाओं की पूर्ति के बिना बीजक या रसीद जारी करता है।

22. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना – 1) जहां उचित अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, वह ऐसे व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी आरईजी -17** में ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कारण बताओं की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाए ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं सूचना का प्रत्युत्तर उक्त-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 18** में प्रस्तुत करेगा ।

(3) जहां व्यक्ति जिसने उसके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं है या उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने केलिए दायी है, उचित अधिकारी, नियम 20 के उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन की तारीख या जैसा की मामला हो, उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं के प्रत्युत्तर की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी -19** में आदेश जारी करेगा, रजिस्ट्रीकरण उसके द्वारा अवधारित और कराधेय व्यक्ति को अधिसूचित तारीख से,किसी कर, ब्याज या शास्ती जिसके अन्तर्गत धारा 29 की उप-धारा (5) के अधीन संदेय के लिए दायी रकम भी है के बकाया अदा करने का निदेश करते हुए रद्द करेगा ।

(4) जहां उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषप्रद पाया जाता है, उचित अधिकारी कार्यवाहियों को समाप्त करेगा और **प्ररूप जीएसटी आरईजी -20** में एक आदेश पारित करेगा ।

(5) उप-नियम (3) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, मृत स्वत्वधारी, यदि आवेदन स्वयं स्वत्वधारी द्वारा प्रस्तुत की गई है, को लागु होंगे ।

23. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण- (1) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर उचित अधिकारी द्वारा रद्द किया जाता है, **प्ररूप जीएसटी आरईजी – 21** में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन, ऐसे उचित अधिकारी को, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा यदि रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के कारण रद्द किया गया है जब तक कि ऐसी विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती और कर के बकाया के रूप में कोई रकम, ऐसी विवरणी की निबंधनों में ब्याज, शास्ति और उक्त विवरणी के संबंध में देय विलंब फीस के लिए देय रकम के साथ संदत्त नहीं की जाती।

(2) (क) जहां उचित अधिकारी का समाधान हो जाता है, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए, कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए पर्याप्त आधार है वह आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 22** में एक आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहरित कर सकेगा ।

(ख) उचित अधिकारी, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, उन परिस्थितियों से भिन्न जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट है, **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 05** के आदेश द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और उसकी संसूचना आवेदक को देगा।

(3) उचित अधिकारी, उप-नियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आदेश के पारित करने से पहले, आवेदक से यह अपेक्षा करते हुए कारण बताओं कि क्यों न उप-नियम (1) के अधीन प्रतिसंहरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए **प्ररूप जीएसटी आरईजी** - 23 में सूचना जारी करेगा और आवेदक **प्ररूप जीएसटी आरईजी** - 24 में सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा ।

(4) **प्ररूप जीएसटी आरईजी** - 24 में सूचना या स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर उचित अधिकारी, आवेदक से ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में आवेदन का निपटान करेगा ।

24. विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रव्रजन-(1) (क) प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर कटाने वाले व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत से भिन्न और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखने वाले, उनके ई-मेल पते और मोबाइल संख्या के विधिमान्यकरण द्वारा सामान्य पोर्टल पर सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केंद्र के माध्यम से नामांकित किए जाएंगे।

(ख) खंड (क) के अधीन नामांकित किए जाने पर, उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर और **प्ररूप जीएसटी आरईजी** - 25 में उसमें माल और सेवा कर पहचान संख्या को सम्मिलित करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा जो सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

परन्तु कराधेय व्यक्ति जिसे एकल स्थायी खाता संख्या के आधार पर विद्यमान विधियों के अधीन बहु रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है को इस अधिनियम के अधीन केवल एक अंनतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

परन्तु यह और कि व्यक्ति जो वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय-5 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रीकरण रखते हैं, उसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जहां वह विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, केवल एक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा ।

(2) (क) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है इलैक्ट्रानिक रूप से, उक्त आवेदन में, आवेदन विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों के साथ, इलैक्ट्रानिक सत्यापित कोड के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 26** में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा।

(ख) खंड (क) में चाही गई सूचना तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो इस आधार पर आयुक्त द्वारा बढ़ायी गई है, के भीतर प्रस्तुत करनी होगी

(ग) यदि आवेदन में प्रस्तुत सूचना और विशिष्टियां समुचित अधिकारी द्वारा सही और पूर्ण पायी जाती है, **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 06** में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलैक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) जहां उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां या सूचना यदि प्रस्तुत नहीं की गई है या सही अथवा पूर्ण नहीं पायी जाती, उचित अधिकारी, **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 27** में कारण बताओं की तामील करने के पश्चात् और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, उप-नियम (1) के अधीन प्रदत्त अंनतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा और **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 28** में एक आदेश जारी करेगा:

परन्तु **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 27** में जारी कारण बताओं सूचना **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 20** में आदेश जारी करके वापस ले सकेगा यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं है जिसके लिए सूचना जारी की गई थी ।

(4) किन्हीं विद्यमान विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं है, वह विमुक्त किए जाने के तीस दिवस की अवधि के भीतर, उसके विकल्प पर उसको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 29** में इलैक्ट्रानिक रूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और उचित अधिकारी, ऐसी जांच संचालित करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, उक्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा ।

25. कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन.-जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, वह ऐसा सत्यापन कर सकेगा और सत्यापन रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों जिसके अन्तर्गत फोटो भी है, के साथ **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 30** में सामान्य पोर्टल पर ऐसे सत्यापन की तारीख से अगले पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर अपलोड की जाएगी।

26. अधिप्रमाणन का ढंग -(1) सभी आवेदन, जिसके अन्तर्गत प्रत्युत्तर भी है यदि कोई हो, सूचना, विवरणी जिसके अन्तर्गत जावक और आवक पूर्ति के ब्यौरे भी हैं या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन या इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित हस्ताक्षर या सत्यापन की किसी अन्य रीति के माध्यम से सत्यापित यथा विनिर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रमाणपत्र या ई-हस्ताक्षर के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा:

परन्तु यह और कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से सत्यापित दस्तावेज या आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) प्रत्येक दस्तावेज जिसके अन्तर्गत आन लाईन प्रस्तुत विवरणी भी है, इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से हस्ताक्षरित या सत्यापित की जाएगी .-

(क) व्यष्ठि की दशा में, व्यष्ठि स्वयं या जहां वह भारत से अनुपस्थित है उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से, और जहां व्यष्ठि उसके कार्यों को करने के लिए मानसिक रूप से अशक्त है, उसके, संरक्षक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ख) हिन्दु अविभक्त कुटुंब की दशा में, कर्ता और जहां कर्ता भारत से अनुपस्थित है या उसके कार्य करने के लिए मानसिक रूप से अशक्त है, कुटुंब के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा या ऐसे कर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(ग) कम्पनी की दशा में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा

(घ) सरकार या किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा;

(ङ) फर्म की दशा में, उसके भागीदारी द्वारा जो अवयस्क न हो या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(च) संगम की दशा में, संगम के किसी सदस्य द्वारा या व्यक्तियों या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(छ) न्यास की दशा में, न्यासी द्वारा या किसी न्यासी या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा या;

(ज) अन्य व्यक्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम हो, या धारा 48 के उपबंधों के अनुसरण में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा।

(3) इस अध्याय में विनिर्दिष्ट सभी सूचनाएं, प्रमाणपत्र और आदेश उचित अधिकारी द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से ऐसी सूचनाएं या प्रमाणपत्र या आदेशों को जारी करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किया जाएगा ।

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -01

[नियम 3(1) देखें]

धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए प्रज्ञापना (संविरचना उदग्रहण)

(केवल नियत तारीख को विद्यमान प्रव्रजन विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन/अंनितम पहचान	
2. विधिक नाम	
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो	

4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता		
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < निम्नलिखित में से चयन करें>		
(i) सरकार द्वारा यथाअधिसूचित ऐसे माल के विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	☐	
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता	☐	
(iii) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता	☐	
6. वित्तीय वर्ष जिससे संरचना स्कीम के विकल्प का लिया गया है		2017-18
7. अधिकारिता	केन्द्र	राज्य

8. घोषणा –

मैं घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बधनों का पालन किया गया है ।

9. सत्यापन

मैं ____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विशवास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

स्थान

तारीख पदनाम/प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -02

[नियम 3(2) देखें]

धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए प्रज्ञापना (संविरचना उदग्रहण)

(अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता	
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < निम्नलिखित में से चयन करें>	
(i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	☐
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता	☐
(iii) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता	☐

6. वित्तीय वर्ष जिससे संरचना स्कीम के विकल्प का लिया गया है		
7. अधिकारिता	केन्द्र	राज्य
8. घोषणा – मैं घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बधनों का पालन किया गया है ।		
9. सत्यापन मैं _________________________ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विशवास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है । प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नाम स्थान तारीख पदनाम/प्रास्थिति		

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -03

[नियम 3(4) देखें]

संविरचना उदग्रहण के विकल्प की तारीख को स्टॉक के ब्यौरों की प्रज्ञापना

(केवल नियत तारीख को विद्यमान प्रव्रजन विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन			
2. विधिक नाम			
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो			
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता			
5. धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए फाइल किए गए आवेदन के ब्यौरे	(i) आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)		
	(ii) फाइल करने की तारीख		
6. अधिकारिता	केन्द्र	राज्य	

7. विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से किए गए क्रय का स्टॉक

क्रम सं.	जीएसटीआईएन/टीआईएन	प्रदायर्ता का नाम	बिल/बीजक सं.	तारीख	स्टॉक का मूल्य	मूल्य वर्धित कर (वैट)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	सेवा-कर (यदि लागू हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

2									
कुल योग									

8. विद्यमान विधि के अधीन अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से किए गए क्रय का स्टॉक

क्रम सं.	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम	पता	बिल/ बीजक सं.	तारीख	स्टॉक का मूल्य	मूल्य वर्धित कर (वैट)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	सेवा-कर (यदि लागू हो)	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
कुल योग									

9. संदत्त कर के ब्यौरा	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर
	रकम		
	विकलन प्रविष्टि सं.		

10. सत्यापन

मैं ____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विशवास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

स्थान

तारीख

पदनाम/प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -04

[नियम 6(2) देखें]

संविरचना उदग्रहण से प्रत्याह्न के लिए प्रज्ञापना/आवेदन

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	

3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो			
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता			
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग			
(iv) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	☐		
(v) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता	☐		
(vi) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता	☐		
6. कारबार की प्रकृति			
7. तारीख जिससे संविरचना स्कीम से प्रत्याहृण की ईप्सा की गई है	दिन	मास	वर्ष
8. अधिकारिता	केन्द्र	राज्य	
9. संविरचना स्कीम से प्रत्याहृण के कारण			

10. सत्यापन

मैं ____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विशवास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

स्थान

तारीख

पदनाम/प्रास्थिति

टिप्पण: उस तारीख से, जिससे **प्ररूप जीएसटी आइटीसी-01** में संविरचना विकल्प का प्रत्याह्ण किया गया है, पूर्ववर्ती तारीख को उपलब्ध स्टॉक पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पृथक रूप से स्टॉक विवरण दिया जा सकेगा ।

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -05

[नियम 6(4) देखें)]

संदर्भ सं. << … >> << तारीख >>

सेवा में

जीएसटीआईएन

नाम

पता

धारा 10 के अधीन कर संदाय के विकल्प की प्रत्याख्यान के लिए

मेरी जानकारी में आई ऐसी सूचना के आधार पर यह प्रतीत होता है कि आप ने धारा 10 के अधीन संरचना स्कीम के उपभोग के लिए आवश्यक शर्तों और निर्बधनों का उल्लघंन किया है । अत: मैं आपको निम्नलिखित कारणों से उक्त धारा के अधीन संदाय के विकल्प प्रत्याख्यान करता हूं । : -

1

2

3

….

? आपको इस सूचना की तामील की तारीख से पंद्रह कार्यदिवसों के भीतर इस सूचना का उत्तर देने का निदेश दिया जाता है ।

? आपको दिन/मास/वर्ष को ......बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर होने का निदेश दिया जाता है ।

यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए हाजिर होने में असफल रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेख और गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा ।

हस्ताक्षर

उचित अधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता

स्थान

तारीख

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -06

[नियम 6(5 देखें)]

कारण बताओं सूचना का उत्तर

1.	जीएसटीआईएन	
2.	कारण बताओं सूचना के ब्यौरे	संदर्भ सं.
		तारीख
3.	विधिक नाम	
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
5.	कारबार के प्रमुख स्थान का पता	
6.	सूचना का उत्तर	

7.	अपलोड किए गए दस्तावेजो की सूची	
8.	सत्यापन	मैं ________________________________ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विशवास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है । प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर तारीख स्थान

टिप्पण –

1. उत्तर 500 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए यदि वह 500 शब्दों से अधिक है तो उसे पृथक रूप से अपलोड किया जाए ।

2. समर्थनकारी दस्तावेजों, यदि कोई हों, दस्तावेजों को पीडीएफ फार्मेट में अपलोड किया जाए ।

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -07

[नियम 6(6) देखें)]

संदर्भ सं. << … >> << तारीख >>

सेवा में

जीएसटीआईएन

नाम

पता

आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन) तारीख –

कारण बताओ सूचना के उत्तर को स्वीकार करने/नामंजूर करने के लिए आदेश

यह संदर्भ संख्या...............तारीख.................. द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किए गए आपके तारीख............... के उत्तर के संदर्भ में है । आपके उत्तर की परीक्षा की गई और उसे समाधानप्रद रूप में पाया गया है और अत:, संविरचना स्कीम के अधीन कर संदाय के विकल्प को जारी रखा जाएगा । उक्त कारण बताओ सूचना रद्द की जाती है ।

या

यह संदर्भ संख्या..............तारीख................. द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किए गए आपके तारीख............... के उत्तर के संदर्भ में है । आपके उत्तर की परीक्षा की गई और उसे समाधानप्रद रूप में नहीं पाया गया है और अत:, संविरचना स्कीम के अधीन कर संदाय के विकल्प का निम्नलिखित कारणों से << >> से प्रत्याख्यान किया जाता है ।

<< पाठ >>

या

☐ आपने कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर फाइल नहीं किया है; या

☐ आप सुनवाई के लिए नियत तारीख हाजिर नहीं हुए हैं ।

अत: निम्नलिखित कारणों से << तारीख >> से संविरचना स्कीम के अधीन आपके कर संदाय के विकल्प का प्रत्याख्यान किया जाता है :

<< पाठ >>

हस्ताक्षर

तारीख

नाम

स्थान

उचित अधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी -01

[नियम 8(1) देखें)]

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या विपर्यन सेवाओं का प्रदाय करने वाला कोई व्यक्ति)

भाग – क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र – ▽ **जिला -** ▽

(i)	कारबार का विधिक नाम: *(यथाउल्लिखित स्थायी लेखा संख्या)*	
(ii)	स्थायी लेखा संख्यांक : *(*कारबार का स्थायी लेखा संख्यांक; भागीदारी समुत्थान की दशा में व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक प्रविष्ट करें*)*	
(iii)	ई-मेल पता :	
(iv)	मोबाइल संख्या :	

टिप्पण – भाग-ख को भरने हेतु कार्रवाई से पूर्व ऊपर दी गई सूचना ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन होगी । आवेदन फाइल करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अपना मोबाइल सं. और ई-मेल पता देना होगा ।			
भाग-ख			
1.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो		
2.	कारबार का गठन (समुचित का चयन करें)		
(i) स्वत्वधारी	?	(ii) भागीदारी	?
(iii) हिंदु अविभक्त कुटुम्ब	?	(iv) प्राईवेट लिमिटेड कंपनी	?

(v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी	?	(vi) सोसायटी/क्लब/न्यास/व्यक्ति संगम	?
(vii) सरकारी विभाग	?	(viii) पब्लिक सैक्टर उपक्रम	?
(ix) असमिति कंपनी	?	(x) सीमित दायित्व भागीदारी	?
(xi) स्थानीय प्राधिकारी	?	(xii) कानूनी निकाय	?
(xiii) विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	?	(xiv) रजिस्ट्रिकृत विदेशी कंपनी (भारत में)	?
(xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	?		?

3.	राज्य का नाम	☐	जिला	☐
4.	अधिकारिता	राज्य	केन्द्र	
		सैक्टर, सर्कल, वार्ड, युनिट आदि अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
5.	संविरचना के लिए विकल्प	हां ? नहीं ?		

6. संविरचना की घोषणा

☐ मैं यह घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बधनों का या संविरचना स्कीम के अधीन कर संदाय के विकल्प के लिए नियमों का पालन किया गया है।

6.1 रजिस्ट्रिकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < चैकबॉक्स में चिन्हित करें>

(i)	ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, जिसके लिए विकल्प उपलब्ध नहीं हैं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	
(ii)	अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता	
(iii)	संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता।	

7.	कारबार के प्रारंभ की तारीख	दिन/मास/वर्ष	
8.	तारीख जिसको रजिस्टर किए जाने का दायित्व उद्भूत हुआ है	दिन/मास/वर्ष	
9.	क्या आपने नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रिकरण के लिए आवेदन किया है	हां ☐	नहीं ☐
10.	यदि क्रम सं. 9 में 'हां' का चयन किया गया है तो वह अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है	से दिन/मास/वर्ष	तक दिन/मास/वर्ष
11.	यदि क्रम सं. 9 में 'हां' का चयन किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान प्राक्कलित प्रदायों और प्राक्कलित शुद्ध कर दायित्व।		

क्रम सं.	कर का प्रकार	आवर्त (रुपए में)	शुद्ध कर दायित्व (रुपए में)
(i)	एकीकृत कर		
(ii)	केन्द्रीय कर		

(iii)	राज्य कर					
(iv)	संघ राज्यक्षेत्र कर					
(v)	उपकर					
	कुल योग					
	संदाय के ब्यौरे					
	चालान पहचान संख्यांक		तारीख		रकम	
12.	क्या आपने विशेष आर्थिक जोन इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ?			हां ☐	नहीं ☐	
	(i) विशेष आर्थिक जोन के नाम का चयन करें				▽	
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तारीख					
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम					
13.	क्या आपने विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ?			हां ☐	नहीं ☐	
	(i) विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के नाम का चयन करें				▽	
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तारीख					
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम					

14.	रजिस्ट्रिकरण अभिप्राप्त करने कारण:	
	(i) सीमारेखन	(viii) दो या अधिक रजिस्ट्रिकृत व्यक्तियों का विलियन /समामेलन
	(ii) अंतरराज्यिक प्रदाय	(ix) इनपुट सेवा वितरक
	(iii) धारा 9(3) या 9(4) के अधीन माल या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में कर संदाय का दायित्व ।	(x) धारा 9(5) के अधीन कर संदाय के लिए दायी व्यक्ति
	(iv) ऐसे कारबार का अंतरण जिसमें कारबार के स्वामित्व का परिवर्तन हो (यदि अंतरिति रजिस्ट्रिकृत अस्तित्व नहीं है)	(xi) ई-कार्मस पोर्टल के माध्यम से प्रदाय करने वाला कराधेय व्यक्ति
	(v) स्वत्वधारी की मृत्यु (यदि उत्तरवर्ती रजिस्ट्रिकृत अस्तित्व नहीं है)	(xii) स्वैच्छिक आधार
	(vi) निर्विलयन	(xiii) अन्य कराधेय व्यक्ति (व्यक्तियों) की ओर से माल और/या सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति
	(vii) कारबार के गठन में परिवर्तन	(xiv) अन्य (जो ऊपर नहीं आते हैं) – विनिर्दिष्ट करें
15.	विद्यमान रजिस्ट्रिकरण उपदर्शित करें जहां कहीं लागू हों ।	

मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	

केन्द्रीय विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
प्रवेश कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
होटल और विलासिता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
सेवा-कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
कारपोरेट पहचान संख्यांक/विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक	
आयातकर्ता/निर्यातकर्ता कोड संख्यांक	
चिकित्सीय और प्रसाधन निर्मिति (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
दुकानों और संस्थापन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
अस्थायी पहचान, यदि कोई हो	
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

16.	(क) कारबार के मुख्य स्थान का पता

भवन सं./फ्लैट सं.	तल सं.
परिसर/भवन का नाम	सड़क/गली
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव	जिला
तालुक/ब्लॉक	
राज्य	पिन कोड
अक्षांतर	देशांतर

(ख) संपर्क सूचना

कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष संख्या	एसटीडी	
मोबाईल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या	एसटीडी	

(ग) परिसर की प्रकृति

अर्जन	पट्टा	किराए पर	सहमति	हिस्सेदार	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(घ) ऊपर वर्णित परिसर पर किए जा रहे कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति (जो लागू हों कृपया उन्हें चिन्हित करें)

फैक्टरी/विनिर्माण	?	थोक कारबार	?	खुदरा कारबार	?
भांडागार/डिपो	?	बंधित भांडागार	?	सेवाओं के प्रदायकर्ता	?
कार्यालय/विक्रय कार्यालय	?	पट्टा कारबार	?	माल या सेवाओं का प्राप्तिकर्ता	?
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	?	संकर्म संविदा	?	निर्यात	?

आयात	?	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	?		

17. बैंक खाता (खातों) का ब्यौरा

कारबार चलाने के लिए आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खातों की कुल संख्या *(10 बैंक खातों तक की रिपोर्ट दी जाए)*	

बैंक खाता 1 का ब्यौरा

खाता संख्या															
खाते का प्रकार		आईएफएससी													
बैंक का नाम															
शाखा का पता	ऑटो पोपुलेटड द्वारा किया जाए (संपादित विधि)														

टिप्पण – और अधिक खातों को जोड़ें ------

18. कारबार द्वारा प्रदायित माल का ब्यौरा

कृपया 5 उच्च श्रेणी के माल को विनिर्दिष्ट करें		
क्रम सं.	माल का विवरण	एचएसएन कोड (चार अंको में)
☐(i)		
(ii)		
…		
(v)		

19. कारबार द्वारा प्रदायित सेवाओं का ब्यौरा ।

कृपया 5 उच्च श्रेणी की सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें		
क्रम सं.	सेवओं का विवरण	एचएसएन कोड (चार अंको में)
(i)		
(ii)		
…		
(v)		

20. कारबार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का ब्यौरा

अतिरिक्त स्थानों की संख्या	

परिसर 1

(क) कारबार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा

भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.	

परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला	
तालुक/ब्लॉक			
राज्य		पिन कोड	
अक्षांष		देशांतर	

(ख) संपर्क सूचना					
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष संख्या	एसटीडी		
मोबाईल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या	एसटीडी		
(ग) परिसर की प्रकृति					
अर्जन	पट्टा	किराए पर	सहमति	हिस्सेदार	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(घ) ऊपर वर्णित परिसर पर किए जा रहे कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति (जो लागू हों कृपया उन्हें चिन्हित करें)

फैक्टरी/विनिर्माण	?	थोक कारबार	?	खुदरा कारबार	?
भांडागार/डिपो	?	बंधित भांडागार	?	सेवाओं के प्रदायकर्ता	?
कार्यालय/विक्रय कार्यालय	?	पट्टा कारबार	?	माल या सेवाओं का प्राप्तिकर्ता	?
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	?	संकर्म संविदा	?	निर्यात	?
आयात	?	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	?		

21. स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्ता/प्रबंधन निदेशक और न्यास के संगम/बोर्ड के प्रबंधन समिति के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्यों का ब्यौरा ।

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	**<पुरुष,स्त्री,अन्य>**
मोबाईल संख्या		ई-मेल पता	
टेलीफोन सं. एसटीडी सहित			
पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्यांक (यदि कोई है)	
स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/ नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशी नागरिक की दशा में)	

आवासीय पता			
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला	
ब्लॉक/तालुक			
राज्य		पिन कोड	
देश (विदेशी नागरिक की दशा में)		ज़िप कोड	

22. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ब्यौरा

प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए चैक बॉक्स ☐

हस्ताक्षरी सं. 1 का ब्यौरा

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	**<पुरुष,स्त्री,अन्य>**
मोबाईल संख्या		ई-मेल पता	

टेलीफोन नंबर, एसटीडी के साथ			
पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी खाता संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं ?	हां/नही	पासपोर्ट नंबर (विदेशियों के मामलें में)	

भारत में आवासीय पता			
मकान नंबर/ फ्लैट नंबर		तल नंबर	
परिसर /मकान का नाम		सड़क/ गली	
ब्लाक /तालुका			
शहर/ नगर /मुहल्ला/ ग्राम		जिला	

राज्य		पिन कोड						

23. प्राधिकृत प्रतिनिधि का ब्यौरा

नामांकन आई डी, यदि उपलब्ध हो											
निम्नलिखित ब्यौरें दे, यदि अभ्यावेशन आई डी उपलब्ध न हो											
स्थायी खाता संख्या											
आधार, यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध न हो											
	प्रथम नाम			मध्य नाम				अंतिम नाम			
व्यक्ति का नाम											
पदनाम/प्रास्थिति											
मोबाइल नंबर											
ई मेल पता											
टेलीफोन नंबर, एस टी डी के साथ					फैक्स नंबर, एस टी डी के साथ						

24. **विनिर्दिष्ट सूचना का विवरण दें**

वृत्तिक कर नामांकन क़ोड संख्या

वृत्तिक कर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या

उत्पाद शुल्क अनुज्ञप्ति संख्या और उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम से उत्पाद शुल्क की अनुज्ञप्ति है

(क) क्षेत्र 1

(ख) क्षेत्र 1

(ग) ....

(घ) .....

(ड.) क्षेत्र

25. **दस्तावेज अपलोड करना**

प्ररुप में क्षेत्र मूल्य के अनुसार ग्राहक-अपेक्षित दस्तावेजों की सूची को अपलोड करने (नियम 8 में निर्दिष्ट) की अपेक्षा की जाती है।

26. **सहमति**

मैं आधार संख्या के धारक की और से <प्ररुप में दिये गए आधार संख्यां के आधार पर पहले से भरे गए> माल और सेवा कर नेटवर्क को अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से अपना ब्यौरा प्राप्त कराने हेतु सहमति देता हूं। माल और सेवा कर नेटवर्क ने मुझे सूचित किया है कि पहचान की जानकारी का प्रयोग केवल आधार धारक की पहचान मान्य करने के लिए किया जाएगा और केवल अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पहचान डेटा संग्रह के साथ साझा किया जाएगा।

27. **सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा**)

.... मैं एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य और ठीक है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम..........................

तारीख पदनाम/प्रास्थिति......................................

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :--

1.	फोटो (जहां आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है) (क) स्वत्वधारी समुत्थान – स्वत्वधारी (ख) भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी – प्रबंध/प्राधिकृत/अभिहित भागीदार (सभी भागीदारों के व्यक्तिगत ब्यौरें प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु प्रबंध भागीदार सहित केवल दस भागीदारों की फोटो प्रस्तुत की जाएगी) (ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब – कर्त्ता (घ) कंपनी – प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति (ङ) न्यास – प्रबंध न्यासी (च) व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय – प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के व्यक्तिगत ब्यौरें प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु अध्यक्ष सहित केवल दस सदस्यों की फोटो प्रस्तुत की जाएगी) (छ) स्थानीय प्राधिकारी – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य (ज) कानूनी निकाय – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य (झ) अन्य – भारसाधक व्यक्ति
2.	कारबार का गठन : भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख, सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य, आदि की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/गठन का प्रमाण ।
3.	कारबार के मुख्य स्थान का प्रमाण : (क) स्वयं के परिसर के लिए-- परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज, यथा नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति । (ख) भाड़े पर लिए गए या पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए-- पट्टाकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ वैध किराए/पट्टा करार की प्रति । (ग) ऊपर (क) और (ख) के अंतर्गत न आने वाले परिसर के लिए— सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ सहमति पत्र की प्रति । शेयर की गई संपत्तियों के लिए भी, यही दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे । (घ) भाड़े पर लिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए, जहां किराए/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है, वहां परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, विद्युत बिल की प्रति के साथ उस प्रभाव का शपथपत्र । (ङ) यदि कारबार का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन का विकासकर्ता है, तो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को अपलोड करना

	अपेक्षित है ।	
4.	बैंक खाते से संबंधित प्रमाण : बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति या रद्द किए गए चैक की, जिसमें स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता सं., एम.आई.सी.आर. कोड, आई.एफ.एस.सी. और कोड सहित शाखा विवरण अंतर्विष्ट हो, स्कैन प्रति ।	
5.	प्राधिकारपत्र प्ररूप :-- आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के संकल्प या प्राधिकारपत्र की प्रति निम्नलिखित प्ररूप में भरे जाएंगे : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक्) (स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्त्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य आदि) मैं/हम .... (नाम) .... (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) का .... (भागीदार/ कर्त्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य आदि), सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/करते हैं कि << प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, (प्रास्थिति/पदनाम) >> को संकल्प सं. .... तारीख .... द्वारा (प्रति इसके साथ प्रस्तुत), << माल और सेवा कर पहचान संख्यांक – कारबार का नाम >>, कारबार के लिए, जिसके लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल किया जा रहा है, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । इस कारबार के संबंध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे । हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम : प्रास्थिति/पदनाम : (स्वत्वधारी/कारबार अस्तित्व का नाम)	
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अभिस्वीकृति मैं << (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) >> उपर्युक्त निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी अभिस्वीकृत देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे ।	
	स्थान : तारीख :	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर (नाम) पदनाम/प्रास्थिति :

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. व्यक्ति का नाम, कारबार के स्थायी लेखा संख्यांक में अभिलिखित के अनुसार दर्ज करे । स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी का नाम विधिक नाम के सामने दर्ज करे और स्वत्वधारी का स्थायी लेखा संख्यांक उल्लिखित करे । स्थायी लेखा संख्यांक आय-कर डाटाबेस से सत्यापित किया जाएगा ।

2. सत्यापन और भावी संसूचना के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराएं, जो आवेदन के भाग ख को भरे जाने से पूर्व, पृथक रूप से भेजे जाने वाले एक समय पासवर्ड द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।

3. कारबार द्वारा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता घोषित किए जाने की दशा में, आवेदक द्वारा स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्त्ता/प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्यों आदि हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी आवश्यक है।

4. निम्नलिखित व्यक्ति नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को अंकीय हस्ताक्षर कर सकते है :--

कारबार का गठन	व्यक्ति, जो आवेदन को अंकीय हस्ताक्षर कर सकते है
स्वत्वधारिता	स्वत्वधारी
भागीदारी	प्रबंध/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
सोसाइटी/क्लब/ट्रस्ट/व्यक्ति संगम	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
पब्लिक सेक्टर उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
असीमित कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाभिहित भागीदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	भारसाधक व्यक्ति

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में जानकारी वैकल्पिक है। यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि नामांकित है तो कृपया सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध सूची से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का चयन करे, अन्यथा ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराएं।

6. राज्य से संबंधित सूचना केवल संबंधित राज्य के लिए ही सुसंगत है।

7. नीचे वर्णित व्यक्तियों द्वारा भरे गए आवेदन अंकीय रूप से हस्ताक्षरित होंगे :--

क्रम सं.	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित हस्ताक्षर का प्रकार
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम असीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक
2.	उपर्युक्त से अन्यथा	अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक ई-हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो अधिसूचित किया जाए।

8. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्यांक, चालान पहचान संख्यांक से संबंधित सभी सूचना, प्रणाली द्वारा आनलाइन विधिमान्य की जाएगी और सभी भरी गई सूचना के सफलतापूर्वक विधिमान्य किए जाने के पश्चात् अभिस्वीकृति प्राप्ति संख्या जनित किया जाएगा ।

9. आनलाइन फाईल किए गए आवेदन की प्रास्थिति, अभिस्वीकृत पर उपदर्शित आवेदन संदर्भ संख्या (ए.आर.एन.), सामान्य पोर्टल पर प्रविष्ट करके, देखी जा सकती है ।

10. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाईल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है ।

11. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा ।

12. किसी व्यक्ति को, जिसके किसी राज्य के भीतर बहु शीर्षका कारबार हैं, जो अपने किसी कारबार शीर्षका के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण चाहता है, प्रत्येक शीर्षका के संबंध में पृथक् रूप से आवेदन करना आवश्यक होगा ।

13. आवेदन के अनुमोदन के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

14. आवेदन के भाग क में प्रारंभिक ब्यौरे सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के पश्चात् अस्थायी संदर्भ संख्यांक (टी.आर.एन.) आबंटित किया जाएगा, जिसका आवेदन के भाग ख में ब्यौरे भरने के लिए उपयोग किया जाएगा । अस्थायी संदर्भ संख्यांक सामान्य पोर्टल पर 15 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा ।

15. कोई व्यक्ति, जो नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने के लिए, प्ररूप जी.एस.टी. आर.ई.जी. 01 के भाग 10 में, विकल्प दे सकेगा, जो उक्त धारा के अधीन कर का भुगतान करने की सूचना समझी जाएगी ।

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-2

(नियम 8(5) देखें)

अभिस्वीकृति

आवेदन निदेश संख्या

आपने आवेदन सफलतापूर्वक फाइल कर दिया है और आवेदन की विशिष्टियां निम्नानुसार है :

फाइल करने की तारीख :

फाइल करने का समय :

माल और सेवाकर पहचान संख्या, यदि उपलब्ध हो :

विधिक नाम :

व्यापार नाम :

प्ररूप संख्या :

प्ररूप वर्णन :

केन्द्र अधिकारिता :

राज्य अधिकारिता :

फाइल किया गया :

स्थायी निदश संख्या, यदि कोई हो :

संदाय के ब्यौरे : चालान पहचान संख्या :

तारीख :

रकम :

यह सिस्टम जनरेटेड अभिस्वीकृति है और किसी हस्ताक्षर की अवश्यकता नहीं है :

*केवल आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति के मामले में लागू ।

जी.एस.टी. आरईजी-3 प्ररूप

(नियम 9(2) देखें)

निदेश संख्या

तारीख

सेवा में,

आवेदक का नाम,

पता,

माल और सेवाकर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)

आवेदन निदेश संख्या

अतिरिक्त जानकारी/ स्पष्टीकरण/दस्तावेजों के लिए नोटिस रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दिकरण के लिए आवेदन से संबंधित

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दिकरण के लिए आवेदन के निदेश अनुसार है। विभाग ने आपके आवेदन की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं है :

1.

2.

3.

? आप तारीख .... तक अपना जबाव प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किए जाते हैं

? आप तारीख .... को .... समय पर अधोहस्ताक्षरित के समक्ष उपस्थित होने के लिए निदेशित किए जाते हैं।

यदि निर्धारित तारीख तक जबाव नहीं आता है तो आपका आवेदन अस्वीकृत होने का दायी होगा।

कृपा नोट करें कि इस मामले में कोई और नोटिस/अनुस्मारक जारी नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर

उचित अधिकारी का नाम

पद नाम

अधिकारिता

*नए रजिस्ट्रीकरण आवेदन के लिए लागू नहीं ।

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-04

[नियम 9(2) देखें]

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दिकरण के लिए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज

1.	नोटिस के ब्यौरे	निदेश संख्या		तारीख	
2.	आवेदन के ब्यौरे	निदेश संख्या		तारीख	
3.	जीएसटीआईएन, यदि लागू हो				
4.	कारबार का नाम (विधिक)				

5.	व्यापार नाम, यदि कोई हो				
6.	पता				
7.	क्या रजिस्ट्रीकरण या फील्ड के लिए आवेदन में कोई उपांतरण अपेक्षित है				हां ? नहीं ? (एक पर निशान लगाएं)
8.	अतिरिक्त जानकारी				
9.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची				
10	सत्यापन				
	मैं..सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषित करता हूं कि ऊपर दिए गई जानकारी मेरे सर्वोत्त ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर नाम पद नाम/प्रास्थिति स्थान : तारीख :				

टिप्पण :

1. नए रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल रजिस्ट्रीकरण आवेदन संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगा यदि मद सात में विकल्प हां चुने ।

2. रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों के संशोंधन के लिए संशोंधन के लिए आशयित फील्ड संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगी यदि मद 7 में विकल्प हां चुने ।

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-05

[नियम 9(4) देखें]

निदेश संख्या :

सेवा में

आवेदक का नाम :

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/ रद्दीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृती का आदेश

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए जबाव के निदेश अनुसार है । विभाग ने आपके जबाव की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं है :

1.

2.

3.

इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

या

आपने निदेश संख्या तारीख द्वारा जारी नोटिस का जबाव उसस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया है। इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

अधिकारिता

भारत सरकार

प्ररूप जीएसटी आरईजी -06

[नियम 10(1) देंखे]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रीकरण संख्या जीएसटीआईएन/यूनिक नंबर (यूआई एन)

1. विधिक नाम
2. व्यापार नाम, यदि कोई हो
3. कारबार का गठन
4. कारबार के मूल स्थान का पता
5. दायित्व की तारीख दिन/माह/वर्ष
6. विधिमान्यता की अवधि दिन/माह/वर्ष से दिन/माह/वर्ष तक
   (कारधेय व्यक्ति या
   आकस्मिक कराधेय व्यक्ति
   अनिवासी मामले में केवल
   लागू)
7. रजिस्ट्रीकरण का प्रकार
8. अनुमोदन प्राधिकारी की विशिष्टियां
   i. केन्द्र राज्य

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय

9. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख

टिप्पण – रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र राज्य में कारबार के सभी स्थानों में मुख्य रूप से दर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित है।

उपाबंध क

कारबार के अतिरिक्त स्थानों के ब्यौरे

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

विधिक नाम

व्यापार नाम,यदि कोई हो

राज्य में कारबार के अतिरिक्त स्थानों की कुल संख्या

क्रम सं.	पता
1	
2	
3	

उपाबंध ख

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

विधिक नाम

व्यापार का नाम, यदि कोई हो

स्वत्वधारी/भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक प्रबंध समिति व्यक्ति संगमों के सदस्य/ न्यासियों का बोर्ड आदि

1. फोटो
नाम
पदनाम/ प्रास्थिति
राज्य का निवासी

2. फोटो
नाम
पदनाम/ प्रास्थिति
राज्य का निवासी

3. फोटो
नाम
पदनाम/ प्रास्थिति
राज्य का निवासी

4. फोटो
नाम
पदनाम/ प्रास्थिति
राज्य का निवासी

5. फोटो
नाम
पदनाम /प्रास्थिति
राज्य का निवासी

6. फोटो
नाम
पदनाम/ प्रास्थिति
राज्य का निवासी

7. फोटो
नाम
पदनाम /प्रास्थिति
राज्य का निवासी

8. फोटो नाम

पदनाम /प्रास्थिति

राज्य का निवासी

9. फोटो नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

राज्य का निवासी

10. फोटो नाम

पदनाम /प्रास्थिति

राज्य का निवासी

प्ररूप जीएसटी आरईजी-07

(नियम 12 (1) देंखे)

धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर कलक्टर के रूप में रजिस्ट्रीकरण की संख्या

भाग क

(i) कर कटौतीकर्ता या कर कलक्टर का विधिक नाम (स्थायी लेखा संख्या /कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या में उल्लेखानुसार)

(ii) स्थायी लेखा संख्या

(iii) (कारबार के स्थायी लेखा संख्या भरें संबद्ध स्वत्वधारिता के मामले में व्यष्टिक स्थायी लेखा संख्या

(iv) कर कटौती संग्रहण लेखा संख्या

(कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या, यदि स्थायी लेखा संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(v) ई-मेल पता

(vi) मोबाइल पता

टिप्पण – भाग ख भरे जाने के लिए पूर्व कार्रवाई के आन लाइन सत्यापन के अधीन उपर्युक्त सूचना प्रस्तुत किया जाना है ।

भाग ख

1. व्यापार का नाम,यदि कोई हो
2. कारबार का गठन (समुचित चयन करें)

(i) स्वत्वधारी ?

(ii) भागीदारी ?

(iii) हिन्दु अविभक्त कुटुंब ?

(iv) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ?

(v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी ?

(vi) सोसाइटी/ क्लब /न्यास/व्यक्तियों का संगम ?

(vii) सरकारी विभाग ?

(viii) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ?

(ix) असीमित कंपनी ?

(x) सीमित दायित्व भागीदारी ?

(xi) स्थानीय प्राधिकारी ?

(xii) कानूनी निकाय ?

(xiii) विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी ?

(xiv) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत में) ?

(xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ?

3. राज्य का नाम जिला

4.अधिकारिता राज्य केन्द्र

सेक्टर/सर्किल /वार्ड /प्रभार/यूनिट

		इत्यादि	
5	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार		कर कटौतीकर्ता ○ कर कलक्टर ○
6.	सरकार (केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)		केन्द्र ○ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ○

7.	कर की कटौती करने/संग्रहीत करने के दायित्व की तारीख		तारीख/मास/वर्ष		
8.	(क) कारबार के मूल स्थान का पता				
भवन सं./फ्लैट सं.			तल सं.		
परिसर/भवन का नाम			मार्ग/गली		
शहर/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम			जिला		
ब्लॉक/ताल्लुका					
देशान्तर			अक्षांश		
राज्य			पिन कोड		
(ख) संपर्क सूचना					
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय टेलीफोन नं.			
मोबाइल नं.		मोबाइल नं. कार्यालय फैक्स नं.			
(ग)	परिसरों के कब्जे की प्रकृति				

स्वामित्व	पट्टे पर दिया गया	किराये पर दिया गया	सहमति	साझा की हुई	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

9.	क्या आपने उसी राज्य में माल और सेवा कर के अधीन कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए हैं?	हां ☐ नहीं ☐
10	यदि हां, माल और सेवा कर पहचान संख्या का उल्लेख करें	

11	आइईसी (आयातकर्ता निर्यातकर्ता कोड), यदि लागू हों				
12	कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी डीडीओ (आहरण और संवितरण अधिकारी)/व्यक्ति के ब्यौरे				

विशिष्टियां			
नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
पिता का नाम			
फोटो			
जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग	<पुरूष, स्त्री, अन्य>
मोबाइल नं.		ई-मेल पता	
टेलीफोन सं. एसटीडी सहित			
पदाभिधान/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी लेखा संख्याक		आधार संख्या	
क्या आप बाहर के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट नं. (विदेशी व्यक्तियों के मामले में)	
निवास पता			
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		परिक्षेत्र/ग्राम	
राज्य		पिन कोड	

13. प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौरे

प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए चेक बॉक्स ☐

हस्ताक्षरी सं. 1 के ब्यौरे

विशिष्टयां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग	<पुरूष, स्त्री, अन्य>
मोबाइल नं.		ई-मेल पता	

टेलिफोन नं. एसटीडी सहित			
पदाभिधान/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी लेखा संख्यांक		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट सं.(विदेशी व्यक्तियों के मामले में)	

निवास पता (भारत के भीतर)			
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		मार्ग/गली	
शहर/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
ब्लॉक/ताल्लुका			
टिप्पण-अतिरिक्त लिखें....			

14.	सहमति मैं आधार सं <प्ररूप में दी गई आधार सं. के आधार पर पहले भरा गया> के धारक की ओर से अधिप्रमान के प्रयोजन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अपने ब्यौरे प्राप्त करने के लिए "माल और सेवा कर नेटवर्क" के लिए सहमति देता हूं। "माल और सेवा कर नेटवर्क" ने मुझे सूचित कयि है कि पहचान सूचना केवल आधार धारक की पहचान को विधिमान्य करने के लिए प्रयोग की जाएगी और इसे अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान आंकड़ा, संग्रह के साथ सांझा किया जाएगा।
15.	सत्यापन मैं सत्य निष्ठा से यह प्रति ज्ञात करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्म ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। (हस्ताक्षर) स्थान: कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी/व्यक्ति/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम तारीख (पदनाम)

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार विभागों या स्थानों या स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय अभिकरणों को लागू न होना):-

कारबार के मूल स्थान का सबूत: (क) स्वयं के परिसरों के लिए –

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति।

(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए–

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए –

नगरपालिक खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।

(घ) किराए पर दिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए जहां किराया/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है वहां परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज जैसे बिजली के बिल की प्रति के साथ इस आशय का शपथपत्र।

(ङ) यदि कारबार का मूल स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज या प्रमाणपत्र अपलोड किए जाने अपेक्षित हैं।

कर कटौतीक्रता/कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।

1. कारबारिक कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक/स्थायी लेखा संख्यांक पर यथा अभिलिखित कर कटौतीकर्ता/कर संग्रहकर्ता का नाम प्रविष्ट करे। कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक/स्थायी लेखा संख्यांक आय-कर विभाग डाटाबेस के साथ सत्यापित किए जाएंगे।

2. सत्यापन और भावी संसूचना के लिए कर की कटौती करने/कर संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार डीडीओ (आहरण और संवितरण अधिकारी/व्यक्ति की ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराए जिससे आवेदन भरने से पहले पृथकतः भेजे जाने वाले वनटाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।

3. ऐसा व्यक्ति जो डीडीओ/कर की कटौती करने वाले/कर संग्रह करने वाले व्यक्ति के रूप कार् कर रहा है, आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकता है।

4. अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा।

क्र. सं.	आवेदक के प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अपरिसीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी समिति दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के ई-हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो विनिर्दिष्ट हो या जो अधिसूचित किया जाए

5. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा आने लाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात् तैयार की जाएगी।

6. ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की प्रास्थिति को सामान्य पोर्टल पर देखा जा सकता है।

7. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई रसीद संदेय नहीं है।

8. प्राधिकृत व्यक्ति अवयस्क नहीं होगा।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-08

[नियम 12(3) देखें]

संदर्भ सं.
तारीख:

सेवा में

नाम:

पता:

आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन) (उत्तर) तारीख:

स्रोत कर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर कलक्टर के रूप में आरईजी के रद्दकरण का आदेश

यह अधिनियम के अधीन आरईजी के रद्दकरण के लिए संदर्भ संख्या........, तारीख........... द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में है।

☐ चूंकि कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर फाइल नहीं किया गया है

☐ चूंकि सुनवाई के लिए नियत तारीख को आप हाजिर नहीं हुए

☐ चूंकि कारण बताओ सूचना के प्रति आपका उत्तर और सुनवाई के समय किए गए निवेदनों की जांच की गई है। अधोहस्ताक्षरी की यह राय है कि आपका आरईजी निम्नलिखित कारण (कारणों) के लिए रद्द किया जा सकता है।

1.

2.

आरईजी के रद्दकरण की प्रभावी तारीख <<तारीख/मास/वर्ष >>.

आपको............ (तारीख) को या इससे पहले अधोलिखित रकम का संदाय करने के लिए निदेश दिया जाता है जिसके न हो सकने पर रकम अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूल की जाएगी।

(यह आदेश आपके डैश बोर्ड पर भी उपलब्ध है)

शीर्ष	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
कुल					

हस्ताक्षर
नाम

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी-09

[नियम 13(1) देखें]

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के आरईजी के लिए आवेदन

भाग-क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र – जिला -

(i)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का लेखा संख्यांक, यदि कोई हो	
(iii)	पासपोर्ट संख्या, यदि स्थायी लेखा संख्यांक उपलब्ध नहीं है	
(iv)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (स्थायी लेखा संख्यांक के अनुसार)	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का स्थायी लेखा संख्यांक	
(vii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई-मेल पता	
(viii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का मोबाइल नं. (+91)	
टिप्पण - जहां व्यवहार्य हो, भाग –ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन है।		

भाग-ख

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौरे (भारत का निवासी होना चाहिए)			
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम	
	फोटो			
	लिंग		पुरूष/स्त्री/अन्य	
	पदाभिधान			
	जन्म की तारीख		तारीख/मास/वर्ष	
	पिता का नाम			
	राष्ट्रीयता			
	आधार			
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता		पता पंक्ति 1	
			पता पंक्ति 2	
			पता पंक्ति 3	

2.	वह अवधि, जिसके लिए आरईजी अपेक्षित है	से		तक				
		तारीख/मास/वर्ष		तारीख/मास/वर्ष				
3	आवर्त के ब्यौरे	प्राक्कलित आवर्त (रुपये)		प्राक्कलित कर दायित्व (शुद्ध) (रुपये				
		राज्य के भीतर	अन्तर्राज्यीय	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

4	उद्भव के देश में अनिवासी कराधेय व्यक्ति का पता					
	(कारबार अस्तित्व के मामले में - कार्यालय का पता)					
	पता पक्ति 1					
	पता पक्ति 2					
	पता पक्ति 3					
	देश (ड्रॉप डाउन)					
	जिप कोड					
	ई-मेल पता					
	टेलिफोन नं.					
5	भारत में कारबार के मूल स्थान का पता					
	भवन सं./फ्लैट सं.			तल सं.		
	परिसर/भवन का नाम			मार्ग/गली		
	शहर/नगर/ग्राम/परिक्षेत्र			जिला		
	ब्लॉक/ताल्लुका					
	देशांतर			अक्षांश		
	राज्य			पिन कोड		
	मोबाइल नं.			टेलीफोन नं.		
	ई-मेल पता			फैक्स नं. एसटीडी सहित		
6	भारत में बैंक खाते के ब्यौरे					
	लेखा संख्या			लेखा का प्रकार		
	बैंक का नाम		शाखा का पता		आईएफएससी	
7	अपलोड किए गए दस्तावेज प्ररूप में क्षेत्रीय महत्व के अनुसार अपलोड किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों (अनुदेश देखें) की अनुकूल सूची					

8	**घोषणा** **मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।** **हस्ताक्षर** **स्थान:** **प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम** **तारीख:** **पदनाम:**

टिप्पण: अनिवासी कराधेय व्यक्ति से पासपोर्ट और फोटो की स्कैंन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाती है।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

1.	मूल कारबार के स्थान का सबूत: (क) स्वयं के परिसरों के लिए – परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति (ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए– नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, जैसे पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति। (ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए – नगरपालिक खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।
2.	अनिवासी कराधेय व्यक्ति के सबूत: बीजा के ब्यौरे सहित अनिवासी कराधेय व्यक्ति के पासपोर्स की स्कैन की गई प्रति। भारत से बाहर निगमित या स्थापित कारबार अस्तित्व के मामले में आरईजी के लिए आवेदन उसकी कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर उस राज्य की सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है या उसका स्थायी लेखा संख्यांक, यदि उपलब्ध हों, के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
3	बैंक खाता सम्बद्ध सबूत: बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पेज की स्कैन की गई प्रति या स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर, आईएफएससी और कोड सहित शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाला रद्द चेक की स्कैन की गई प्रति।
4	प्राधिकार प्ररूप:- आवेदन प्ररूप में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए, निम्नलिखि रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबन्ध समिति या निदेशक बोर्ड का प्राधिकार या उसके संकल्प के प्रति: प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरी के लिए अलग से) स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड आदि के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्य) मैं/हम................(नाम) जो ....(रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) के (भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड आदि के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्य हैं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करते हैं कि <<प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (प्रास्थिति/पदाभिधान)>> कारबार<<माल और सेवा कर पहचान संख्या – कारबार का नाम >> जिसके लिए अधिनियम के अधीन आवेदन आरईजी के लिए फाइल किया गया है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी

के रूप में कार्य करने के लिए संकल्प संख्या............ तारीख............(इसके साथ प्रस्तुत प्रति) द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। इस कारबार के सम्बन्ध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे

हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम/प्रास्थिति:

(स्वत्वधारी/कारबार अस्तित्व का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति

मैं <<(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम)>> सत्य निष्ठा से ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

पता:

तारीख:

पदनाम/प्रास्थिति:

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में आरईजी के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए निदेश-

1. पासपोर्ट में यथा अभिलिखित आवेदक अनिवासी कराधेय व्यक्ति का नाम प्रविष्ट करें ।
2. सामान्य पोर्टल पर कारबार के प्रारम्भ से कम से कम पांच दिन पहले आवेदन करें ।
3. आवेदक को सत्यापन तथा भावी संसूचना के लिए ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराना आवश्यक है जो आवेदन के भाग – ख को भरने से पूर्व, पृथक रूप से भेजने जाने वाले वन टाईम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ।
4. आवेदक को स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/प्रबन्ध निदेशकों और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्यों द्वारा हस्ताक्षिरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करना आवश्यक है, यदि कारबार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में घोषित करता है।
5. अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा।

क्र. सं.	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अपरिसीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी समिति दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के

क्र. सं.	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के, ई-हस्ताक्षर या जो अधिसूचित किया जाए

6. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा आने लाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात् तैयार की जाएगी।

7. ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की प्रास्थिति को सामान्य पोर्टल पर देखा जा सकता है।

8. आरईजी के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई रसीद संदेय नहीं है।

9. प्राधिकृत हस्ताक्षरी भारतीय नागरिक होगा और वह अवयस्क नहीं होगा ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-10

[नियम 14(1) देखें]

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं के आरईजी के लिए आवेदन

<u>भाग-क</u>

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र – जिला -

(i)	व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	व्यक्ति का लेखा संख्यांक, यदि कोई हो	
(iii)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (स्थायी लेखा संख्यांक के अनुसार)	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का स्थायी लेखा संख्यांक	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई-मेल पता	
(vii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का मोबाइल नं. (+91)	
टिप्पण - जहां व्यवहार्य हो, भाग –ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन है।		

<u>भाग-ख</u>

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौर (भारत का निवासी होगा)		
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
	फोटो		
	लिंग		पुरूष/स्त्री/अन्य

<table>
<tr><td rowspan="8"></td><td colspan="5">पदाभिधान</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">जन्म की तारीख</td><td colspan="2">तारीख/मास/वर्ष</td></tr>
<tr><td colspan="5">पिता का नाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">राष्ट्रीयता</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">आधार, यदि कोई हो</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5" rowspan="3">प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता</td><td colspan="2">पता पंक्ति 1</td></tr>
<tr><td colspan="2">पता पंक्ति 2</td></tr>
<tr><td colspan="2">पता पंक्ति 3</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="5">भारत में ऑनलाइन सेवा के प्रारम्भ की तारीख</td><td colspan="2">तारीख/मास/वर्ष</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="7">वेबसाइट, जिसके माध्यम से कराधेय सेवा उपलब्ध कराई जाती हैं, के एक समान स्रोत अवस्थापक (यूआरएल):
1.
2.
3…</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">अधिकारिता</td><td colspan="2">केन्द्र</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td colspan="7">बैंक खाते के ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>खाता सं.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">खाता का प्रकार</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>बैंक का नाम</td><td></td><td>शाखा का पता</td><td colspan="2"></td><td>आइएफएससी</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="7">अपलोड की गई दस्तावेज
प्ररूप में क्षेत्रीय महत्व के अनुसार अपलोड किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों (अनुदेश देखें) की अनुकूल सूची</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="7">घोषणा
मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।
मैं..........यह घोषणा करता हूं कि मैं रजिस्टरकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं। मैं कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित गैर-निर्धारिती ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता से दायी से कर प्रभारित करूंगा और संग्रहीत करूंगा और उसे भारत सरकार में जमा करूंगा।
हस्ताक्षर
स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
तारीख: पदनाम :</td></tr>
</table>

टिप्पणः आवेदक से पासपोर्ट और फोटो की स्कैंन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाएगी।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है।

1.	भारत में कारबार के स्थान का सबूत: (क) स्वयं के परिसरों के लिए – नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, जैसे परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज। (ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए– नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति। (ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए – नगरपालिक खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, जैसे सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।
2.	निम्नलिखित के सबूत : बीजा ब्यौरों के साथ अनिवासी करदाता के पासपोर्ड की स्कैन की गई प्रति। कंपनी/सोसाइटी/एलएलपी/एफसीएनआर आदि के मामले में ऐसा व्यक्ति, जो प्राधिकार पत्र के साथ मुख्तारनामा धारण करता है। निगमन के प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति यदि कंपनी भारत से बाहर या भारत में रजिस्ट्रीकृत है। उद्भव के देश द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की स्कैन की गई प्रति भारत सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।
3	बैंक खाता सम्बद्ध सबूत: बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ/बैंक विवरण के एक पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति। स्वत्वधारी/कारबार समुत्थान के नाम में धारित बैंक पासबुक का आरंभिक पृष्ठ, जिसमें खाता धारक का खाता संख्या, नाम/एमआइसीआर और आइएफएससी तथा शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट हों।
4	प्राधिकार प्ररूप:- प्राधिकार प्ररूप में उल्लिखित हस्ताक्षरी के लिए, निम्नलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के प्राधिकार या उसके संकल्प की प्रति: प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरी के लिए अलग से) मैं ....(प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्तारनामा धारक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि कारबार <<कारबार का नाम>> जिसके लिए आरईजी का आवेदन माल और सेवा कर अधिनियम, 20 के अधीन फाइल किया जा रहा है/ रजिस्ट्रीकृत है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए <<प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>> प्राधिकृत हूं। इस कारबार के सम्बन्ध में उसकी सभी कार्रवाईयां मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगी। उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर, जो भारसाधक हैं। क्र. सं. — पूरा नाम — पदाभिधान/प्रास्थिति — हस्ताक्षर 1. प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति मैं <<(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>> ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने की अपनी स्वीकृति

सत्यनिष्ठा से देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।

(नाम) प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर स्थान

तारीख: पदाभिधान/प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी आरईजी-11

[नियम 15(1) देखें]

आकस्मिक/अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा आरईजी अवधि के विस्तार के लिए आवेदन

<table>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">जीएसटीआइएन</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">नाम (विधिक)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">व्यवसाय का नाम, यदि कोई हो</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">पता</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="2" rowspan="2">विधिमान्यता की अवधि (मूल)</td><td colspan="2">से</td><td colspan="3">तक</td></tr>
<tr><td colspan="2">तारीख/मास/वर्ष</td><td colspan="3">तारीख/मास/वर्ष</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="2" rowspan="2">वह अवधि जिसके लिए विस्तार का अनुरोध किया गया है</td><td colspan="2">से</td><td colspan="3">तक</td></tr>
<tr><td colspan="2">तारीख/मास/वर्ष</td><td colspan="3">तारीख/मास/वर्ष</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td colspan="2">विस्तारित अवधि के लिए आवर्त के ब्यौरे (रुपये)</td><td colspan="5">विस्तारित अवधि के लिए प्राक्कलित कर दायित्व (शुद्ध) (रूपये)</td></tr>
<tr><td>अन्तर्राज्यीय</td><td>राज्य के भीतर</td><td>केन्द्रीय कर</td><td>राज्य कर</td><td>संघ राज्यक्षेत्र कर</td><td>एकीकृत कर</td><td>उपकर</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td colspan="7">संदाय के ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>तारीख</td><td>सीआइएन</td><td colspan="2">बीआरएन</td><td colspan="3">रकम</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="7">घोषणा-
मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।</td></tr>
<tr><td colspan="8">हस्ताक्षर
स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम:
तारीख: पदाभिधान/प्रास्थिति:</td></tr>
</table>

विधिमान्यता के विस्तार के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुदेश

1. आवेदन विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है।

2. आवेदन केवल तब फाइल किया जा सकता है जब अग्रिम संदाय किया जाता है।

3. सफल फाइल करने के पश्चात्, आवेदन संदर्भ संख्या तैयार की जाएगी जिसे आवेदन की प्रास्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 12

[नियम 16(1)देखिए]

संदर्भ संख्या - **तारीख:**

सेवा में,

(नाम):

(पता):

अस्थायी आरईजी संख्या

अस्थायी आरईजी/स्वप्रेरणा से आरईजी अनुदत्त करने के लिए आदेश

अधोहस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन आरईजी करने के दायी हैं और इसलिए आपका अस्थायी आधार पर आरईजी किया जाता है। कारबार परिसर से पता लगाई गई कारबार की विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

उस व्यक्ति के ब्यौरे, जिसे अस्थायी आरईजी अनुदत्त किया गया है			
1.	नाम और विधिक नाम, यदि लागू हो		
2.	लिंग		पुरुष/ महिला/ अन्य
3.	पिता का नाम		
4.	जन्म की तारीख		दिन/ मास/वर्ष
5.	व्यक्ति का पता	भवन संख्या/फ्लैट संख्या	
		मंजिल	
		परिसर/भवन का नाम	
		सड़क गली	
		शहर/नगर/लोकलिटी/ग्राम	
		ब्लॉक/तालुका	
		जिला	
		राज्य	
		पिन कोड	
6.	व्यक्ति की स्थायी लेखा संख्या, यदि उपलब्ध हो		

7.	मोबाइल नंबर	
8.	ईमेल पता	
9.	अन्य पहचान, यदि कोई हो (मतदाता पहचान संख्या/पासपोर्ट संख्या/चालन अनुज्ञप्ति संख्या/आधार संख्या/अन्य)	
10.	अस्थायी आरईजी के कारण	
11.	आरईजी/अस्थायी पहचान की प्रभावी तारीख	
12.	आरईजी संख्या/अस्थायी पहचान	

(अभिग्रहण मेमो/निरुद्ध मेमो/कोई अन्य समर्थनकारी दस्तावेज़ का अपलोड किया जाना)

<< आपको इस आदेश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर समुचित आरईजी के लिए आवेदन फाइल करने का निदेश दिया जाता है >>

हस्ताक्षर

स्थान << अधिकारी का नाम >> >>

तारीख: पदनाम/अधिकारिता :

टिप्पण: आदेश की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले तत्स्थानी केंद्रीय/राज्य प्राधिकारी को भेजी जाएगी ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 13

[नियम 17 (1) देखिए]

संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/ अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या अनुदत्त करने के लिए आवेदन/प्ररूप

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - **जिला -**

भाग क

(i)	इकाई का नाम	
(ii)	इकाई की स्थायी लेखा संख्या, यदि कोई है (किसी अन्य अधिसूचित व्यक्ति की दशा में लागू)	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की स्थायी लेखा संख्या	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ईमेल पता	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर (+91)	

भाग ख

1.	इकाई का किस्म (कोई एक चुनें)	संयुक्त राष्ट्र दूतावास अन्य व्यक्ति		
2.	देश			
3.	अधिसूचना के ब्यौरे		अधिसूचना संख्या	तारीख
4.	राज्य में इकाई का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल	
	परिसर/भवन का नाम		सड़क/ गली	
	शहर/कस्बा/गाँव		जिला	
	ब्लॉक/तालुका			
	अक्षांश		देशान्तर	
	राज्य		पिन कोड	
	संपर्क के लिए जानकारी			
	ईमेल पता		टेलीफोन नंबर	
	फैक्स नंबर		मोबाइल नंबर	
7.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे, यदि लागू हों			
	विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	नाम			
	फोटो			
	पिता का नाम			
	जन्म की तारीख	दिन/ मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, महिला, अन्य>
	मोबाइल नंबर		ईमेल पता	
	टेलीफ़ोन नंबर			
	पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
	स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या	
	क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशियों के मामले में)	
	घर का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल	
	परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
	नगर/शहर/गांव		जिला	

	ब्लॉक/तालुका									
	राज्य		पिन कोड							
8.	बैंक खाता ब्यौरे (यदि आवश्यक हो तो और जोड़ें)									
	खाता संख्या		खाते का प्रकार							
	आईएफएससी		बैंक का नाम							
	शाखा का पता									
9.	*अपलोड किए गए दस्तावेज* *प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि से भिन्न) ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत निकाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सम्मिलित हैं, को अपलोड किया जाएगा ।* *या* *समुचित अधिकारी, जिसने आवेदक (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि) से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि का भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सम्मिलित हैं, के साथ सृजित और संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि को आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या को अपलोड किया जाएगा ।*									
11.	सत्यापन *मैं सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।*									

स्थान: (हस्ताक्षर

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम:

या

(हस्ताक्षर)

स्थान: समुचित अधिकारी का नाम:

तारीख: पदनाम:

अधिकारिता:

सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य के आरईजी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश ।

- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा ।
- आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा या समुचित अधिकारी द्वारा स्व:प्रेरणा से आरईजी अनुदत्त किया जा सकता है
- सामान्य पोर्टल पर फाइल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से हस्ताक्षर करना अपेक्षित है
- संबंधित निकाय द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत ब्यौरों को आवेदन में "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे" के सामने भरा जाना चाहिए ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 14

[नियम 19(1) देखिए]

आरईजी विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन

(सभी प्रकार के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन/यूआईएन			
2. कारबार का नाम			
3. आरईजी का प्रकार			
4. संशोधन सारांश			
क्रम सं.	फील्ड नाम	प्रभावी तारीख (दिन/ मास/वर्ष)	कारण
5. अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची (क) (ख) (ग) ...			
6. घोषणा *मैं सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।* हस्ताक्षर स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम: तारीख : पदनाम/प्रास्थिति:			

<u>संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश</u>

1. संशोधन के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा ।
2. कारबार के नाम, कारबार का प्रधान स्थान, कारबार के अतिरिक्त स्थान और भागीदारों या निदेशकों के ब्यौरे, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य, जो कारबार के दिन प्रतिदिन के मामलों के लिए उत्तरदायी है – से संबंधित परिवर्तन, जो आरईजी को रद्द करने के लिए अधिदेश नहीं करते हैं, कोर फील्ड हैं, जिनका सम्यक् सत्यापन के पश्चात् समुचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।
3. गैर-कोर फील्ड में संशोधन के लिए समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है ।

4. जहां किसी कारबार के गठन में किसी परिवर्तन का परिणाम रजिस्ट्रीकृत की स्थायी लेखा संख्या में परिवर्तन के रूप में होता है तो उक्त व्यक्ति से नए आरईजी के लिए आवेदन करना अपेक्षित है।

5. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के समय-समय पर संशोधित मोबाइल नंबर या ई-मेल पते में परिवर्तन को सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के पश्चात् ही किया जाएगा।

6. स्थायी लेखा संख्या, आधार, निदेशक पहचान संख्या, चालान पहचान संख्या से संबंधित सभी सूचना का आनलाइन विधिमान्यकरण प्रणाली द्वारा किया जाएगा तथा आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) आवश्यक फील्ड के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के पश्चात् सृजित की जाएगी।

7. आवेदन की प्रास्थिति का सामान्य पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है।

8. संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है।

9. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अल्पव्य नहीं होगा।

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 15

[नियम 19 (1) देखिए]

संदर्भ संख्या - **<< >>** तारीख - दिन/ मास/वर्ष

सेवा में

(नाम)

(पता)

आरईजी संख्या (माल और सेवा कर पहचान संख्या/*विशिष्ट पहचान संख्या*)

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) तारीख - दिन/ मास/वर्ष

संशोधन आदेश

आपकी आवेदन संख्या ------ तारीख ---- जो आरईजी विशिष्टियों में संशोधन के संबंध में है, को निर्दिष्ट करें। आपके आवेदन की जांच की गई है और उसे सही पाया गया है। आरईजी का संशोधन प्रमाण पत्र डाउनलोड किए जाने के लिए आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

तारीख

स्थान

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 16

[नियम 20 देखिए]

आरईजी रद्द करने के लिए आवेदन

1	जीएसटीआईएन	
2	विधिक नाम	
3	व्यापार नाम, यदि कोई हो	

4	कारबार के प्रधान स्थान का पता			
5	भावी पत्राचार के लिए पता (ईमेल, मोबाइल टेलीफोन, फ़ैक्स सहित)	भवन संख्या/फ्लैट संख्या		मंजिल
		परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली
		शहर/कस्बा/गाँव		जिला
		ब्लॉक/तालुका		
		अक्षांश		देशान्तर
		राज्य		पिन कोड
		मोबाइल (देश कोड के साथ)		टेलीफोन
		ईमेल		फैक्स संख्या
6.	रद्द करने के कारण (एक चुने)	○ कारबार को जारी न रखना/ समापन ○ कर का संदाय करने के लिए दायी होने का समाप्त होना ○ समामेलन, आमेलन/अविलयन, विक्रय, पट्टा या अन्यथा निपटान के कारण कारबार का अंतरण आदि । ○ कारबार के गठन में परिवर्तन के कारण स्थायी लेखा संख्या में परिवर्तन ○ एकल स्वतवधारी की मृत्यु ○ अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
7.	कारबार के अंतरण, विलयन की दशा में उस इकाई के आरईजी की विशिष्टियां, जिसमें विलयन, समामेलन, अंतरण आदि किया गया है			
(i)	माल और सेवा कर पहचान संख्या			
(ii)	(क) नाम (विधिक)			
	(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो			
(iii)	कारबार के प्रधान स्थान का पता	भवन संख्या/फ्लैट संख्या		मंजिल
		परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली
		शहर/कस्बा/गाँव		जिला
		ब्लॉक/तालुका		
		अक्षांश		देशान्तर
		राज्य		पिन कोड

		मोबाइल (देश कोड के साथ)		टेलीफोन
		ईमेल		फैक्स संख्या
8.	तारीख जिससे आरईजी रद्द किया जाना है।		दिन/ मास/वर्ष	
9.	फाइल किए गए अंतिम रिटर्न की विशिष्टियां			
(i)	कर अवधि			
(ii)	आवेदन संदर्भ संख्या			
(iii)	तारीख			
10.	आरईजी के रद्द करने की प्रभावी तारीख को स्टॉक में धारित इनपुट/पूंजी मालों के संबंध में संदेय कर की रकम			

	विवरण	स्टॉक का मूल्य (रु.)	संदेय इनपुट कर/कर (जो भी अधिक हो) (रुपए)				
			केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	इनपुट						
	अर्द्ध तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुट						
	तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुट						
	पूंजी माल/संयंत्र और मशीनरी						
	योग						

11. संदत्त कर के ब्यौरे, यदि कोई हो

रोकड़ खाते से संदाय

क्रम सं.	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1.						
2.						
	उप-योग					

आईटीसी खाते से संदाय

क्रम सं.	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1.						
2.						
	उप-योग					

	संदत्त कर की कुल रकम					

12. अपलोड किए गए दस्तावेज

13. सत्यापन

मैं/हम सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं/ करते हैं कि और यह घोषणा करता हूं/ करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
तारीख	पदनाम/प्रास्थिति

रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुदेश

अपने आरईजी को रद्द करने की वांछा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन, जिसमें इतिशेष स्टॉक और उस पर दायित्व के ब्यौरों के साथ सुसंगत दस्तावेज होंगे, आम पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा।

- निम्नलिखित व्यक्ति, जो लागू हो, रद्द करने के लिए आवेदन पर डिजीटल रूप से हस्ताक्षर करेंगे :

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है
स्वत्वधारिता	स्वत्वधारी
भागीदारी	प्रबंधक/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सोसाइटी/क्लब/न्यास/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
असीमित कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	नामनिर्दिष्ट भागीदार
स्थानीय प्राधिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	प्रभारी व्यक्ति

स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में आवेदन संबंधित कर प्राधिकारियों के समक्ष मैनुअल रूप से उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तरवर्ती द्वारा किया जाएगा। नई इकाई, जिसमें आवेदक स्वयं का समामेलन करने का प्रस्ताव करता है, को कर प्राधिकारी के पास उसके रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। यह आवेदन केवल नई इकाई को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

रद् करने के लिए आवेदन करने से पूर्व उस कर अवधि के लिए कृपया अपनी सम्यक् कर विवरणी फाइल करें, जिसमें आरईजी का अभ्यर्पण करने की प्रभावी तारीख आती है।

- आवेदन की प्रास्थिति का सामान्य पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है।

- रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है।
- आरईजी रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति संदाय करेगा, यदि इस आवेदन को करने के समय नहीं किया गया है तो और अधिनियम में यथाउपबंधित अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने संपर्क के पते को अपडेट करेगा तथा मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को भी अपडेट करेगा।

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 17

[नियम 22(1) देखिए]

संदर्भ संख्या - << तारीख >>

सेवा में

आरईजी संख्या (जीएसटीआईएन/यूआईएन)

(नाम)

(पता)

आरईजी रद्द करने के लिए कारण बताओ सूचना

मेरी सूचना में आई जानकारी के आधार पर यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित कारणों से आपका आरईजी रद्द करने का दायी है : -

1

2

3

...

? आपको इस सूचना का प्रत्युत्तर इस नोटिस की तामील की तारीख से सात कार्यदिवस के भीतर देने का निदेश दिया जाता है।

? आपको अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिन/ मास/वर्ष को घंटा/मिनट पर उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है

यदि आप उपदर्शित तारीख के भीतर प्रत्युत्तर देने में असफल रहते हैं या या नियत तारीख और समय पर वैयक्तिक सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेखों और गुणागुण के आधार पर एकतरफा विनिश्चय किया जाएगा।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 18

[नियम 22 (2) देखिए]

आरईजी रद्द करने के लिए जारी कारण बताओ सूचना का प्रत्युत्तर

1.	संदर्भ सूचना की संख्या		जारी करने की तारिख	
2.	जीएसटीआईएन/यूआईएन			
3.	कारबार का नाम (विधिक)			
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो			
5.	सूचना का प्रत्युत्तर			
6.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची			
7.	सत्यापन मैं _______________ सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और यह घोषित करता हूं कि यहां ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नाम पदनाम/प्रास्थिति स्थान तारीख			

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 19

[नियम 22 (3) देखिए]

संदर्भ संख्या - तारीख

सेवा में

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या/*विशिष्ट पहचान संख्या*

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) तारीख

आरईजी रद्द करने के लिए आदेश

आपके तारीख ----- के प्रत्युत्तर के संदर्भ में तारीख .... की कारण बताओ सूचना के संदर्भ में

- और कारण बताओं सूचना का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है ; या

- और सुनवाई के लिए नियत दिन को आप उपस्थित नहीं हुए थे ; या

- और अद्योहस्ताक्षरी ने सुनवाई के समय दिए गए आपके प्रत्युत्तर और दलीलों की जांच की है और उसका यह मत है कि आपका आरईजी निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने का दायी है ।

1.

2.

आपके आरईजी के रद्द किए जाने की प्रभावी तारीख << दिन/मास/वर्ष >> है ।

<u>रद्दकरण के अनुसरण में संदेय रकम का अवधारण:</u>

तदनुसार, आपके द्वारा संदेय रकम और उसकी संगणना तथा उसके आधार निम्नानुसार हैं :

पूर्वोक्त संदेय अवधारण की जाने वाली रकम किसी अन्य रकम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जो आपके द्वारा अंतिम विवरण प्रस्तुत किए जाने पर संदेय हो सकती है ।

आपसे .... (तारीख) को या उससे पूर्व निम्नलिखित रकमों का संदाय करना अपेक्षित है, जिसके न हो सकने पर रकम की अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी ।

शीर्ष	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
योग					

स्थान:

तारीख: हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 20

[नियम 22 (4) देखिए]

संदर्भ संख्या - तारीख

सेवा में

नाम

पता

जीएसटीआईएन/यूआईएन

कारण बताओं सूचना संख्या तारीख

आरईजी को रद्द करने के लिए कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए आदेश

आपके तारीख ……….. की कारण बताओं सूचना दिन/ मास/वर्ष के प्रत्युत्तर के उत्तर को निर्दिष्ट करें । सुनवाई के दौरान दिए गए आपके उत्तर और/या दलीलों पर विचार करने पर आरईजी को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से समाप्त की जाती हैं :

<< पाठ >>

स्थान:

तारीख: हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटीआरईजी-21

[नियम 23(1)देखें]

आरईजी के रद्दीकरण के विखंडन के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन (रद्द)						
2.	विधिक नाम						
3.	व्यापारिक नाम, यदि कोई हों						
4.	पता (कारबार का मूल स्थान)						
5.	रद्दकरण आदेश सं.			तारीख –			
6	रद्दकरण के कारण						
7	फाइल की गई अंतिम विवरणी का ब्यौरा						
	विवरणी की अवधि		आवेदन निदेश संख्यांक		फाइल करने की तारीख	दिन/ मास/वर्ष	
8	रद्दकरण के विखंडन का कारण	संक्षिप्त में कारण (विस्तृत कारण संलग्नक के रूप में संलग्न किए जा सकते है)					
9	अपलोड दस्तावेज						
10.	सत्यापन मैं शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है तथा उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है । प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पूरा नाम (प्रथम नाम, मध्य, उपनाम) पदनाम/प्रास्थिति स्थान						

	तारीख

आरईजी के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

- किसी व्यक्ति जिसका आरईजी समुचित अधिकारी द्वारा अपनेआप रद्द कर दिया गया है, समान पोर्टल संख्या आवेदन पर आरईजी के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन में आरईजी के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन कर सकेगा । यदि आरईजी विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण रद्द हुए है तो ऐसी विवरणी प्रस्तुत की जा सकेगी तथा ऐसी विवरणी में कर के रूप में शोध्य कोई रकम ब्याज के लिए संदेय किसी रकम के साथ संदत्त की जाएगी ।
- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में किसी परिवर्तन को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा और इनके आनलाईन सत्यापन के पश्चात् समान पोर्टल के माध्यम से विहित रीति में इनको संशोधित किया जाएगा ।
- समान पोर्टल पर आवेदन की प्रास्थिति देखी जा सकेगी ।
- रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई शुल्क संदेय नहीं होगा ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-22

[नियम 23(2देखें]

संदर्भ सं. - तारीख

सेवा में

जीएसटीआईएन/यूआईएन

(करदाता का नाम)

(पता)

आवेदन संदर्ब सं. (एआरएन) तारीख

रजिस्ट्रेशन के रद्दकरण के विखंडन के लिए आदेश

रजिस्ट्रेशन के रद्दकरण के विखंडन के लिए अपने आवेदन तारीख दिन/ मास /वर्ष का संदर्भ लें । आपके आवेदन का परीक्षण किया जा चुका है और उसको सही पाया गया है, आपका आरईजी प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

समुचित अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

(पदनाम)

अधिकारिता –

तारीख

स्थान

प्ररूप जीएसटी-23

[नियम 23(3)देखें]

संदर्भ सं. : तारीख

सेवा में,

आवेदक/ करदाता का नाम

आवेदक/ करदाता का पता

जीएसटीआईएन

आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन): तारीख

आरईजी के रद्दकरण के विखंडन के आवेदन को खारिज करने के लिए कारण बताओ नोटिस

आरईजी के रद्दकरण के विखंडन के बाबत अपने आवेदन तारीख दिन/मास/वर्ष का संदर्भ लें । आपके आवेदन का परीक्षण किया गया और उसके निम्नलिखित कारणों के कारण खारिज होने योग्य पाया गया :

1.

2.

3.

…

? आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप इस नोटिस के तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों में इस नोटिस का उत्तर दें ।

? आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप दिन/मास/वर्ष को समय घंटा/मिनट पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों ।

यदि आप निर्धारित समय में अपना उत्तर देने में असफल रहते है या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते है तो मामला उपलब्ध अभिलेखों और गुणदोषों के आधार पर एकपक्षीय विनिश्चित कर दिया जाएगा ।

हस्ताक्षर

समुचित अधिकारी का नाम

(पदनाम)

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटीआरईजी-24

[नियम 23(3)देखें]

आरईजी के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन को खारिज करने के नोटिस का उत्तर

1.	नोटिस की संदर्भ सं.		तारीख	
2.	आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन)		तारीख	
3.	जीएसटीआईएन, यदि लागू हों			
4.	सूचना/कारण			
5.	फाइल दस्तावेजों की सूची			

6.	सत्यापन मैं ____ शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है तथा उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है । प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पूरा नाम पदनाम/प्रास्थिति तारीख स्थान

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

प्ररूप जीएसटी आरईजी-**25**

[नियम 24(1)देखें]

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

1.	अनंतिम पहचान			
2.	स्थायी खाता संख्यांक			
3.	विधिक नाम			
4.	व्यापारिक नाम			
5.	विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे			
	अधिनियम		रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
(क)				
(ख)				
(ग)				
तारीख	<प्रमाणपत्र के सृजन की तारीख>		स्थान	<राज्य>

अनंतिम रजिस्ट्रेशन का यह प्रमाणपत्र अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी -26

(नियम 24(2) देंखे

विद्यमान करदाता के नामांकन के लिए आवेदन	
करदाता का ब्यौरा	
1. अनंतिम पहचान	
2. विधिक नाम (स्थायी खाता सं. के अनुसार)	
3. विधिक नाम (राज्य/केन्द्र के अनुसार)	
4. व्यापारिक नाम, यदि कोई है	
5. कारबार का स्थायी खाता सं.	
6. गठन	
7. राज्य	
7अ. सेक्टर, सर्किल, वार्ड इत्यादि, जो लागू हों	
7आ. अधिकारिता केन्द्र	
8. रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए दायित्व का कारण	पूर्ववर्ती विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण

9. विद्यमान रजिस्ट्रीकरण

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण की तारीख
1	मूल्य वर्धित कर के अधीन टिन		
2	केन्द्रीय विक्रयकर रजिस्ट्रीकरण सं.		
3	प्रविष्टि कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
4	मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
5	होटल और लग्जरी कर रजिस्ट्रीकरण सं		
6	केन्द्रीय उत्पाद रजिस्ट्रीकरण सं.		
7	सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
8	कारपोरेट पहचान सं./विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण		
9	सीमित दायित्व साझेदारी पहचान सं./विदेशी सीमित दायित्व साझेदारी पहचान सं.		
10	आयात/निर्यातक कोड सं.		
11	औषधिय और प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण		
12	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

10. कारबार के मूल स्थान का ब्यौरा			
भवन सं. /फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
स्थान/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
अक्षांश		देशान्तर	
संपर्क सूचना			
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष सं.	
मोबाइल सं.		कार्यालय फैक्स सं.	
10अ. परिसर के कब्जे की प्रकृति	(अपनी, पट्टे पर, किराए पर, सहमति से, साझेदारी)		
10आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाक्लापों की प्रकृति			
फैक्ट्री/निर्माण ○	थोक कारबार ○	खुदरा कारबार ○	भंडागार/डिपो ○
बांडेड भंडागार ○	सेवा उपबंध ○	कार्यालय/विक्रय कार्यालय ○	पट्टा कारबार ○
सेवा प्राप्तकर्ता ○	ईओयू/एसटीपी/ईए चटीपी ○	एस ई जैड ○	निवेश सेवा वितरक ○
संकर्म संविदा ○	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) ○		
11. कारबार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा			
भवन सं. /फ्लैट सं.		फ्लैट सं.	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
स्थान/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
अक्षांश		देशान्तर	
संपर्क सूचना			
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष सं.	
मोबाइल सं.		कार्यालय फैक्स सं.	
11अ. परिसर के कब्जे की प्रकृति	(अपनी, पट्टे पर, किराए पर, सहमति से, साझेदारी)		
11आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाकलापों की प्रकृति			
फैक्ट्री/निर्माण ○	थोक कारबार ○	फैक्ट्री/निर्माण ○	थोक कारबार ○
बांडेड भंडागार ○	सेवा उपबंध ○	बांडेड भंडागार ○	सेवा उपवन ○
सेवा प्राप्तकर्ता ○	ईओयू/एसटीपी/ईए चटीपी ○	सेवा प्राप्तकर्ता ○	ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी ○

संकर्म संविदा ○		अन्य (विनिर्दिष्ट करें) ○	कार्य संविदा ○	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) ○	
और जोड़ें					
कारबार द्वारा प्रदाय किए जाने वाला माल/सेवा का ब्यौरा					
क्रम सं.	माल का ब्यौरा			एचएसएन कोड	
क्रम सं.	सेवा का ब्यौरा			एचएसएन कोड	

13. कारबार चलाने के लिए आपके द्वारा रखे गए कुल बैंक खाते					
क्रम सं.	**खाता सं.**	**खाता का प्रकार**	**आईएफएससी**	**बैंक का नाम**	**शाखा का खाता**

14. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे					
नाम		**प्रथम नाम**	**मध्य नाम**	**अंतिम नाम**	**फोटो**
पिता/पति का नाम		**प्रथम नाम**	**मध्य नाम**	**अंतिम नाम**	
जन्म तिथि	**दिन/मास/वर्ष**	**लिंग**		**पुरुष, स्त्री, अन्य**	
मोबाईल सं.			**ई-मेल पता**		
टेलीफोन सं.					
पहचान सूचना					
पदनाम		**निदेशक पहचान सं.**			
स्थायी खाता संख्या		**आधार सं.**			
क्या आप भारत के नागरिक हैं		**हां या नहीं**	**पासपोर्ट सं.**		
निवास का पता					
भवन/फ्लैट सं.			**तल सं.**		
परिसर/भवन का नाम			**सड़क**/गली		
स्थान/ग्राम			**जिला**		
राज्य			**पिन कोड**		

15. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे					
नाम		**प्रथम नाम**	**मध्य नाम**	**अंतिम नाम**	**फोटो**
पिता/पति का नाम		**प्रथम नाम**	**मध्य नाम**	**अंतिम नाम**	

जन्म तिथि	**दिन/मास/वर्ष**	**लिंग**	**पुरुष, स्त्री, अन्य**	
मोबाईल सं.		**ई-मेल पता**		
टेलीफोन सं.				
पहचान सूचना				
पदनाम		**निदेशक पहचान सं.**		
स्थायी खाता संख्या		**आधार सं.**		
क्या आप भारत के नागरिक हैं	**हां या नहीं**	**पासपोर्ट सं.**		
निवास का पता				
भवन/फ्लैट सं.		**तल सं.**		
परिसर/भवन का नाम		**सड़क/गली**		
स्थान/ग्राम		**जिला**		
राज्य		**पिन कोड**		
और जोड़ें				

अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची

दस्तावेजों की पारंपरिक सूची जिनका प्ररूप में क्षेत्रमूल्य के अनुसार अपलोड किया जाना अपेक्षित है, सूची में (अनुदेश देंखे) में प्रत्येक प्रविष्टि के सामने अपलोड सुसंगत दस्तावेज के लिए उपबंध के साथ स्वतः आ जाने चाहिए। 16. मैं, प्ररूप में प्रदत्त आधार संख्याओं के धारकों के निमित्त माल और सेवाकर नैटवर्क को अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए यूआईडीएआई से ब्यौरे प्राप्त करने की सहमति देता हूं। माल और सेवाकर नैटवर्क ने मुझे सूचित कर दिया है कि पहचान सूचना आधार धारक की पहचान को वैधता के लिए प्रयोग किया जाएगा तथा अभिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान डाटा रक्षण के साथ साझा की जाएगी।

17. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है तथा इसमें कुछ नहीं छिपाया गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम		**स्थान**	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम		**तारीख**	

नामांकन के लिए आवेदन को फाइल करने के लिए अनुदेश

1. प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर कटौती करने वाले से भिन्न या निवेश सेवा वितरक जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी लेखा सं. रखता है, उसके ई-मेल और मोबाइल सं. वैधता द्वारा समान पोर्टल पर नामांकित किया जाएगा।
2. खंड (क) के अधीन नामांकन पर उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर आरईजी प्रमाणपत्र प्रदत्त किया जाएगा और प्ररूप जी. एस. टी. आर. ई. जी. 25 में आरईजी प्रमाणपत्र जिसमें माल और सेवाकर पहचान सं. होगी को समान पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
3. अधिप्रमाणन प्ररूप –

आवेदन प्ररूप में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए अधिप्रमाणन या प्रबंध समिति या बोर्ड निदेशकों के संकल्प प्रति निम्नलिखित फोरमेट में फाइल की जाएगी।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक)

1.

(मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे)

1. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे

2.

3.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि माल और सेवा पहचान सं. – कारबार का नाम, कारबार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करता हूं जिसके लिए माल और सेवा कर अधिनियम, 20 – के अधीन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन फाइल किया जाना है /रजिस्ट्रीकृत है ।

इस कारोबार के संबंध में उसके सभी कृत्य मुझ /हम पर बाध्यकारी हैं ।

व्यक्तियों के हस्ताक्षर जो मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि हैं ।

क्रम सं.	पूरा नाम	पद /प्रास्थिति	हस्ताक्षर
1.			
2.			

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति

मैं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम शपथपूर्वक ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर बाध्यकारी होंगें ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख

स्थान

आनलाईन प्ररूप भरने के लिए अनुदेश

- जीएसटी पोर्टल पर लाग इन के लिए राज्य/वाणिज्यकर /केन्द्रीय उत्पाद/सेवाकर विभाग द्वारा यथा प्रदत्त अपनी अनंतिम पहचान और पासवर्ड प्रविष्ट करें ।
- प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सही ई-मेल, पता और मोबाइल सं. दिए जाएं । ई-मेल पता और मोबाइल पते प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सम्पर्क सूचना के रूप में भरे जाएं ।
- पृथक वन टाइम पासवर्ड द्वारा सत्यापित किए जाएं । करदाता प्रथम लाग इन के पश्चात् अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बदल लेगा ।
- करदाता को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड कारबार का मूल स्थान और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के ब्यौरों के संबंध में आवेदन प्ररूप में अपेक्षित सूचनाएं भरना अपेक्षित होगा ।
- माल और सेवाओं (ऊपर की पांच) के संबंध में सेवाओं के लिए कारबार के अतिरिक्त, बैंक खाता वस्तुओं से संबंधित सूचना भरी जाना भी अपेक्षित है ।
- आवेदक को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई कापी अपलोड करना आवश्यक है ।

- विनिर्दिष्ट संलग्नक के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में घोषित करने की दशा में आवेदक को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई कापी अपलोड करना आवश्यक है।
- साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे –

1.	आवेदन प्ररूप में जहां फोटोग्राफ विनिर्दिष्ट हों (अधिकतम दस) मालिकाना संबंध- मालिक साझेदारी फर्म /सीमित दायित्व साझेदारी - प्रबंध /प्राधिकृत साझेदार (सभी साझेदारों के वैयक्तिक ब्यौरे दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें प्रबंध साझेदार को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं। हिन्दू अविभक्त कुटुंब - कर्ता कंपनी – प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति न्यास –प्रबंध न्यासी व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय – प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के वैयक्तिक ब्यौरे दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें अध्यक्ष को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं।) स्थानीय निकाय – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य कानूनी निकाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य अन्य – कार्यसाधक व्यक्ति
2.	कारबार का गठन – साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी विलेख, समिति, न्यास, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य इत्यादि में गठन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र /सबूत।
3.	कारबार के मूल /अतिरिक्त स्थान का सबूत (क) अपने परिसर के लिए – परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या म्युनिसिपल खाता प्रति या विल की प्रति (ख) किराए या पट्टे के परिसर के लिए – पट्टे के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित वैध किराए /पट्टा करार की प्रति जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या म्युनिसिपल खाता प्रति या विल की प्रति (ग) उपरोक्त क और ख में न आने वाले परिसर के लिए – सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामीत्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमति पत्र की प्रति जैसे म्युनिसिपल खाता प्रति या विद्युत बिल प्रति। साझेदार संपत्तियों के लिए ये दस्तावेज भी अपलोड किए जाएंगे
4	बैंक खाते से संबंधित सबूत बैंक पासबुक/बैंक विवरण के प्रथम पृष्ठ की स्केन की हुई प्रति बैक पासबुक के शुरुआती पृष्ठ जिसमें मालिक/संबंधित कारबार, खाता सं., खाता धारक का नाम, एमआईसीआर और आईएफएससी और शाखा ब्यौरे हों।
5	प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए – प्रबंध समिति या बोर्ड निदेशकों का प्राधिकरण पत्र या संकल्प की प्रति

	जो इस प्रभाव हेतु विनिर्दिष्ट हों

- सूचना इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के पश्चात् अपेक्षित होगी। निम्नलिखित व्यक्ति नामांकन के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं -

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजीटल हस्ताक्षर कर सकते हैं
स्वामित्व	स्वामी
साझेदारी	प्रबंध/प्राधिकृत साझीदार
हिन्दु अविभक्त परिवार	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समिति /क्लब /न्यास/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
लोक सैक्टर उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनलिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाविहित साझेदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
संवैधानिक निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी Partnership	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	भारसाधक व्यक्ति

- आवेदन अनिवार्य रूप से डिजीटल हस्ताक्षरित निम्नलिखित रूप में होने चाहिए -

क्रम सं.	आवेदक का प्रकार	डिजीटल हस्ताक्षर अपेक्षित हैं
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी लोक सैक्टर उपक्रम अनलिमिटेड कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वर्ग 2 और उपरोक्त
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वर्ग 2 और उपरोक्त

		ई-हस्ताक्षर

नोट :- 1. आवेदक से समान पोर्टल पर अपने डीएससी. को रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित होगा ।

2. ई-हस्ताक्षर सुविधा आधार धारकों के लिए समान पोर्टल पर उपलब्ध होगी ।

स्थायी लेखा सं., आधार, निदेशक, पहचान सं., चालान, पहचान सं., सीमित दायित्व भागीदारी पहचान सं. से संबंधित सभी सूचनाएं सिस्टम द्वारा आनलाईन विधिमान्य किया जाएगा और पावती निदेश संख्या भरी गई सभी सुचनाओं के सफलतापूर्वक विधिमान्य होने के पश्चात् सृजित होंगी । आनलाइन भरे गए आवेदन की प्रास्थिति समान पोर्टल पर देखी जा सकेगी ।

1. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होना चाहिए ।

2. नामांकन के लिए आवेदन भरने हेतु कोई शुल्क लागू नहीं होगा ।

अभिस्वीकृति

नामांकन आवेदन – जी. एस. टी. प्ररूप – आवेदन संदर्भ संख्या (ए. आर. एन.)----- के विरुद्ध फाइल की गई

प्ररूप सं. : <…….-……>

प्ररूप विवरण : <विद्यमान करदाताओं के नामांकन के लिए आवेदन>

फाइल करने की तारीख : <दिन/मास/वर्ष>

करदाता का व्यापारिक नाम : <व्यापारिक नाम>

करदाता का विधिक नाम : <राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा विधिक नाम

अनंतिम पहचान सं. अनंतिम पहचान सं.

यह सिस्टम से सृजित पावती है और इसमें हस्ताक्षर होना अपेक्षित नहीं है ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-27

(नियम 24(3) देखें)

संदर्भ सं. <तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

सेवा में,

अनंतिम पहचान

नाम

पता

आवेदन संदर्भ सं. (ए.आर.एन.) < > <तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

अनंतिम आरईजी के रद्दकरण के लिए कारण बताओ नोटिस

अपने आवेदन तारीख ....का संदर्भ लें । आवेदन का परीक्षण किया गया और निम्नलिखित कारणों से यह संतोषप्रद नहीं पाया गया:-

1

2

…

आपको यह निदेश दिया जाता है कि आपको प्रदत्त अनंतिम प्रमाणपत्र क्यों न रद्द कर दिया जाए, बताएं ।

हस्ताक्षर

समुचित प्राधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता

तारीख

स्थान

प्ररूप जीएसटी आरईजी-28

[नियम 24(3) देखें]

संदर्भ सं. <तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

सेवा में,

पहचान

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान सं. /अनंतिम पहचान

आवेदन संदर्भ सं. (ए.आर.एन.) < > <तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

अनंतिम आरईजी के रद्दकरण के लिए आदेश

कारण बताओ नोटिस तारीख................. के संबंध में आपके उत्तर तारीख .... के संदर्भ में --

☐ कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया है; या

☐ सुनवाई के लिए नियत दिन पर आप उपस्थित नहीं हुए; या

☐ अधोहस्ताक्षरी ने आपके उत्तर और सुनवाई के समय किए गए कथनों का परीक्षण किया और उनका विचार यह है कि आपका अनंतिम रजस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने का दायी है ।

1.

2.

<u>अनंतिम आरईजी के रद्दकरण के अनुसरण में संदेय रकम का अवधारण</u>

तदनुसार आपके द्वारा संदेय रकम और उसकी संगणना तथा उसके आधार निम्नलिखित हैं:

आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि निम्नलिखित रकम तारीख .... तक या उससे पूर्व संदेय करें जिसके असफल होने पर रकम इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए हुए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में वसूल की जाएगी ।

शीर्ष	**केन्द्रीय कर**	**राज्य कर**	**संघ राज्य कर**	**समेकित कर**	**उपकर**
कर					
ब्याज					
शास्ति					

अन्य					
कुल					

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

< अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता

प्ररुप जी.एस.टी. आरईजी-29

[नियम 24(4) देखें]

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन

भाग अ

(i) अनंतिम आई डी	
(ii) ईमेल आई डी	
(iii) मोबाईल नंबर	

भाग आ

1. विधिक नाम (स्थाई खाता संख्या के अनुसार)	
2. पत्र-व्यवहार के लिए पता	

भवन संख्या/ फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर का नाम/भवन		सड़क/गली	
शहर/कस्बा/गांव/परिक्षेत्र		जिला	
ब्लाक/ताल्लुका			
राज्य		3. रद्दकरण के लिए कारण	

1. जी.एस.टी अवधि के दौरान किसी कर बीजक को आपने जारी किया है	हां ☐	☐	

2. घोषणा

(i) मैं <स्वत्वधारी/कर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>,< विधिक नाम> के <पदनाम > के रुप में एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन मैं आरईजी के लिए दायी नहीं हूं।

6.सत्यापन मैं < > सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि यहां उपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।			
आधार सं.		स्थाई खाता सं.	
			प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
पूरा नाम			
पदनाम/प्रास्थिति			
स्थान			
तारीख		तारीख/मास/वर्ष	

प्ररुप जी.एस.टी. आरईजी-30

[नियम 25 देखें]

क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्ररुप

केन्द्रीय अधिकारिता (वार्ड/सर्किल/जोन)

अधिकारी का नाम:- <<पहले से भरा जाए >>

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख:-

करादेय व्यक्ति का नाम

जी एस टी आई एन/यू आई एन –

द्वारा समनुदेशित कार्य:- < अधिकारी का नाम- पहले भरा जाए>

समनुदेशित कार्य की तारीख और समय:- < प्रणाली तारीख और समय>

क्रम सं.	विशिष्टियां	ईनपुट
1.	निरीक्षण की तारीख	
2.	निरीक्षण का समय	
3.	अवस्थान ब्यौरा	
	उत्तर–द्वारा आबद्ध	दक्षिण– द्वारा आबद्ध
	पश्चिम– द्वारा आबद्ध	पूर्व- द्वारा आबद्ध
4.	क्या पता वहीं है जैसा आवेदन में वर्णित है	हां/नही
5.	निरीक्षण के समय उपलब्ध व्यक्ति की विशिष्टियां	
(i)	नाम	

(ii)	पिता का नाम	
(iii)	आवासीय पता	
(iv)	मोबाईल संख्या	
(v)	पदनाम/प्रतिष्ठा	
(vi)	करादेय व्यक्ति के साथ संबंध, यदि लागू हो	
6.	कारबार की कार्यकरण की प्रास्थिति	कार्यकरण- हां/नही
7.	परिसर का ब्यौरा	
	खुली जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग)	
	छत्तदार जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग)	
	तल जिस पर कारबार परिसर स्थित है	
8.	स्थापित दस्तावेज	हां/नही
9.	स्थान के साथ व्यक्ति, जो उस स्थान पर मौजूद है जहां स्थल का सत्यापन किया गया, का फोटो अपलोड करना ।	
10.	टिप्पणी(100 शब्दों<से अनधिक> स्थान: तारीख: **हस्ताक्षर** < अधिकारी का नाम> पदनाम अधिकारिता	

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2017

No. 3 /2017 - Central Tax

G.S.R. 610(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

Chapter I

PRELIMINARY

1. Short title, Extent and Commencement.—(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from 22nd June, 2017.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017);

(b)"FORM" means a Form appended to these rules;

(c) "section" means a section of the Act;

(d)"Special Economic Zone" shall have the same meaning as assigned to it in clause (za) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

(e) words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter II

COMPOSITION RULES

3. Intimation for composition levy.—(1) Any person who has been granted registration on a provisional basis under clause (b) of sub-rule (1) of rule 24 and who opts to pay tax under section 10, shall electronically file an intimation in **FORM GST CMP-01**, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, prior to the appointed day, but not later than thirty days after the said day, or such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf:

Provided that where the intimation in **FORM GST CMP-01** is filed after the appointed day, the registered person shall not collect any tax from the appointed day but shall issue bill of supply for supplies made after the said day.

(2) Any person who applies for registration under sub-rule (1) of rule 8 may give an option to pay tax under section 10 in Part B of **FORM GST REG-01**, which shall be considered as an intimation to pay tax under the said section.

(3) Any registered person who opts to pay tax under section 10 shall electronically file an intimation in **FORM GST CMP-02**, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, prior to the commencement of the financial year for which the option to pay tax under the aforesaid section is exercised and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 within a period of sixty days from the commencement of the relevant financial year.

(4) Any person who files an intimation under sub-rule (1) to pay tax under section 10 shall furnish the details of stock, including the inward supply of goods received from unregistered persons, held by him on the day preceding the date from which he opts to pay tax under the said section, electronically, in **FORM GST CMP-03**, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, within a period of sixty days from the date on which the option for composition levy is exercised or within such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf.

(5) Any intimation under sub-rule (1) or sub-rule (3) in respect of any place of business in any State or Union territory shall be deemed to be an intimation in respect of all other places of business registered on the same Permanent Account Number.

4. Effective date for composition levy.—(1) The option to pay tax under section 10 shall be effective from the beginning of the financial year, where the intimation is filed under sub-rule (3) of rule 3 and the appointed day where the intimation is filed under sub-rule (1) of the said rule.

(2) The intimation under sub-rule (2) of rule 3, shall be considered only after the grant of registration to the applicant and his option to pay tax under section 10 shall be effective from the date fixed under sub-rule (2) or (3) of rule 10.

5. Conditions and restrictions for composition levy.—(1) The person exercising the option to pay tax under section 10 shall comply with the following conditions, namely:-

(a) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person;

(b)the goods held in stock by him on the appointed day have not been purchased in the course of inter-State trade or commerce or imported from a place outside India or received from his branch situated outside the State or from his agent or principal outside the State, where the option is exercised under sub-rule (1) of rule 3;

(c) the goods held in stock by him have not been purchased from an unregistered supplier and where purchased, he pays the tax under sub-section (4) of section 9;

(d) he shall pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 on inward supply of goods or services or both;

(e) he was not engaged in the manufacture of goods as notified under clause (e) of sub-section (2) of section 10, during the preceding financial year;

(f) he shall mention the words "composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies" at the top of the bill of supply issued by him; and

(g) he shall mention the words "composition taxable person" on every notice or signboard displayed at a prominent place at his principal place of business and at every additional place or places of business.

(2) The registered person paying tax under section 10 may not file a fresh intimation every year and he may continue to pay tax under the said section subject to the provisions of the Act and these rules.

6. Validity of composition levy.—(1) The option exercised by a registered person to pay tax under section 10 shall remain valid so long as he satisfies all the conditions mentioned in the said section and under these rules.

(2) The person referred to in sub-rule (1) shall be liable to pay tax under sub-section (1) of section 9 from the day he ceases to satisfy any of the conditions mentioned in section 10 or the provisions of this Chapter and shall issue tax invoice for every taxable supply made thereafter and he shall also file an intimation for withdrawal from the scheme in **FORM GST CMP-04** within seven days of the occurrence of such event.

(3) The registered person who intends to withdraw from the composition scheme shall, before the date of such withdrawal, file an application in **FORM GST CMP-04**, duly signed or verified through electronic verification code, electronically on the common portal.

(4) Where the proper officer has reasons to believe that the registered person was not eligible to pay tax under section 10 or has contravened the provisions of the Act or provisions of this Chapter, he may issue a notice to such person in **FORM GST CMP-05** to show cause within fifteen days of the receipt of such notice as to why the option to pay tax under section 10 shall not be denied.

(5) Upon receipt of the reply to the show cause notice issued under sub-rule (4) from the registered person in **FORM GST CMP-06**, the proper officer shall issue an order in **FORM GST CMP-07** within a period of thirty days of the receipt of such reply, either accepting the reply, or denying the option to pay tax under section 10 from the date of the option or from the date of the event concerning such contravention, as the case may be.

(6) Every person who has furnished an intimation under sub-rule (2) or filed an application for withdrawal under sub-rule (3) or a person in respect of whom an order of withdrawal of option has been passed in **FORM GST CMP-07** under sub-rule (5), may electronically furnish at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, a statement in **FORM GST ITC-01** containing details of the stock of inputs and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock by him on the date on which the option is withdrawn or denied, within a period of thirty days from the date from which the option is withdrawn or from the date of the order passed in **FORM GST CMP-07**, as the case may be.

(7) Any intimation or application for withdrawal under sub-rule (2) or (3) or denial of the option to pay tax under section 10 in accordance with sub-rule (5) in respect of any place of business in any State or Union territory, shall be deemed to be an intimation in respect of all other places of business registered on the same Permanent Account Number.

7. Rate of tax of the composition levy.—The category of registered persons, eligible for composition levy under section 10 and the provisions of this Chapter, specified in column (2) of the Table below shall pay tax under section 10 at the rate specified in column (3) of the said Table:-

Sl. No.	**Category of registered persons**	**Rate of tax**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	one per cent.
2.	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	two and a half per cent.
3.	Any other supplier eligible for composition levy under section 10 and the provisions of this Chapter	half per cent.

Chapter III

REGISTRATION

8. Application for registration.—(1) Every person, other than a non-resident taxable person, a person required to deduct tax at source under section 51, a person required to collect tax at source under section 52 and a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) who is liable to be registered under sub-section (1) of section 25 and every person seeking registration under sub-section (3) of section 25 (hereafter in this Chapter referred to as "the applicant") shall, before applying for registration, declare his Permanent Account Number, mobile number, e-mail address, State or Union territory in **Part A** of **FORM GST REG-01** on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that a person having a unit(s) in a Special Economic Zone or being a Special Economic Zone developer shall make a separate application for registration as a business vertical distinct from his other units located outside the Special Economic Zone:

Provided further that every person being an Input Service Distributor shall make a separate application for registration as such Input Service Distributor.

(2) (a) The Permanent Account Number shall be validated online by the common portal from the database maintained by the Central Board of Direct Taxes.

(b) The mobile number declared under sub-rule (1) shall be verified through a one-time password sent to the said mobile number; and

(c) The e-mail address declared under sub-rule (1) shall be verified through a separate one-time password sent to the said e-mail address.

(3) On successful verification of the Permanent Account Number, mobile number and e-mail address, a temporary reference number shall be generated and communicated to the applicant on the said mobile number and e-mail address.

(4) Using the reference number generated under sub-rule (3), the applicant shall electronically submit an application in **Part B** of **FORM GST REG-01**, duly signed or verified through electronic verification code, along with the documents specified in the said Form at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(5) On receipt of an application under sub-rule (4), an acknowledgement shall be issued electronically to the applicant in **FORM GST REG-02**.

(6) A person applying for registration as a casual taxable person shall be given a temporary reference number by the common portal for making advance deposit of tax in accordance with the provisions of section 27 and the acknowledgement under sub-rule (5) shall be issued electronically only after the said deposit.

9. Verification of the application and approval.—(1) The application shall be forwarded to the proper officer who shall examine the application and the accompanying documents and if the same are found to be in order, approve the grant of registration to the applicant within a period of three working days from the date of submission of the application.

(2) Where the application submitted under rule 8 is found to be deficient, either in terms of any information or any document required to be furnished under the said rule, or where the proper officer requires any clarification with regard to any information provided in the application or documents furnished therewith, he may issue a notice to the applicant electronically in **FORM GST REG-03** within a period of three working days from the date of submission of the application and the applicant shall furnish such clarification, information or documents electronically, in **FORM GST REG-04**, within a period of seven working days from the date of the receipt of such notice.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule, the expression "clarification" includes modification or correction of particulars declared in the application for registration, other than Permanent Account Number, State, mobile number and e-mail address declared in **Part A** of **FORM GST REG-01**.

(3) Where the proper officer is satisfied with the clarification, information or documents furnished by the applicant, he may approve the grant of registration to the applicant within a period of seven working days from the date of the receipt of such clarification or information or documents.

(4) Where no reply is furnished by the applicant in response to the notice issued under sub-rule (2) or where the proper officer is not satisfied with the clarification, information or documents furnished, he shall, for reasons to be recorded in writing, reject such application and inform the applicant electronically in **FORM GST REG-05.**

(5) If the proper officer fails to take any action, -

(a) within a period of three working days from the date of submission of the application; or

(b) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule (2),

the application for grant of registration shall be deemed to have been approved.

10. Issue of registration certificate.—(1) Subject to the provisions of sub-section (12) of section 25, where the application for grant of registration has been approved under rule 9, a certificate of registration in **FORM GST REG-06** showing the principal place of business and additional place or places of business shall be made available to the applicant on the common portal and a Goods and Services Tax Identification Number shall be assigned subject to the following characters, namely:-

(a) two characters for the State code;

(b) ten characters for the Permanent Account Number or the Tax Deduction and Collection Account Number;

(c) two characters for the entity code; and

(d) one checksum character.

(2) The registration shall be effective from the date on which the person becomes liable to registration where the application for registration has been submitted within a period of thirty days from such date.

(3) Where an application for registration has been submitted by the applicant after the expiry of thirty days from the date of his becoming liable to registration, the effective date of registration shall be the date of the grant of registration under sub-rule (1) or sub-rule (3) or sub-rule (5) of rule 9.

(4) Every certificate of registration shall be digitally signed by the proper officer under the Act.

(5) Where the registration has been granted under sub-rule (5) of rule 9, the applicant shall be communicated the registration number, and the certificate of registration under sub-rule (1), duly signed or verified through electronic verification code, shall be made available to him on the common portal, within a period of three days after the expiry of the period specified in sub-rule (5) of rule 9.

11. Separate registration for multiple business verticals within a State or a Union territory.—(1) Any person having multiple business verticals within a State or a Union territory, requiring a separate registration for any of its business verticals under sub-section (2) of section 25 shall be granted separate registration in respect of each of the verticals subject to the following conditions, namely:-

(a) such person has more than one business vertical as defined in clause (18) of section 2;

(b) the business vertical of a taxable person shall not be granted registration to pay tax under section 10 if any one of the other business verticals of the same person is paying tax under section 9;

(c) all separately registered business verticals of such person shall pay tax under the Act on supply of goods or services or both made to another registered business vertical of such person and issue a tax invoice for such supply.

Explanation.—For the purposes of clause (b), it is hereby clarified that where any business vertical of a registered person that has been granted a separate registration becomes ineligible to pay tax under section 10, all other business verticals of the said person shall become ineligible to pay tax under the said section.

(2) A registered person eligible to obtain separate registration for business verticals may submit a separate application in **FORM GST REG-01** in respect of each such vertical.

(3) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to the verification and the grant of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under this rule.

12. Grant of registration to persons required to deduct tax at source or to collect tax at source.—(1) Any person required to deduct tax in accordance with the provisions of section 51 or a person required to collect tax at source in accordance with the provisions of section 52 shall electronically submit an application, duly signed or verified through electronic verification code, in **FORM GST REG-07** for the grant of registration through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(2) The proper officer may grant registration after due verification and issue a certificate of registration in **FORM GST REG-06** within a period of three working days from the date of submission of the application.

(3) Where, upon an enquiry or pursuant to any other proceeding under the Act, the proper officer is satisfied that a person to whom a certificate of registration in **FORM GST REG-06** has been issued is no longer liable to deduct tax at source under section 51 or collect tax at source under section 52, the said officer may cancel the registration issued under sub-rule (2) and such cancellation shall be communicated to the said person electronically in **FORM GST REG-08:**

Provided that the proper officer shall follow the procedure as provided in rule 22 for the cancellation of registration.

13. Grant of registration to non-resident taxable person.—(1) A non-resident taxable person shall electronically submit an application, along with a self-attested copy of his valid passport, for registration, duly signed or verified through electronic verification code, in **FORM GST REG-09**, at least five days prior to the commencement of business at the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that in the case of a business entity incorporated or established outside India, the application for registration shall be submitted along with its tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country or its Permanent Account Number, if available.

(2) A person applying for registration as a non-resident taxable person shall be given a temporary reference number by the common portal for making an advance deposit of tax in accordance with the provisions of section 27 and the acknowledgement under sub-rule (5) of rule 8 shall be issued electronically only after the said deposit in his electronic cash ledger.

(3) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to the verification and the grant of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under this rule.

(4) The application for registration made by a non-resident taxable person shall be signed by his authorised signatory who shall be a person resident in India having a valid Permanent Account Number.

14. Grant of registration to a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient.— (1) Any person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient shall electronically submit an application for registration, duly signed or verified through electronic verification code, in **FORM GST REG-10**, at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(2) The applicant referred to in sub-rule (1) shall be granted registration, in **FORM GST REG-06,** subject to such conditions and restrictions and by such officer as may be notified by the Central Government on the recommendations of the Council.

15. Extension in period of operation by casual taxable person and non-resident taxable person.—(1) Where a registered casual taxable person or a non-resident taxable person intends to extend the period of registration indicated in his application of registration, an application in **FORM GST REG-11** shall be submitted electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, by such person before the end of the validity of registration granted to him.

(2) The application under sub-rule (1) shall be acknowledged only on payment of the amount specified in sub-section (2) of section 27.

16. *Suo moto* registration.—(1) Where, pursuant to any survey, enquiry, inspection, search or any other proceedings under the Act, the proper officer finds that a person liable to registration under the Act has failed to apply for such registration, such officer may register the said person on a temporary basis and issue an order in **FORM GST REG- 12**.

(2) The registration granted under sub-rule (1) shall be effective from the date of such order granting registration.

(3) Every person to whom a temporary registration has been granted under sub-rule (1) shall, within a period of ninety days from the date of the grant of such registration, submit an application for registration in the form and manner provided in rule 8 or rule 12:

Provided that where the said person has filed an appeal against the grant of temporary registration, in such case, the application for registration shall be submitted within a period of thirty days from the date of the issuance of the order upholding the liability to registration by the Appellate Authority.

(4) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to verification and the issue of the certificate of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under sub-rule (3).

(5) The Goods and Services Tax Identification Number assigned, pursuant to the verification under sub-rule (4), shall be effective from the date of the order granting registration under sub-rule (1).

17. Assignment of Unique Identity Number to certain special entities.—(1) Every person required to be granted a Unique Identity Number in accordance with the provisions of sub-section (9) of section 25 may submit an application electronically in **FORM GST REG-13**, duly signed or verified through electronic verification code, in the manner specified in rule 8 at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(2) The proper officer may, upon submission of an application in **FORM GST REG-13** or after filling up the said form, assign a Unique Identity Number to the said person and issue a certificate in **FORM GST REG-06** within a period of three working days from the date of the submission of the application.

18. Display of registration certificate and Goods and Services Tax Identification Number on the name board.— (1) Every registered person shall display his certificate of registration in a prominent location at his principal place of business and at every additional place or places of business.

(2) Every registered person shall display his Goods and Services Tax Identification Number on the name board exhibited at the entry of his principal place of business and at every additional place or places of business.

19. Amendment of registration.—(1) Where there is any change in any of the particulars furnished in the application for registration in **FORM GST REG-01** or **FORM GST REG-07** or **FORM GST REG-09** or **FORM GST REG-10** or for Unique Identity Number in **FORM GST-REG-13**, either at the time of obtaining registration or Unique Identity Number or as amended from time to time, the registered person shall, within a period of fifteen days of such change, submit an application, duly signed or verified through electronic verification code, electronically in **FORM GST REG-14**, along with the documents relating to such change at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that – (a) where the change relates to,-

(i) legal name of business;

(ii) address of the principal place of business or any additional place(s) of business; or

(iii) addition, deletion or retirement of partners or directors, Karta, Managing Committee, Board of Trustees, Chief Executive Officer or equivalent, responsible for the day to day affairs of the business,-

which does not warrant cancellation of registration under section 29, the proper officer shall, after due verification, approve the amendment within a period of fifteen working days from the date of the receipt of the application in **FORM GST REG-14** and issue an order in **FORM GST REG-15** electronically and such amendment shall take effect from the date of the occurrence of the event warranting such amendment;

(b) the change relating to sub-clause (i) and sub-clause (iii) of clause (a) in any State or Union territory shall be applicable for all registrations of the registered person obtained under the provisions of this Chapter on the same Permanent Account Number;

(c) where the change relates to any particulars other than those specified in clause (a), the certificate of registration shall stand amended upon submission of the application in **FORM GST REG- 14** on the common portal;

(d) where a change in the constitution of any business results in the change of the Permanent Account Number of a registered person, the said person shall apply for fresh registration in **FORM GST REG-01**:

Provided further that any change in the mobile number or e-mail address of the authorised signatory submitted under this rule, as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal in the manner provided under the said rule.

(2) Where the proper officer is of the opinion that the amendment sought under sub-rule (1) is either not warranted or the documents furnished therewith are incomplete or incorrect, he may, within a period of fifteen working days from the date of the receipt of the application in **FORM GST REG-14**, serve a notice in **FORM GST REG-03,** requiring the registered person to show cause, within a period of seven working days of the service of the said notice, as to why the application submitted under sub-rule (1) shall not be rejected.

(3) The registered person shall furnish a reply to the notice to show cause, issued under sub-rule (2), in **FORM GST REG-04**, within a period of seven working days from the date of the service of the said notice.

(4) Where the reply furnished under sub-rule (3) is found to be not satisfactory or where no reply is furnished in response to the notice issued under sub-rule (2) within the period prescribed in sub-rule (3), the proper officer shall reject the application submitted under sub-rule (1) and pass an order in **FORM GST REG -05.**

(5) If the proper officer fails to take any action,-

(a) within a period of fifteen working days from the date of submission of the application, or

(b) within a period of seven working days from the date of the receipt of the reply to the notice to show cause under sub-rule (3),

the certificate of registration shall stand amended to the extent applied for and the amended certificate shall be made available to the registered person on the common portal.

20. Application for cancellation of registration.—A registered person, other than a person to whom a registration has been granted under rule 12 or a person to whom a Unique Identity Number has been granted under rule 17, seeking cancellation of his registration under sub-section (1) of section 29 shall electronically submit an application in **FORM GST REG-16,** including therein the details of inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and of capital goods held in stock on the date from which the cancellation of registration is sought, liability thereon, the details of the payment, if any, made against such liability and may furnish, along with the application, relevant documents in support thereof, at the common portal within a period of thirty days of the occurrence of the event warranting the cancellation, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that no application for the cancellation of registration shall be considered in case of a taxable person, who has registered voluntarily, before the expiry of a period of one year from the effective date of registration.

21. Registration to be cancelled in certain cases.—The registration granted to a person is liable to be cancelled, if the said person,-

(a) does not conduct any business from the declared place of business; or

(b) issues invoice or bill without supply of goods or services in violation of the provisions of this Act, or the rules made thereunder.

22. Cancellation of registration.—(1) Where the proper officer has reasons to believe that the registration of a person is liable to be cancelled under section 29, he shall issue a notice to such person in **FORM GST REG-17**, requiring him to show cause, within a period of seven working days from the date of the service of such notice, as to why his registration shall not be cancelled.

(2) The reply to the show cause notice issued under sub-rule (1) shall be furnished in **FORM REG–18** within the period specified in the said sub-rule.

(3) Where a person who has submitted an application for cancellation of his registration is no longer liable to be registered or his registration is liable to be cancelled, the proper officer shall issue an order in **FORM GST REG-19**, within a period of thirty days from the date of application submitted under sub-rule (1) of rule 20 or, as the case may be, the date of the reply to the show cause issued under sub-rule (1), cancel the registration, with effect from a date to be determined by him and notify the taxable person, directing him to pay arrears of any tax, interest or penalty including the amount liable to be paid under sub-section (5) of section 29.

(4) Where the reply furnished under sub-rule (2) is found to be satisfactory, the proper officer shall drop the proceedings and pass an order in **FORM GST REG –20.**

(5) The provisions of sub-rule (3) shall, *mutatis mutandis*, apply to the legal heirs of a deceased proprietor, as if the application had been submitted by the proprietor himself.

23. Revocation of cancellation of registration.—(1) A registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may submit an application for revocation of cancellation of registration, in **FORM GST REG-21**, to such proper officer, within a period of thirty days from the date of the service of the order of cancellation of registration at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that no application for revocation shall be filed, if the registration has been cancelled for the failure of the registered person to furnish returns, unless such returns are furnished and any amount due as tax, in terms of such returns, has been paid along with any amount payable towards interest, penalty and late fee in respect of the said returns.

(2) (a) Where the proper officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that there are sufficient grounds for revocation of cancellation of registration, he shall revoke the cancellation of registration by an order in **FORM GST REG-22** within a period of thirty days from the date of the receipt of the application and communicate the same to the applicant.

(b) The proper officer may, for reasons to be recorded in writing, under circumstances other than those specified in clause (a), by an order in **FORM GST REG-05**, reject the application for revocation of cancellation of registration and communicate the same to the applicant.

(3) The proper officer shall, before passing the order referred to in clause (b) of sub-rule (2), issue a notice in **FORM GST REG–23** requiring the applicant to show cause as to why the application submitted for revocation under sub-rule (1) should not be rejected and the applicant shall furnish the reply within a period of seven working days from the date of the service of the notice in **FORM GST REG-24**.

(4) Upon receipt of the information or clarification in **FORM GST REG-24**, the proper officer shall proceed to dispose of the application in the manner specified in sub-rule (2) within a period of thirty days from the date of the receipt of such information or clarification from the applicant.

24. Migration of persons registered under the existing law.—(1) (a) Every person, other than a person deducting tax at source or an Input Service Distributor, registered under an existing law and having a Permanent Account Number issued under the provisions of the Income-tax Act, 1961 (Act 43 of 1961) shall enrol on the common portal by validating his e-mail address and mobile number, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(b) Upon enrolment under clause (a), the said person shall be granted registration on a provisional basis and a certificate of registration in **FORM GST REG-25**, incorporating the Goods and Services Tax Identification Number therein, shall be made available to him on the common portal:

Provided that a taxable person who has been granted multiple registrations under the existing law on the basis of a single Permanent Account Number shall be granted only one provisional registration under the Act:

Provided further that a person having centralised registration under the provisions of Chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) shall be granted only one provisional registration in the State or Union territory in which he is registered under the existing law.

(2) (a) Every person who has been granted a provisional registration under sub-rule (1) shall submit an application electronically in **FORM GST REG–26**, duly signed or verified through electronic verification code, along with the information and documents specified in the said application, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(b) The information asked for in clause (a) shall be furnished within a period of three months or within such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf.

(c) If the information and the particulars furnished in the application are found, by the proper officer, to be correct and complete, a certificate of registration in **FORM GST REG-06** shall be made available to the registered person electronically on the common portal.

(3) Where the particulars or information specified in sub-rule (2) have either not been furnished or not found to be correct or complete, the proper officer shall, after serving a notice to show cause in **FORM GST REG-27** and after affording the person concerned a reasonable opportunity of being heard, cancel the provisional registration granted under sub-rule (1) and issue an order in **FORM GST REG-28**:

Provided that the show cause notice issued in **FORM GST REG- 27** can be withdrawn by issuing an order in **FORM GST REG- 20**, if it is found, after affording the person an opportunity of being heard, that no such cause exists for which the notice was issued.

(4) Every person registered under any of the existing laws, who is not liable to be registered under the Act may, within a period of thirty days from the appointed day, at his option, submit an application electronically in **FORM GST REG-29** at the common portal for the cancellation of registration granted to him and the proper officer shall, after conducting such enquiry as deemed fit, cancel the said registration.

25. Physical verification of business premises in certain cases.—Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a registered person is required after the grant of registration, he may get such verification done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in **FORM GST REG-30** on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification.

26. Method of authentication.—(1) All applications, including reply, if any, to the notices, returns including the details of outward and inward supplies, appeals or any other document required to be submitted under the provisions of these rules shall be so submitted electronically with digital signature certificate or through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Board in this behalf:

Provided that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall furnish the documents or application verified through digital signature certificate.

(2) Each document including the return furnished online shall be signed or verified through electronic verification code-

(a) in the case of an individual, by the individual himself or where he is absent from India, by some other person duly authorised by him in this behalf, and where the individual is mentally incapacitated from attending to his affairs, by his guardian or by any other person competent to act on his behalf;

(b) in the case of a Hindu Undivided Family, by a Karta and where the Karta is absent from India or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by any other adult member of such family or by the authorised signatory of such Karta;

(c) in the case of a company, by the chief executive officer or authorised signatory thereof;

(d) in the case of a Government or any Governmental agency or local authority, by an officer authorised in this behalf;

(e) in the case of a firm, by any partner thereof, not being a minor or authorised signatory thereof;

(f) in the case of any other association, by any member of the association or persons or authorised signatory thereof;

(g) in the case of a trust, by the trustee or any trustee or authorised signatory thereof; or

(h) in the case of any other person, by some person competent to act on his behalf, or by a person authorised in accordance with the provisions of section 48.

(3) All notices, certificates and orders under the provisions of this Chapter shall be issued electronically by the proper officer or any other officer authorised to issue such notices or certificates or orders, through digital signature certificate specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

Form GST CMP -01

[See rule 3(1)]

Intimation to pay tax under section 10 (composition levy)

(Only for persons registered under the existing law migrating on the appointed day)

1. GSTIN/Provisional ID	
2. Legal name	
3. Trade name, if any	
4. Address of Principal Place of Business	
5. Category of Registered Person < Select from drop down>	
(iv) Manufacturers, other than manufacturers of such goods as notified by the Government	☐
(v) Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	☐
(vi) Any other supplier eligible for composition levy.	☐

6. Financial Year from which composition scheme is opted		2017-18
7. Jurisdiction	Centre	State

8. Declaration –

I hereby declare that the aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified for payment of tax under section 10.

9. Verification

I ____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Name

Place

Date

Designation/Status

Form GST CMP -02

[See rule 3(2)]

Intimation to pay tax under section 10 (composition levy)

(For persons registered under the Act)

1. GSTIN	
2. Legal name	
3. Trade name, if any	
4. Address of Principal Place of Business	
5. Category of Registered Person < Select from drop down>.	
(i) Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	☐
(ii) Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	☐
(iii) Any other supplier eligible for composition levy**.**	☐

6. Financial Year from which composition scheme is opted		
7. Jurisdiction	Centre	State

8. Declaration –

I hereby declare that the aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified for paying tax under section 10.

9. Verification

I ____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Name

Place

Date

Designation/Status

Form GST –CMP-03

[See rule 3(4)]

Intimation of details of stock on date of opting for composition levy

(Only for persons registered under the existing law migrating on the appointed day)

1. GSTIN		
2. Legal name		
3. Trade name, if any		
4. Address of Principal Place of Business		
5. Details of application filed to pay tax under section 10	(i) Application reference number (ARN)	
	(ii) Date of filing	
6. Jurisdiction	Centre	State

7. Stock of purchases made from registered person under the existing law

Sr. No	GSTIN/TIN	Name of the supplier	Bill/ Invoice No.	Date	Value of Stock	VAT	Central Excise	Service Tax (if applicable)	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Total									

8. Stock of purchases made from unregistered person under the existing law

Sr. No	Name of the unregistered person	Address	Bill/ Invoice No.	Date	Value of Stock	VAT	Central Excise	Service Tax (if applicable	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
Total									

9. Details of tax paid	Description	Central Tax	State Tax/ UT Tax
	Amount		
	Debit entry no.		

10. Verification

I______________________________________ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Name

Place

Date

Designation/Status

Form GST – CMP-04

[See rule 6(2)]

Intimation/Application for Withdrawal from Composition Levy

1. GSTIN	
2. Legal name	
3. Trade name, if any	

4.Address of Principal Place of business	
5. Category of Registered Person	
(i) Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	☐
(ii) Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	☐
(iii) Any other supplier eligible for composition levy.	☐
6. Nature of Business	

7. Date from which withdrawal from composition scheme is sought	DD	MM	YYYY

8. Jurisdiction	Centre	State

9. Reasons for withdrawal from composition scheme	

10. Verification

I___________________________________ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Name

Place

Date

Designation/Status

Note – Stock statement may be furnished separately for availing input tax credit on the stock available on the date preceding the date from which composition option is withdrawn in **FORM GST ITC -01**.

Form GST CMP- 05

[See rule 6(4)]

Reference No. << … >> << Date >>

To

GSTIN

Name

Address

Notice for denial of option to pay tax under section 10

Whereas on the basis of information which has come to my notice, it appears that you have violated the conditions and restrictions necessary for availing of the composition scheme under section 10 of the Act. I therefore propose to deny the option to you to pay tax under the said section for the following reasons: -

1

2

3

….

☐ You are hereby directed to furnish a reply to this notice within fifteen working days from the date of service of this notice.

☐ You are hereby directed to appear before the undersigned on DD/MM/YYYY at HH/MM.

If you fail to furnish a reply within the stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits

Signature

Name of Proper Officer

Designation

Jurisdiction

Place

Date

Form GST CMP - 06

[See rule 6(5)]

Reply to the notice to show cause

9.	GSTIN	
10.	Details of the show cause notice	Reference no.
		Date
11.	Legal name	
12.	Trade name, if any	
13.	Address of the Principal Place of Business	
14.	Reply to the notice	
15.	List of documents uploaded	
16.	Verification	I ____ hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Signature of the Authorised Signatory Date Place

Note –

1. The reply should not be more than 500 characters. In case the same is more than 500 characters, then it should be uploaded separately.

2. Supporting documents, if any, may be uploaded in PDF format.

Form GST CMP-07

[See rule 6(6)]

Reference No. << >> Date–

To

GSTIN

Name

Address

Application Reference No. (ARN) Date –

Order for acceptance/rejection of reply to show cause notice

This has reference to your reply dated ----- filed in response to the show cause notice issued vide reference no. -------- dated ---------. Your reply has been examined and the same has been found to be satisfactory and, therefore, your option to pay tax under composition scheme shall continue. The said show cause notice stands vacated.

or

This has reference to your reply dated ----- filed in response to the show cause notice issued vide reference no. -------- dated ---------. Your reply has been examined and the same has not been found to be satisfactory and, therefore, your option to pay tax under composition scheme is hereby denied with effect from << >>> for the following reasons:

<< text >>

or

☐ You have not filed any reply to the show cause notice; or

☐ You did not appear on the day fixed for hearing.

Therefore, your option to pay tax under composition scheme is hereby denied with effect from << date >> for the following reasons:

<< Text >>

Signature

Date Name of Proper Officer

Place

Designation

Jurisdiction

Form GST REG-01

[See rule 8(1)]

Application for Registration

(Other than a non-resident taxable person, a person required to deduct tax at source under section 51 and a person required to collect tax at source under section 52 and a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017)

Part –A

State /UT ▽ District - ▽

(i)	Legal Name of the Business: *(As mentioned in Permanent Account Number)*	
(ii)	Permanent Account Number : *(Enter* Permanent Account Number *of the Business;* Permanent Account Number *of Individual in case of Proprietorship concern)*	
(iii)	Email Address :	
(iv)	Mobile Number :	

Note - *Information submitted above is subject to online verification before proceeding to fill up Part-B.*

Authorised signatory filing the application shall provide his mobile number and email address.

Part –B

1.	Trade Name, if any	
2.	Constitution of Business (Please Select the Appropriate)	

(i) Proprietorship	☐	(ii) Partnership	☐
(iii) Hindu Undivided Family	☐	(iv) Private Limited Company	☐
(v) Public Limited Company	☐	(vi) Society/Club/Trust/Association of Persons	☐
(vii) Government Department	☐	(viii) Public Sector Undertaking	☐
(ix) Unlimited Company	☐	(x) Limited Liability Partnership	☐
(xi) Local Authority	☐	(xii) Statutory Body	☐
(xiii) Foreign Limited Liability Partnership	☐	(xiv) Foreign Company Registered (in India)	☐
(xv) Others (Please specify)	☐		☐

3.	Name of the State	▽	District	▽
4.	Jurisdiction	State	Centre	
		Sector, Circle, Ward, Unit, etc. others (specify)		
5.	Option for Composition	Yes ☐ No ☐		

6. Composition Declaration

☐ I hereby declare that the aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified in the Act or the rules for opting to pay tax under the composition scheme.

6.1 Category of Registered Person < tick in check box>

(iv) Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government for which option is not available	
(v) Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	
(vi) Any other supplier eligible for composition levy.	

7.	Date of commencement of business		DD/MM/YYYY		
8.	Date on which liability to register arises		DD/MM/YYYY		
9.	Are you applying for registration as a casual taxable person?		Yes ☐	No ☐	
10.	If selected 'Yes' in Sr. No. 9, period for which registration is required		From DD/MM/YYYY	To DD/MM/YYYY	
11.	If selected 'Yes' in Sr. No. 9, estimated supplies and estimated net tax liability during the period of registration				
Sr. No.	Type of Tax		Turnover (Rs.)	Net Tax Liability (Rs.)	
(i)	Integrated Tax				
(ii)	Central Tax				
(iii)	State Tax				
(iv)	UT Tax				
(v)	Cess				
	Total				
	Payment Details				
	Challan Identification Number		Date	Amount	
12.	Are you applying for registration as a SEZ Unit?		Yes ☐	No ☐	
	(i) Select name of SEZ			▽	
	(ii) Approval order number and date of order				
	(iii) Designation of approving authority				
13.	Are you applying for registration as a SEZ Developer?		Yes ☐	No ☐	
	(i) Select name of SEZ Developer			▽	
	(ii) Approval order number and date of order				
	(iii) Designation of approving authority				
14.	Reason to obtain registration:				
	(i) Crossing the threshold		(viii) Merger /amalgamation of two or more registered persons		
	(ii) Inter-State supply		(ix) Input Service Distributor		
	(iii) Liability to pay tax as recipient of goods or services u/s 9(3) or 9(4)		(x) Person liable to pay tax u/s 9(5)		
	(iv) Transfer of business which includes change in the ownership of business (if transferee is not a registered entity)		(xi) Taxable person supplying through e-Commerce portal		

	(v) Death of the proprietor (if the successor is not a registered entity)	(xii) Voluntary Basis
	(vi) De-merger	(xiii) Persons supplying goods and/or services on behalf of other taxable person(s)
	(vii) Change in constitution of business	(xiv) Others (Not covered above) – Specify
15.	Indicate existing registrations wherever applicable	

Registration number under Value Added Tax	
Central Sales Tax Registration Number	
Entry Tax Registration Number	
Entertainment Tax Registration Number	
Hotel and Luxury Tax Registration Number	
Central Excise Registration Number	
Service Tax Registration Number	
Corporate Identify Number/Foreign Company Registration Number	
Limited Liability Partnership Identification Number/Foreign Limited Liability Partnership Identification Number	
Importer/Exporter Code Number	
Registration number under Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act	
Registration number under Shops and Establishment Act	
Temporary ID, if any	
Others (Please specify)	

16.	(a) Address of Principal Place of Business

Building No./Flat No.	Floor No.
Name of the Premises/Building	Road/Street
City/Town/Locality/Village	District
Taluka/Block	
State	PIN Code
Latitude	Longitude

(b) Contact Information

Office Email Address		Office Telephone number	STD	
Mobile Number		Office Fax Number	STD	

(c) Nature of premises

Own	Leased	Rented	Consent	Shared	Others (specify)

(d) Nature of business activity being carried out at above mentioned premises (Please tick applicable)

Factory/Manufacturing	☐	Wholesale Business	☐	Retail Business	☐

Warehouse/Depot	☐	Bonded Warehouse	☐	Supplier of services	☐
Office/Sale Office	☐	Leasing Business	☐	Recipient of goods or services	☐
EOU/ STP/ EHTP	☐	Works Contract	☐	Export	☐
Import	☐	Others (Specify)	☐		

17. Details of Bank Accounts (s)

Total number of Bank Accounts maintained by the applicant for conducting business *(Upto 10 Bank Accounts to be reported)*	

Details of Bank Account 1

Account Number														
Type of Account							IFSC							
Bank Name														
Branch Address	To be auto-populated (Edit mode)													

Note – Add more accounts ------

18. Details of the Goods supplied by the Business

Please specify top 5 Goods		
Sr. No.	Description of Goods	HSN Code (Four digit)
(i)		
(ii)		
…		
(v)		

19. Details of Services supplied by the Business.

Please specify top 5 Services		
Sr. No.	Description of Services	HSN Code (Four digit)
(i)		
(ii)		
…		
(v)		

20. Details of Additional Place(s) of Business

Number of additional places	

Premises 1

(a) Details of Additional Place of Business

Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
City/Town/Locality/Village		District	
Block/Taluka			
State		PIN Code	
Latitude		Longitude	

(b) Contact Information				
Office Email Address		Office Telephone number	STD	
Mobile Number		Office Fax Number	STD	

(c) Nature of premises					
Own	Leased	Rented	Consent	Shared	Others (specify)

(d) Nature of business activity being carried out at above mentioned premises (Please tick applicable)					
Factory/Manufacturing	☐	Wholesale Business	☐	Retail Business	☐
Warehouse/Depot	☐	Bonded Warehouse	☐	Supplier of services	☐
Office/Sale Office	☐	Leasing Business	☐	Recipient of goods or services	☐
EOU/ STP/ EHTP	☐	Works Contract	☐	Export	☐
Import	☐	Others (specify)	☐		

21. Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.

Particulars	First Name	Middle Name	Last Name
Name			
Photo			
Name of Father			
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
Mobile Number		Email address	
Telephone No. with STD			
Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
Permanent Account Number		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?	Yes/No	Passport No. (in case of foreigners)	
Residential Address			
Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
City/Town/Locality/Village		District	
Block/Taluka			
State		PIN Code	
Country (in case of foreigner only)		ZIP code	

22. Details of Authorised Signatory

Checkbox for Primary Authorised Signatory ☐

Details of Signatory No. 1

Particulars	First Name	Middle Name	Last Name
Name			
Photo			
Name of Father			
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
Mobile Number		Email address	
Telephone No. with STD			
Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
Permanent Account Number		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?	Yes/No	Passport No. (in case of foreigners)	

Residential Address in India			
Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
Block/Taluka			
City/Town/Locality/Village		District	
State		PIN Code	

23. Details of Authorised Representative

Enrolment ID, if available			
Provide following details, if enrolment ID is not available			
Permanent Account Number			
Aadhaar, if Permanent Account Number is not available			
	First Name	Middle Name	Last Name
Name of Person			
Designation/Status			
Mobile Number			

Email address			
Telephone No. with STD		FAX No. with STD	

24. State Specific Information

Profession Tax Enrolment Code (EC) No.

Profession Tax Registration Certificate (RC) No.

State Excise License No. and the name of the person in whose name Excise License is held

(a) *Field 1*

(b) *Field 2*

(c) ….

(d) …..

(e) *Field n*

25. Document Upload

A customized list of documents required to be uploaded (refer rule 8) as per the field values in the form.

26. Consent

I on behalf of the holder of Aadhaar number <pre-filled based on Aadhaar number provided in the form> give consent to "Goods and Services Tax Network" to obtain my details from UIDAI for the purpose of authentication. "Goods and Services Tax Network" has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhaar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.

27. Verification (by authorised signatory)

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom

Signature

Place: Name of Authorised Signatory ….……………………

Date: Designation/Status……………………………………

List of documents to be uploaded:-

1.	Photographs (wherever specified in the Application Form) (a) Proprietary Concern – Proprietor (b) Partnership Firm/Limited Liability Partnership – Managing/Authorised/Designated Partners (personal details of all partners are to be submitted but photos of only ten partners including that of Managing Partner are to be submitted) (c) Hindu Undivided Family – Karta (d) Company – Managing Director or the Authorised Person (e) Trust – Managing Trustee (f) Association of Persons or Body of Individuals –Members of Managing Committee (personal details of all members are to be submitted but photos of only ten members including that of Chairman are to be submitted) (g) Local Authority – Chief Executive Officer or his equivalent (h) Statutory Body – Chief Executive Officer or his equivalent (i) Others – Person in Charge
2.	Constitution of Business: Partnership Deed in case of Partnership Firm, Registration Certificate/Proof of Constitution in case of Society, Trust, Club, Government Department, Association of Persons or Body of Individuals, Local Authority, Statutory Body and Others etc.

<table>
<tr><td>3.</td><td>Proof of Principal Place of Business:

(a) For Own premises –

Any document in support of the ownership of the premises like latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.

(b) For Rented or Leased premises –

A copy of the valid Rent/Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.

(c) For premises not covered in (a) and (b) above –

A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.

(d) For rented/leased premises where the Rent/lease agreement is not available, an affidavit to that effect along with any document in support of the possession of the premises like copy of Electricity Bill.

(e) If the principal place of business is located in a Special Economic Zone or the applicant is an Special Economic Zone developer, necessary documents/certificates issued by Government of India are required to be uploaded.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Bank Account Related Proof:

Scanned copy of the first page of Bank passbook or the relevant page of Bank Statement or Scanned copy of a cancelled cheque containing name of the Proprietor or Business entity, Bank Account No., MICR, IFSC and Branch details including code.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Authorisation Form:-

For each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:

Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory) (Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.)

I/We --- (name) being (Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.) of …… (name of registered person)

hereby solemnly affirm and declare that <<name of the authorised signatory, (status/designation)>> is hereby authorised, vide resolution no… dated….. (copy submitted herewith), to act as an authorised signatory for the business << Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business>> for which application for registration is being filed under the Act. All his actions in relation to this business will be binding on me/ us.

Signature of the person competent to sign

Name:

Designation/Status:

(Name of the proprietor/Business Entity)

Acceptance as an authorised signatory

I <<(Name of the authorised signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.

Signature of Authorised Signatory Place:

(Name)

Date:

Designation/Status:</td></tr>
</table>

Instructions for submission of Application for Registration.

1. Enter name of person as recorded on Permanent Account Number of the Business. In case of Proprietorship concern, enter name of proprietor against Legal Name and mention Permanent Account Number of the proprietor. Permanent Account Number shall be verified with Income Tax database.

2. Provide E-mail Id and Mobile Number of authorised signatory for verification and future communication which will be verified through One Time Passwords to be sent separately, before filling up Part-B of the application.

3. Applicant need to upload scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case the business declares a person as Authorised Signatory.

4. The following persons can digitally sign the application for new registration:-

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing/Authorised Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing/Whole-time Directors
Public Limited Company	Managing/Whole-time Directors
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing/Whole-time Director
Unlimited Company	Managing/ Whole-time Director
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorised Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India
Others (specify)	Person In charge

5. Information in respect of authorised representative is optional. Please select your authorised representative from the list available on the common portal if the authorised representative is enrolled, otherwise provide details of such person.

6. State specific information are relevant for the concerned State only.

7. Application filed by undermentioned persons shall be signed digitally:-

Sr. No	Type of Applicant	Type of Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate (DSC)- Class-2 and above.

Sr. No	Type of Applicant	Type of Signature required
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above e-Signature or any other mode as may be notified

8. All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number shall be validated online by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all the filled up information.

9. Status of the application filed online can be tracked on the common portal by entering Application Reference Number (ARN) indicated on the Acknowledgment.

10. No fee is payable for filing application for registration.

11. Authorised signatory shall not be a minor.

12. Any person having multiple business verticals within a State, requiring a separate registration for any of its business verticals shall need to apply separately in respect of each of the vertical.

13. After approval of application, registration certificate shall be made available on the common portal.

14. Temporary Reference Number (TRN) will be allotted after successfully furnishing preliminary details in PART –A of the application which can be used for filling up details in PART-B of the application. TRN will be available on the common portal for a period of 15 days.

15. Any person who applies for registration under rule 8 may give an option to pay tax under section 10 in Part B of FORM GST REG-01, which shall be considered as an intimation to pay tax under the said section.

Form GST REG-02

[See rule 8(5)]

Acknowledgment

Application Reference Number (ARN) -

You have filed the application successfully and the particulars of the application are given as under:

Date of filing :

Time of filing :

Goods and Services Tax Identification Number, if available :

Legal Name :

Trade Name (if applicable):

Form No. :

Form Description :

Center Jurisdiction :

State Jurisdiction :

Filed by :

Temporary reference number (TRN), if any:

Payment details* : Challan Identification Number

: Date

: Amount

It is a system generated acknowledgement and does not require any signature**.**

***** *Applicable only in case of Casual taxable person and Non Resident taxable person*

Form GST REG-03

[See rule 9(2)]

Reference Number: Date–

To

Name of the Applicant:

Address:

GSTIN (if available):

Application Reference No. (ARN):

Date:

Notice for Seeking Additional Information/Clarification/Documents

relating to Application for <<Registration/Amendment/Cancellation >>

This is with reference to your <<registration/amendment/cancellation>> application filed vide ARN < > Dated – DD/MM/YYYY The Department has examined your application and is not satisfied with it for the following reasons:

1.

2.

3.

□ You are directed to submit your reply by ……….. (DD/MM/YYYY)

□ *You are hereby directed to appear before the undersigned on ……… (DD/MM/YYYY) at ……. (HH:MM)

If no response is received by the stipulated date, your application is liable for rejection. Please note that no further notice/reminder will be issued in this matter

Signature

Name of the Proper Officer:

Designation:

Jurisdiction:

** Not applicable for New Registration Application*

Form GST REG-04

[See rule 9(2)]

Clarification/additional information/document

for <<Registration/Amendment/Cancellation>>

1.	Notice details	Reference No.		Date	
2.	Application details	Reference No.		Date	
3.	GSTIN, if applicable				
4.	Name of Business (Legal)				
5.	Trade name, if any				
6.	Address				
7.	Whether any modification in the application for registration or fields is required.—				Yes □ No □ (Tick one)

8.	Additional Information	
9.	List of Documents uploaded	
10.	Verification I ______________________________ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Signature of Authorised Signatory Name Designation/Status: Place: Date:	

Note:-

1. For new registration, *original registration application will be available in editable mode if option 'Yes' is selected in item 7.*

2.For amendment of registration particulars, the fields intended to be amended will be available in editable mode if option 'Yes' is selected in item 7.

Form GST REG-05

[See rule 9(4)]

Reference Number: Date–

To

Name of the Applicant

Address -

GSTIN (if available)

Order of Rejection of Application for <Registration/Amendment/Cancellation/

>

This has reference to your reply filed vide ARN --- dated----. The reply has been examined and the same has not been found to be satisfactory for the following reasons:

1.
2.
3.

…Therefore, your application is rejected in accordance with the provisions of the Act.

Or

You have not replied to the notice issued vide reference no. …….. dated ………. within the time specified therein. Therefore, your application is hereby rejected in accordance with the provisions of the Act.

Signature
Name

Designation

Jurisdiction

Government of India

Form GST REG-06

[See rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number**:** *<GSTIN/ UIN >*

1.	Legal Name				
2.	Trade Name, if any				
3.	Constitution of Business				
4.	Address of Principal Place of Business				
5.	Date of Liability	DD/MM/ YYYY			
6.	Period of Validity **(***Applicable only in case of Non-Resident taxable person or Casual taxable person)*	From	DD/MM/YYYY	To	DD/MM/YYYY
7.	Type of Registration				
8.	Particulars of Approving Authority				
Centre			State		
		Signature			
Name					
Designation					
Office					
9. Date of issue of Certificate					
Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.					

Annexure A

Goods and Services Tax Identification Number

Details of Additional Places of Business

Legal Name

Trade Name, if any

Total Number of Additional Places of Business in the State

Sr. No. Address

1

2

3

…

Annexure B

सत्यमेव जयते

Goods and Services Tax Identification Number

Legal Name

Trade Name, if any

Details of <Proprietor/ Partners/Karta/Managing Director and whole-time Directors/Members of the Managing Committee of Association of Persons/Board of Trustees etc.>

1.	*Photo*	Name Designation/Status Resident of State
2.	*Photo*	Name Designation/Status Resident of State
3.	*Photo*	Name Designation/Status Resident of State
4.	*Photo*	Name Designation/Status Resident of State
5.	*Photo*	Name Designation/Status Resident of State
6.	*Photo*	Name Designation/Status Resident of State
7.	*Photo*	Name Designation/Status Resident of State
8.	*Photo*	Name Designation/Status Resident of State

9.	*Photo*	Name Designation/Status Resident of State
10.	*Photo*	Name Designation/Status Resident of State

Form GST REG-07

[See rule 12(1)]

Application for Registration as Tax Deductor at source (u/s 51) or Tax Collector at source (u/s 52)

State /UT– District –

Part –A

(i)	Legal Name of the Tax Deductor or Tax Collector(As mentioned in Permanent Account Number/ Tax Deduction and Collection Account Number)	
(ii)	Permanent Account Number (Enter Permanent Account Number of the Business; Permanent Account Number of Individual in case of Proprietorship concern)	
(iii)	Tax Deduction and Collection Account Number (Enter Tax Deduction and Collection Account Number, if Permanent Account Number is not available)	
(iv)	Email Address	
(v)	Mobile Number	

Note - *Information submitted above is subject to online verification before proceeding to fill up Part-B.*

Part –B

1	Trade Name, if any	
2	Constitution of Business (Please Select the Appropriate)	

(i) Proprietorship	☐	(ii) Partnership	☐
(iii) Hindu Undivided Family	☐	(iv) Private Limited Company	☐
(v) Public Limited Company	☐	(vi) Society/Club/Trust/Association of Persons	☐
(vii) Government Department	☐	(viii) Public Sector Undertaking	☐
(ix) Unlimited Company	☐	(x) Limited Liability Partnership	☐
(xi) Local Authority	☐	(xii) Statutory Body	☐
(xiii) Foreign Limited Liability Partnership	☐	(xiv) Foreign Company Registered (in India)	☐
(xv) Others (Please specify)	☐		

3	Name of the State	☐	District	☐	
4	Jurisdiction -	State		Centre	
		Sector /Circle/ Ward /Charge/Unit etc.			
5	Type of registration		Tax Deductor ◯	Tax Collector ◯	

6.	Government (Centre/State/Union Territory)		Center ○	State/UT ○	
7.	Date of liability to deduct/collect tax	DD/MM/YYYY			
8.	(a) Address of principal place of business				
Building No./Flat No.			Floor No.		
Name of the Premises/Building			Road/Street		
City/Town/Locality/Village			District		
Block/Taluka					
Latitude			Longitude		
State			PIN Code		
(b) Contact Information					
Office Email Address		Office Telephone number			
Mobile Number		Office Fax Number			
(c)	Nature of possession of premises				
Own	Leased	Rented	Consent	Shared	Others(specify)
9.	Have you obtained any other registrations under Goods and Serivces Tax in the same State?	Yes ☐	No ☐		
10	If Yes, mention Goods and Services Tax Identification Number				
11	IEC (Importer Exporter Code), if applicable				
12	Details of DDO (Drawing and Disbursing Officer)/Person responsible for deducting tax/collecting tax				
Particulars					
Name	First Name	Middle Name	Last Name		
Father's Name					
Photo					
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>		
Mobile Number		Email address			
Telephone No. with STD					
Designation /Status		Director Identification Number (if any)			
Permanent Account Number		Aadhaar Number			
Are you a citizen of India?	Yes/No	Passport No. (in case of Foreigners)			
Residential Address					
Building No./Flat No.		Floor No.			

Name of the Premises/Building		Locality/Village	
State		PIN Code	

13. Details of Authorised Signatory

Checkbox for Primary Authorised Signatory ☐

Details of Signatory No. 1

Particulars	First Name	Middle Name	Last Name
Name			
Photo			
Name of Father			
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
Mobile Number		Email address	
Telephone No. with STD			
Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
Permanent Account Number		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?	Yes/No	Passport No. (in case of foreigners)	

Residential Address (Within the Country)

Building No./Flat No.		Floor No.	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
City/Town/Locality/Village		District	
State		PIN Code	
Block/Taluka			

Note – Add more …

14.	Consent *I on behalf of the holder of Aadhar number <pre-filled based on Aadhar number provided in the form> give consent to "Goods and Services Tax Network" to obtain my details from UIDAI for the purpose of authentication. "Goods and Services Tax Network" has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.*

15.	**Verification** *I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom* (Signature) Place: Name of DDO/ Person responsible for deducting tax/collecting tax/Authorised Signatory Date: Designation

List of documents to be uploaded (not applicable to a department or establishment of the Central Government or State Government or Local Authority or Governmental agencies):-

Proof of Principal Place of Business: (a) For Own premises – Any document in support of the ownership of the premises like latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (b) For Rented or Leased premises – A copy of the valid Rent/Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (c) For premises not covered in (a) and (b) above – A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded. (d) For rented/leased premises where the Rent/lease agreement is not available, an affidavit to that effect along with any document in support of the possession of the premises like copy of Electricity Bill. (e) If the principal place of business is located in an Special Economic Zone or the applicant is an Special Economic Zone developer, necessary documents/certificates issued by Government of India are required to be uploaded.

Instructions for submission of application for registration as Tax Deductor/ Tax Collector.

1. Enter name of Tax Deductor /Tax Collector as recorded on Tax Deduction and Collection Account Number/ Permanent Account Number of the Business. Tax Deduction and Collection Account Number/Permanent Account Number shall be verified with Income Tax database.

2. Provide Email Id and Mobile Number of DDO (Drawing and Disbursing Officer)/Person responsible for deducting tax/collecting tax for verification and future communication which will be verified through One Time Passwords to be sent separately, before filling up of the application.

3. Person who is acting as DDO/ Person deducting/collecting tax can sign the application.

4. The application filed by undermentioned persons shall be signed digitally.

Sr. No.	Type of Applicant	Digital Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate(DSC) class 2 and above
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above, e-Signature or any other mode as specified or as may be notified.

5. All information relating to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number shall be validated online by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all the filled information.

6. Status of the application filed online can be tracked on the Common portal.

7. No fee is payable for filing application for registration.

8. Authorised shall not be a minor.

Form GST REG-08

[See rule 12(3)]

Reference No Date:

To

Name:

Address:

Application Reference No. (ARN) (Reply) Date:

Order of Cancellation of Registration as Tax Deductor at source or Tax Collector at source

This has reference to the show-cause notice issued vide Reference Number …… dated ……. for cancellation of registration under the Act.

☐ - Whereas no reply to show cause notice has been filed; or

☐ - Whereas on the day fixed for hearing you did not appear; or

☐ - Whereas your reply to the notice to show cause and submissions made at the time of hearing have been examined. The undersigned is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s).

1.

2.

The effective date of cancellation of registration is <<DD/MM/YYYY >>.

You are directed to pay the amounts mentioned below on or before ----- (*date)* failing which the amount will be recovered in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

(This order is also available on your dashboard).

Head	**Integrated tax**	**Central tax**	**State tax**	**UT Tax**	**Cess**
Tax					
Interest					
Penalty					
Others					
Total					

Signature
Name

Designation

Jurisdiction

Form GST REG-09

[See rule 13(1)]

Application for Registration of Non Resident Taxable Person

Part –A

State /UT – District -

(i)	Legal Name of the Non-Resident Taxable Person	
(ii)	Permanent Account Number of the Non-Resident Taxable person, if any	

(iii)	Passport number, if Permanent Account Number is not available	
(iv)	Tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country	
(v)	Name of the Authorised Signatory (as per Permanent Account Number)	
(vi)	Permanent Account Number of the Authorised Signatory	
(vii)	Email Address of the Authorised Signatory	
(viii)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	

Note - Relevant i*nformation submitted above is subject to online verification, where practicable, before proceeding to fill up Part-B.*

Part -B

1.	Details of Authorised Signatory (should be a resident of India)							
	First Name	Middle Name		Last Name				
	Photo							
	Gender			Male/Female/Others				
	Designation							
	Date of Birth			DD/MM/YYYY				
	Father's Name							
	Nationality							
	Aadhaar							
	Address of the Authorised signatory.			Address line 1				
				Address Line 2				
				Address line 3				
2.	Period for which registration is required	From		To				
		DD/MM/YYYY		DD/MM/YYYY				
3	Turnover Details	Estimated Turnover (Rs.)		Estimated Tax Liability (Net) (Rs.)				
		Intra- State	Inter –State	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
4	Address of Non-Resident taxable person in the Country of Origin							
	(In case of business entity - Address of the Office)							
	Address Line 1							
	Address Line 2							

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="5">Address Line 3</td></tr>
<tr><td colspan="5">Country (Drop Down)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Zip Code</td></tr>
<tr><td colspan="5">E mail Address</td></tr>
<tr><td colspan="5">Telephone Number</td></tr>
<tr><td rowspan="9">5</td><td colspan="5">Address of Principal Place of Business in India</td></tr>
<tr><td colspan="3">Building No./Flat No.</td><td colspan="2">Floor No.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Name of the Premises/Building</td><td colspan="2">Road/Street</td></tr>
<tr><td colspan="3">City/Town/Village/Locality
Block/Taluka</td><td colspan="2">District</td></tr>
<tr><td colspan="3">Latitude</td><td colspan="2">Longitude</td></tr>
<tr><td colspan="3">State</td><td colspan="2">PIN Code</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mobile Number</td><td colspan="2">Telephone Number</td></tr>
<tr><td colspan="3">E mail Address</td><td colspan="2">Fax Number with STD</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td colspan="5">Details of Bank Account in India</td></tr>
<tr><td>Account Number</td><td colspan="2"></td><td>Type of account</td><td></td></tr>
<tr><td>Bank Name</td><td></td><td>Branch Address</td><td></td><td>IFSC</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="5">Documents Uploaded
A customized list of documents required to be uploaded (refer Instruction) as per the field values in the form</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="5">Declaration
I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.
Signature
Place: Name of Authorised Signatory
Date: Designation:</td></tr>
</table>

Note: Non-Resident taxable person is required to upload declaration (as per under mentioned format) along with scanned copy of the passport and photograph.

List of documents to be uploaded as evidence are as follows:-

1.	Proof of Principal Place of Business: (a) For own premises – Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (b) For Rented or Leased premises – A copy of the valid Rent/Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (c) For premises not covered in (a) and (b) above – A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same

	documents may be uploaded.
2.	Proof of Non-resident taxable person: Scanned copy of the passport of the Non -resident taxable person with VISA details. In case of a business entity incorporated or established outside India, the application for registration shall be submitted along with its tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country or it's Permanent Account Number, if available.
3	Bank Account related proof: Scanned copy of the first page of Bank passbook or the relevant page of Bank Statement or Scanned copy of a cancelled cheque containing name of the Proprietor or Business entity, Bank Account No., MICR, IFSC and Branch details including code.
4	Authorisation Form:- For each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory) (Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.)I/We --- (name) being (Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.) of …… (name of registered person) hereby solemnly affirm and declare that <<name of the authorised signatory, (status/designation)>> is hereby authorised, vide resolution no… dated….. (Copy submitted herewith), to act as an authorised signatory for the business << Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business>> for which application for registration is being filed under the Act. All his actions in relation to this business will be binding on me/ us. Signature of the person competent to sign Name: Designation/Status: (Name of the proprietor/Business Entity) Acceptance as an authorised signatory Acceptance as an authorised signatory I <<(Name of the authorised signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business. Signature of Authorised Signatory Place: Date: Designation/Status:

Instructions for submission of application for registration as Non-Resident Taxable Person.

1. Enter Name of the applicant Non-Resident taxable person as recorded on Passport.
2. The applicant shall apply at least **Five** days prior to commencement of the business at the common portal.
3. The applicant needs to provide Email Id and Mobile Number for verification and future communication which will be verified through One Time Passwords to be sent separately, before filling up Part-B of the application.
4. The applicant needs to upload the scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners /Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case the business declares a person as Authorised Signatory.
5. The application filed by the under-mentioned persons shall be signed digitally:-

Sr. No.	Type of Applicant	Digital Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate(DSC) class 2 and above
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above e-Signature or as may be notified

6. All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, shall be online validated by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all filled up information.
7. Status of the application filed online can be tracked on the common portal.
8. No fee is payable for filing application for registration.
9. Authorised signatory shall be an Indian national and shall not be a minor.

Form GST REG-10

[See rule 14(1)]

Application for registration of person supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person.

Part –A

State /UT – District -

(i)	Legal Name of the person	
(ii)	Permanent Account Number of the person, if any	
(iii)	Tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country	
(iv)	Name of the Authorised Signatory	
(v)	Permanent Account Number of the Authorised Signatory	
(vi)	Email Address of the Authorised Signatory	
(vii)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	
Note - Relevant i*nformation submitted above is subject to online verification, where practicable, before proceeding to fill up Part-B.*		

Part -B

1.	Details of Authorised Signatory (shall be resident of India)		
	First Name	Middle Name	Last Name
	Photo		

	Gender	Male/Female/Others	
	Designation		
	Date of Birth	DD/MM/YYYY	
	Father's Name		
	Nationality		
	Aadhaar, if any		
	Address of the Authorised Signatory	Address line 1	
		Address line 2	
		Address line 3	
2.	Date of commencement of the online service in India.	DD/MM/YYYY	
3	Uniform Resource Locators (URLs) of the website through which taxable services are provided: 1. 2. 3…		
4	Jurisdiction	Center	

5	Details of Bank Account					
	Account Number		Type of account			
	Bank Name	Branch Address		IFSC		
6	Documents Uploaded *A customized list of documents required to be uploaded (refer Instruction) as per the field values in the form*					
7	Declaration *I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.* *I, _ ………………………. hereby declare that I am authorised to sign on behalf of the Registrant. I would charge and collect tax liable from the non-assesse online recipient located in taxable territory and deposit the same with Government of India.* Signature Place: Name of Authorised Signatory: Date: Designation:					

Note: Applicant will require to upload declaration (as per under mentioned format) along with scanned copy of the passport and photograph.

List of documents to be uploaded as evidence are as follows:-

1.	Proof of Place of Business in India: (a) For Own premises – Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.

	(b) For Rented or Leased premises – A copy of the valid Rent/Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (c) For premises not covered in (a) and (b) above – A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.
2.	Proof of : Scanned copy of the passport of the Non -resident tax payer with VISA details. In case of Company/Society/LLP/FCNR/ etc. person who is holding power of attorney with authorisation letter. Scanned copy of Certificate of Incorporation if the Company is registered outside India or in India Scanned copy of License is issued by origin country Scanned copy of Clearance certificate issued by Government of India
3	Bank Account Related Proof: Scanned copy of the first page of Bank passbook/one page of Bank Statement Opening page of the Bank Passbook held in the name of the Proprietor/Business Concern – containing the Account No., Name of the Account Holder, MICR and IFSC and Branch details.
4	Authorisation Form:- For Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format: Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory) I ---(Managing Director/Whole Time Director/CEO or Power of Attorney holder) hereby solemnly affirm and declare that <<name of the authorised signatory>> to act as an authorised signatory for the business << Name of the Business>> for which application for registration is being filed/ is registered under the Goods and Service Tax Act, 20__. All his actions in relation to this business will be binding on me/ us. Signatures of the persons who is in charge. S. No. Full Name Designation/Status Signature 1. Acceptance as an authorised signatory I <<(Name of authorised signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business. Signature of Authorised Signatory Place (Name) Date: Designation/Status

Form GST REG-11

[See rule 15(1)]

Application for extension of registration period by casual/non-resident taxable person

1.	GSTIN	
2.	Name (Legal)	
3.	Trade Name, if any	
4.	Address	

<table>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="2" rowspan="2">Period of Validity (original)</td><td colspan="2">From</td><td colspan="3">To</td></tr>
<tr><td colspan="2">DD/MM/YYYY</td><td colspan="3">DD/MM/YYYY</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="2" rowspan="2">Period for which extension is requested.</td><td colspan="2">From</td><td colspan="3">To</td></tr>
<tr><td colspan="2">DD/MM/YYYY</td><td colspan="3">DD/MM/YYYY</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td colspan="2">Turnover Details for the extended period (Rs.)</td><td colspan="5">Estimated Tax Liability (Net) for the extended period (Rs.)</td></tr>
<tr><td>Inter- State</td><td>Intra-State</td><td>Central Tax</td><td>State Tax</td><td>UT Tax</td><td>Integrated Tax</td><td>Cess</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td colspan="7">Payment details</td></tr>
<tr><td>Date</td><td>CIN</td><td colspan="2">BRN</td><td colspan="3">Amount</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="7">Declaration -
I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</td></tr>
<tr><td colspan="8">Signature
Place: Name of Authorised Signatory:
Date: Designation/Status:</td></tr>
</table>

Instructions for submission of application for extension of validity

1. The application can be filed online before the expiry of the period of validity.

2. The application can only be filed when advance payment is made.

3. After successful filing, Application Reference Number will be generated which can be used to track the status of the application.

Form GST REG-12

[See rule 16(1)]

Reference Number - **Date**:

To

(Name):

(Address):

Temporary Registration Number

Order of Grant of Temporary Registration/ Suo Moto Registration

Whereas the undersigned has sufficient reason to believe that you are liable for registration under the Act, and therefore, you are hereby registered on a temporary basis. The particulars of the business as ascertained from the business premises are given as under:

Details of person to whom temporary registration granted		
1.	Name and Legal Name, if applicable	
2.	Gender	Male/Female/Other

3.	Father's Name		
4.	Date of Birth		DD/MM/YYYY
5.	Address of the Person	Building No./ Flat No.	
		Floor No.	
		Name of Premises/ Building	
		Road/ Street	
		Town/City/Locality/ Village	
		Block/Taluka	
		District	
		State	
		PIN Code	
6.	Permanent Account Number of the person, if available		
7.	Mobile No.		
8.	Email Address		
9.	Other ID, if any (Voter ID No./ Passport No./Driving License No./ Aadhaar No./ Other)		
10.	Reasons for temporary registration		
11.	Effective date of registration/temporary ID		
12.	Registration No./Temporary ID		

(Upload of Seizure Memo/Detention Memo/Any other supporting documents)

<<You are hereby directed to file application for proper registration within 30 days of the issue of this order>>

Signature

Place << Name of the Officer>>:

Date: Designation/Jurisdiction:

Note: A copy of the order will be sent to the corresponding Central/State Jurisdictional Authority.

Form GST REG-13

[See rule 17(1)]

Application/Form for grant of Unique Identity Number to UN Bodies/ Embassies/others

State /Union Territory– **District –**

PART A

(i)	Name of the Entity	
(ii)	Permanent Account Number of entity, if any (applicable in case of any other person notified)	
(iii)	Name of the Authorised Signatory	
(iv)	Permanent Account Number of Authorised Signatory	
(v)	Email Address of the Authorised Signatory	
(vi)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	

PART B

1.	Type of Entity (Choose one)	UN Body ◯ Embassy ◯ Other Person ◯			
2.	Country				
3.	Notification Details		Notification No.	Date	
4.	Address of the entity in State				
	Building No./Flat No.		Floor No.		
	Name of the Premises/Building		Road/Street		
	City/Town/Village		District		
	Block/Taluka				
	Latitude		Longitude		
	State		PIN Code		
	Contact Information				
	Email Address		Telephone number		
	Fax Number		Mobile Number		
7.	Details of Authorised Signatory, if applicable				
	Particulars	First Name	Middle Name	Last name	
	Name				
	Photo				
	Name of Father				
	Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>	
	Mobile Number		Email address		
	Telephone No.				
	Designation /Status		Director Identification Number (if any)		
	Permanent Account		Aadhaar Number		

	Number									
	Are you a citizen of India?	Yes/No	Passport No. (in case of foreigners)							
	Residential Address									
	Building No/Flat No		Floor No							
	Name of the Premises/Building		Road/Street							
	Town/City/Village		District							
	Block/Taluka									
	State		PIN Code							
8	Bank Account Details (add more if required)									
	Account Number		Type of Account							
	IFSC		Bank Name							
	Branch Address									
9.	Documents Uploaded *The authorised person who is in possession of the documentary evidence (<u>other than</u> UN Body/ Embassy etc.) shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution/power of attorney, authorising the applicant to represent the entity.* ***Or*** *The proper officer who has collected the documentary evidence from the applicant (UN Body/ Embassy etc.) shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution/power of attorney, authorising the applicant to represent the UN Body/Embassy etc. in India and link it along with the Unique Identity Number generated and allotted to respective UN Body/ Embassy etc.*									
11.	Verification *I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.*									

Place: (Signature)

Date: Name of Authorised Person:

Or

(Signature)

Place: Name of Proper Officer:

Date: Designation:

Jurisdiction:

Instructions for submission of application for registration for UN Bodies/ Embassies/others notified by the Government.

- Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically.
- Application shall be filed through common portal or registration can be granted suo-moto by proper officer.
- The application filed on the common portal is required to be signed electronically or through any other mode as specified by the Government.
- The details of the person authorised by the concerned entity to sign the refund application or otherwise, should be filled up against the "Authorised Signatory details" in the application.

Form GST REG-14

[See rule 19(1)]

Application for Amendment in Registration Particulars

(For all types of registered persons)

1. GSTIN/UIN			
2. Name of Business			
3. Type of registration			
4. Amendment summary			
Sr. No	Field Name	Effective Date (DD/MM/YYYY)	Reasons(s)

5. List of documents uploaded

(a)

(b)

(c)

…

6. Declaration

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom

Signature

Place: Name of Authorised Signatory

Date: Designation/Status:

Instructions for submission of application for amendment

1. Application for amendment shall be submitted online.
2. Changes relating to - Name of Business, Principal Place of Business, additional place(s) of business and details of partners or directors, karta, Managing Committee, Board of Trustees, Chief Executive Officer or equivalent, responsible for day to day affairs of the business which does not warrant cancellation of registration, are core fields which shall be approved by the Proper Officer after due verification.
3. For amendment in Non-Core fields, approval of the Proper Officer is not required.
4. Where a change in the constitution of any business results in change of the Permanent Account Number of a registered person, the said person shall be required to apply for fresh registration.
5. Any change in the mobile number or the e-mail address of authorised signatory as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal.
6. All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number shall be validated online by the system and Application Reference Number (ARN) will be generated after successful validation of necessary field.
7. Status of the application can be tracked on the common portal.
8. No fee is payable for submitting application for amendment.
9. Authorised signatory shall not be a minor.

Form GST REG-15

[See rule 19(1)]

Reference Number - <<   >>   Date – DD/MM/YYYY

To

(Name)

(Address)

Registration Number (GSTIN/UIN)

Application Reference No. (ARN)   Dated – DD/MM/YYYY

Order of Amendment

This has reference to your application number------ dated ---- regarding amendment in registration particulars. Your application has been examined and the same has been found to be in order. The amended certificate of registration is available on your dashboard for download.

Signature

Name

Designation

Jurisdiction

Date

Place

Form GST REG-16

[See rule 20]

Application for Cancellation of Registration

1.	GSTIN				
2.	Legal name				
3.	Trade name, if any				
4.	Address of Principal Place of Business				
5.	Address for future correspondence (including email, mobile telephone, fax)	Building No./ Flat No.		Floor No.	
		Name of Premises/ Building		Road/ Street	
		City/Town/ Village		District	
		Block/Taluka			
		Latitude		Longitude	
		State		PIN Code	
		Mobile (with country code)		Telephone	
		email		Fax Number	
6.	Reasons for Cancellation	○ Discontinuance /Closure			

	(Select one)	of business ○ Ceased to be liable to pay tax ○ Transfer of business on account of amalgamation, merger/ demerger, sale, lease or otherwise disposed of etc. ○ Change in constitution of business leading to change in Permanent Account Number ○ Death of Sole Proprietor ○ Others (specify)

7.	In case of transfer, merger of business, particulars of registration of entity in which merged, amalgamated, transferred, etc.				
(i)	Goods and Services Tax Identification Number				
(ii)	(a) Name (Legal)				
	(b) Trade name, if any				
(iii)	Address of Principal Place of Business	Building No./ Flat No.		Floor No.	
		Name of Premises/ Building		Road/ Street	
		City/Town/ Village		District	
		Block/Taluka			
		Latitude		Longitude	
		State		PIN Code	
		Mobile (with country code)		Telephone	
		email		Fax Number	
8.	Date from which registration is to be cancelled.		<DD/MM/YYYY>		
9	Particulars of last Return Filed				
(i)	Tax period				
(ii)	Application Reference Number				
(iii)	Date				

10.	Amount of tax payable in respect of inputs/capital goods held in stock on the effective date of cancellation of registration.						
	Description	Value of Stock (Rs.)		Input Tax Credit/ Tax Payable (whichever is higher) (Rs.)			
			Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess

	Inputs						
	Inputs contained in semi-finished goods						
	Inputs contained in finished goods						
	Capital Goods/Plant and machinery						
	Total						

11.	Details of tax paid, if any						
	Payment from Cash Ledger						
	Sr. No.	Debit Entry No.	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1.						
	2.						
		Sub-Total					
	Payment from ITC Ledger						
	Sr. No.	Debit Entry No.	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1.						
	2.						
		Sub-Total					
	Total Amount of Tax Paid						
12.	Documents uploaded						

13. Verification I/We <> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.	
	Signature of Authorised Signatory
Place	Name of the Authorised Signatory
Date	Designation/Status

Instructions for filing of Application for Cancellation

- A registered person seeking cancellation of his registration shall electronically submit an application including details of closing stock and liability thereon along with relevant documents, on common portal.
- The following persons shall digitally sign application for cancellation, as applicable:

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing/Authorised Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing/Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Public Limited Company	Managing/Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application
Public Sector Undertaking	Managing/Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Unlimited Company	Managing/Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorised Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India
Others	Person In charge

In case of death of sole proprietor, application shall be made by the legal heir/successor manually before the concerned tax authorities. The new entity in which the applicant proposes to amalgamate itself shall register with the tax authority before submission of the application for cancellation. This application shall be made only after that the new entity is registered.

Before applying for cancellation, please file **your tax return due** for the tax period in which the effective date of surrender of registration falls.

- Status of the Application may be tracked on the common portal.
- No fee is payable for filing application for cancellation.
- After submission of application for cancellation of registration, the registered person shall make payment, if not made at the time of this application, and shall furnish final return as provided in the Act.
- The registered person may also update his contact address and update his mobile number and e mail address.

Form GST REG -17

[See rule 22(1)]

Reference No. - << Date >>

To

Registration Number (GSTIN/UIN)

(Name)

(Address)

Show Cause Notice for Cancellation of Registration

Whereas on the basis of information which has come to my notice, it appears that your registration is liable to be cancelled for the following reasons: -

1

2

3

☐ You are hereby directed to furnish a reply to this notice within seven working days from the date of service of this notice .

☐ You are hereby directed to appear before the undersigned on DD/MM/YYYY at HH/MM

If you fail to furnish a reply within the stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits

Place:

Date:

Signature

< Name of the Officer>

Designation

Jurisdiction

Form GST REG- 18

[See rule 22(2)]

Reply to the Show Cause Notice issued for cancellation for registration

1.	Reference No. of Notice		Date of issue	
2.	GSTIN/UIN			
3.	Name of business (Legal)			
4.	Trade name, if any			
5.	Reply to the notice			
6.	List of documents uploaded			
7.	Verification I ____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Signature of Authorised Signatory Name Designation/Status Place Date			

Form GST REG-19

[*See rule 22(3)****]***

Reference No. - Date

To

Name

Address

GSTIN/UIN

Application Reference No. (ARN) Date

Order for Cancellation of Registration

This has reference to your reply dated ---- in response to the notice to show cause dated -----.

☐Whereas no reply to notice to show cause has been submitted; or

☐Whereas on the day fixed for hearing you did not appear; or

☐ Whereas the undersigned has examined your reply and submissions made at the time of hearing, and is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s).

1.

2.

The effective date of cancellation of your registration is <<DD/MM/YYYY >>.

Determination of amount payable pursuant to cancellation:

Accordingly, the amount payable by you and the computation and basis thereof is as follows:

The amounts determined as being payable above are without prejudice to any amount that may be found to be payable you on submission of final return furnished by you.

You are required to pay the following amounts on or before ------ (date) failing which the amount will be recovered in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

Head	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
Tax					
Interest					
Penalty					
Others					
Total					

Place:

Date: Signature

< Name of the Officer>

Designation

Jurisdiction

Form GST REG-20

[*See rule 22(4)]*

Reference No. - Date

To

Name

Address

GSTIN/UIN

Show Cause Notice No. Date

Order for dropping the proceedings for cancellation of registration

This has reference to your reply dated ----- in response to the notice to show cause notice dated DD/MM/YYYY. Upon consideration of your reply and/or submissions made during hearing, the proceedings initiated for cancellation of registration stands vacated due to the following reasons:

<< text >>

Signature

< Name of the Officer>

Designation

Jurisdiction

Place:

Date:

Form GST REG-21

[See rule 23(1) ***]***

Application for Revocation of Cancellation of Registration

1.	GSTIN (cancelled)					
2.	Legal Name					
3.	Trade Name, if any					
4.	Address (Principal place of business)					
5.	Cancellation Order No.			Date –		
6.	Reason for cancellation					
7.	Details of last return filed					
	Period of Return		Application Reference Number		Date of filing	DD/MM/YYYY
8.	Reasons for revocation of cancellation	Reasons in brief. (Detailed reasoning can be filed as an attachment)				
9.	Upload Documents					
10.	Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Signature of Authorised Signatory Full Name (first name, middle, surname) Designation/Status Place Date					

Instructions for submission of application for revocation of cancellation of registration

- A person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply for revocation of cancellation of registration, within thirty days from the date of service of the order of cancellation of registration at the common portal No application for revocation shall be submitted if the registration has been cancelled for the failure to furnish returns unless such returns are furnished and any amount due as tax in terms of such returns has been paid along with any amount payable towards interest, penalty and late fee payable in respect of the said returns.

- Any change in the mobile number or the e-mail address of authorised signatory submitted as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal in the manner provided

- Status of the application can be tracked on the common portal.

- No fee is payable for filing application for revocation of cancellation.

Form GST REG-22

[See rule 23(2]

Reference No. - Date

To

GSTIN/UIN

(Name of Taxpayer)

(Address)

Application Reference No. (ARN) Date

Order for revocation of cancellation of registration

This has reference to your application dated DD/MM/YYYY for revocation of cancellation of registration. Your application has been examined and the same has been found to be in order. Accordingly, your registration is restored.

Signature

Name of Proper officer

(Designation)

Jurisdiction –

Date

Place

Form GST REG-23

[See rule 23(3)]

Reference Number : Date

To

Name of the Applicant/ Taxpayer

Address of the Applicant/Taxpayer

GSTIN

Application Reference No. (ARN): Dated

Show Cause Notice for rejection of application for revocation of cancellation of registration

This has reference to your application dated DD/MM/YYYY regarding revocation of cancellation of registration. Your application has been examined and the same is liable to be rejected for the following reasons:

1.

2.

3.

…

☐ You are hereby directed to furnish a reply to this notice within seven working days from the date of service of this notice.

☐ You are hereby directed to appear before the undersigned on DD/MM/YYYY at HH/MM.

If you fail to furnish a reply within the stipulated day or you fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits

Signature

Name of the Proper Officer

Designation

Jurisdiction

Form GST REG-24

[See rule 23(3)]

Reply to the notice for rejection of application for revocation of cancellation of registration

1.	Reference No. of Notice		Date	
2.	Application Reference No. (ARN)		Date	
3.	GSTIN, if applicable			
4.	Information/reasons			
5.	List of documents filed			
6.	Verification I ________________________________ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Signature of Authorised Signatory Name Place Designation/Status Date			

Government of India

Form GST REG-25

[See rule 24(1)]

Certificate of Provisional Registration

1.	Provisional ID		
2.	Permanent Account Number		
3.	Legal Name		
4.	Trade Name		
5.	Registration Details under Existing Law		
	Act	Registration Number	
(a)			
(b)			
(c)			
Date	<Date of creation of Certificate>	Place	<State>

This is a Certificate of Provisional Registration issued under the provisions of the Act.

Form GST REG-26

[See rule 24(2)]

Application for Enrolment of Existing Taxpayer	
Taxpayer Details	
1. Provisional ID	
2. Legal Name (As per Permanent Account Number)	
3. Legal Name (As per State/ Center)	
4. Trade Name, if any	
5. Permanent Account Number of the Business	
6. Constitution	
7. State	
7A Sector, Circle, Ward, etc. as applicable	
7B. Center Jurisdiction	
8. Reason of liability to obtain Registration	Registration under earlier law

9. Existing Registrations

Sr. No.	Type of Registration	Registration Number	Date of Registration
1	TIN Under Value Added Tax		
2	Central Sales Tax Registration Number		
3	Entry Tax Registration Number		
4	Entertainment Tax Registration Number		
5	Hotel And Luxury Tax Registration Number		
6	Central Excise Registration Number		
7	Service Tax Registration Number		
8	Corporate Identify Number/Foreign Company Registration		
9	Limited Liability Partnership Identification Number/Foreign Limited Liability Partnership Identification Number		
10	Import/Exporter Code Number		
11	Registration Under Duty Of Excise On Medicinal And Toiletry Act		
12	Others (Please specify)		

10. Details of Principal Place of Business

Building No. /Flat No.		Floor No.	
Name of the Premises/Building		Road/Street	

Locality/Village		District	
State		PIN Code	
Latitude		Longitude	
Contact Information			
Office Email Address		Office-Telephone Number	
Mobile Number		Office Fax No	
10A. Nature of Possession of Premises	(Own; Leased; Rented; Consent; Shared)		
10B. Nature of Business Activities being carried out			
Factory/Manufacturing ◯	Wholesale Business ◯	Retail Business ◯	Warehouse/Depot ◯
Bonded Warehouse ◯	Service Provision ◯	Office/Sale Office ◯	Leasing Business ◯
Service Recipient ◯	EOU/ STP/ EHTP ◯	SEZ ◯	Input Service Distributor (ISD) ◯
Works Contract ◯	Others (Specify) ◯		
11. Details of Additional Places of Business			
Building No./Flat No.		Floor No.	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
Locality/Village		District	
State		PIN Code	
Latitude (Optional)		Longitude(Optional)	
Contact Information			
Office Email Address		Office Telephone Number	
Mobile Number		Office Fax No	
11A.Nature of Possession of Premises	(Own; Leased; Rented; Consent; Shared)		
11B.Nature of Business Activities being carried out			
Factory/Manufacturing ◯	Wholesale Business ◯	Retail Business ◯	Warehouse/Depot ◯
Bonded Warehouse ◯	Service Provision ◯	Office/Sale Office ◯	Leasing Business ◯
Service Recipient ◯	EOU/ STP/ EHTP ◯	SEZ ◯	Input Service Distributor (ISD) ◯
Works Contract ◯	Others (Specify) ◯		
Add More --------			

12. Details of Goods/ Services supplied by the Business

Sr. No.	Description of Goods	HSN Code

Sr. No.	Description of Services	HSN Code

13. Total Bank Accounts maintained by you for conducting Business

Sr. No.	Account Number	Type of Account	IFSC	Bank Name	Branch Address

14. Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.					
Name		<First Name>	<Middle Name>	<Last Name>	<Photo>
Name of Father/Husband		<First Name>	<Middle Name>	<Last Name>	
Date of Birth	DD/ MM/ YYYY	Gender	<Male, Female, Other>		
Mobile Number			Email Address		
Telephone Number					
Identity Information					
Designation		Director Identification Number			
Permanent Account Number		Aadhaar Number			
Are you a citizen of India?		<Yes/No>	Passport Number		
Residential Address					
Building No/Flat No			Floor No		
Name of the Premises/Building			Road/Street		
Locality/Village			District		
State			PIN Code		

15. Details of Primary Authorised Signatory					
Name	<First Name>	<Middle Name>		<Last Name>	<Photo>
Name of Father/Husband	<First Name>	<Middle Name>		<Last Name>	
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>		
Mobile Number		Email Address			
Telephone Number					
Identity Information					
Designation		Director Identification Number			
Permanent Account Number		Aadhaar Number			
Are you a citizen of India?	<Yes/No>	Passport Number			
Residential Address					
Building No/Flat No		Floor No			
Name of the Premises/Building		Road/Street			
Locality/Village		District			
State		PIN Code			
Add More ---					

List of Documents Uploaded

A customized list of documents required to be uploaded as per the field values in the form should be auto-populated with provision to upload relevant document against each entry in the list. (Refer instruction)

16. Aadhaar Verification

I on behalf of the holders of Aadhaar numbers provided in the form, give consent to "Goods and Services Tax Network" to obtain details from UIDAI for the purpose of authentication. "Goods and Services Tax Network" has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhaar holder and will be

shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.			
17. Declaration I, hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Digital Signature/E-Sign			
Name of the Authorised Signatory		Place	
Designation of Authorised Signatory		Date	

Instructions for filing of Application for enrolment

3. Every person, other than a person deducting tax at source or an Input Service Distributor, registered under an existing law and having a Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Act 43 of 1961) shall enroll on the common portal by validating his e-mail address and mobile number.
4. Upon enrolment under clause (a), the said person shall be granted registration on a provisional basis and a certificate of registration in **FORM GST REG-25**, incorporating the Goods and Services Tax Identification Number therein, shall be made available to him on the common portal:
5. Authorisation Form:-

For each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:

Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory)

I ---

(Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc)

1. << Name of the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc>>

2.

3.

hereby solemnly affirm and declare that <<name of the authorised signatory>> to act as an authorised signatory for the business << Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business>> for which application for registration is being filed/ is registered under the Central Goods and Service Tax Act, 2017.

All his actions in relation to this business will be binding on me/ us.

Signatures of the persons who are Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.

S. No.	Full Name	Designation/Status	Signature
1.			
2.			

Acceptance as an authorised signatory

I <<(Name of the authorised signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business. Signature of Authorised Signatory Designation/Status Date Place

Instructions for filing online form

- Enter your Provisional ID and password as provided by the State/Commercial Tax/Central Excise/Service Tax Department for log in on the GST Portal.
- Correct Email address and Mobile number of the Primary Authorised Signatory are to be provided. The Email address and Mobile Number would be filled as contact information of the Primary Authorised Signatory.
- E mail and Mobile number to be verified by separate One Time Passwords. Taxpayer shall change his user id and password after first login.
- Taxpayer shall require to fill the information required in the application form related details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees, Principal Place of Business and details in respect of Authorised signatories.
- Information related to additional place of business, Bank account, commodity in respect of goods and services dealt in (top five) are also required to be filled.
- Applicant need to upload scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case he/she declares a person as Authorised Signatory as per Annexure specified. Documents required to be uploaded as evidence are as follows:-

1.	Photographs wherever specified in the Application Form (maximum 10) Proprietary Concern – Proprietor Partnership Firm/Limited Liability Partnership – Managing/ Authorised Partners (personal details of all partners is to be submitted but photos of only ten partners including that of Managing Partner is to be submitted) Hindu Undivided Family – Karta Company – Managing Director or the Authorised Person Trust – Managing Trustee Association of Person or Body of Individual –Members of Managing Committee (personal details of all members is to be submitted but photos of only ten members including that of Chairman is to be submitted) Local Body – Chief Executive Officer or his equivalent Statutory Body – Chief Executive Officer or his equivalent Others – Person in Charge
2.	Constitution of business: Partnership Deed in case of Partnership Firm, Registration Certificate/Proof of Constitution in case of Society, Trust, Club, Government Department, Association of Person or Body of Individual, Local Authority, Statutory Body and Others etc.
3.	Proof of Principal/Additional Place of Business: (a) For Own premises – Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (b) For Rented or Leased premises – A copy of the valid Rent/Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (c) For premises not covered in (a) and (b) above – A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.
4	Bank Account Related Proof: Scanned copy of the first page of Bank passbook/one page of Bank Statement Opening page of the Bank Passbook held in the name of the Proprietor/Business Concern – containing the Account No., Name of the Account Holder, MICR and IFSC and Branch details.

5	For each Authorised Signatory: Letter of Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to that effect as specified.

- After submitting information electronic signature shall be required. Following person can electronically sign application for enrolment:-

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing/Authorised Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing/Whole-time Directors and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer
Public Limited Company	Managing/Whole-time Directors and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing/Whole-time Director and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer
Unlimited Company	Managing/ Whole-time Director and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer
Limilted Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorised Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India
Others	Person In charge

- Application is required to be mandatorily digitally signed as per following :-

Sl. No	Type of Applicant	Digital Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate(DSC) Class 2 and above
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above e-Signature

Note :- 1. Applicant shall require to register their DSC on common portal.

2. e-Signature facility will be available on the common portal for Aadhar holders.

All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number, Limited Liability Partnership Identification Number shall be online validated by the system and Acknowledgment Reference Number will be generated after successful validation of all the filled up information.

Status of the online filed Application can be tracked on the common portal.

1. Authorised signatory should not be minor.
2. No fee is applicable for filing application for enrolment.

Acknowledgement

Enrolment Application - Form GST- has been filed against Application Reference Number (ARN) <………>.

Form Number : <…….-……>

Form Description : <Application for Enrolment of Existing Taxpayers>

Date of Filing : <DD/MM/YYYY>

Taxpayer Trade Name : <Trade Name>

Taxpayer Legal Name : <Legal Name as shared by State/Center>

Provisional ID Number : <Provisional ID Number>

It is a system generated acknowledgement and does not require any signature

Form GST REG-27

[See rule – 24(3)]

Reference No. <<Date-DD/MM/YYYY>>

To

Provisional ID

Name

Address

Application Reference Number (ARN) < > Dated <DD/MM/YYYY>

Show Cause Notice for cancellation of provisional registration

This has reference to your application dated ------. The application has been examined and the same has not been found to be satisfactory for the following reasons:-

1

2

…

You are hereby directed to show cause as to why the provisional registration granted to you shall not be cancelled.

Signature

Name of the Proper Officer

Designation

Jurisdiction

Date

Place

Form GST REG-28

[*See rule 24(3)****]***

Reference No. - << Date–DD/MM/YYYY>>

To

Name

Address

GSTIN/Provisional ID

Application Reference No. (ARN) Dated – DD/MM/YYYY

Order for cancellation of provisional registration

This has reference to your reply dated ---- in response to the notice to show cause dated -----.

☐ - Whereas no reply to notice to show cause has been submitted; or

☐ - Whereas on the day fixed for hearing you did not appear; or

☐ - Whereas the undersigned has examined your reply and submissions made at the time of hearing, and is of the opinion that your provisional registration is liable to be cancelled for following reason(s).

1.

2.

Determination of amount payable pursuant to cancellation of provisional registration:

Accordingly, the amount payable by you and the computation and basis thereof is as follows:

You are required to pay the following amounts on or before ------ (date) failing which the amount will be recovered in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

Head	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
Tax					
Interest					
Penalty					
Others					
Total					

Place:

Date:

Signature

< Name of the Officer>

Designation

Jurisdiction

Form GST REG-29

[See rule 24(4)]

Application for cancellation of provisional registration

Part A

(i) Provisional ID	
(ii) Email ID	
(iii) Mobile Number	
Part B	
2. Legal Name (As per Permanent Account Number)	
2. Address for correspondence	

Building No./Flat No.		Floor No.	
Name of Premises/ Building		Road/ Street	

City/Town/ Village/Locality		District	
Block/Taluka			
State		PIN	

3. Reason for Cancellation	
4. Have you issued any tax invoice during GST regime? YES ☐ NO ☐	

5. Declaration

(i) I <Name of the Proprietor/Karta/Authorised Signatory>, being <Designation> of <Legal Name ()> do hereby declare that I am not liable to registration under the provisions of the Act.

6. Verification

I < > hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Aadhaar Number		Permanent Account Number	
		Signature of Authorised Signatory	

Full Name	
Designation/Status	
Place	
Date	DD/MM/YYYY

Form GST REG-30

[See rule 25]

Form for Field Visit Report

Center Jurisdiction (Ward/Circle/Zone)

Name of the Officer:- << to be prefilled>>

Date of Submission of Report:-

Name of the taxable person

GSTIN/UIN –

Task Assigned by:- < Name of the Authority- to be prefilled>

Date and Time of Assignment of task:- < System date and time>

Sr. No.	Particulars	Input
1.	Date of Visit	
2.	Time of Visit	
3.	Location details :	
	Latitude	Longitude
	North – Bounded By	South – Bounded By
	West – Bounded By	East – Bounded By
4.	Whether address is same as mentioned in application.	Y/N

5.	Particulars of the person available at the time of visit	
(i)	Name	
(ii)	Father's Name	
(iii)	Residential Address	
(iv)	Mobile Number	
(v)	Designation/Status	
(vi)	Relationship with taxable person, if applicable.	
6.	Functioning status of the business	Functioning - Y/N
7.	Details of the premises	
	Open Space Area (in sq m.) - (approx.)	
	Covered Space Area (in sq m.) - (approx.)	
	Floor on which business premises located	
8.	Documents verified	Yes/No
9.	Upload photograph of the place with the person who is present at the place where site verification is conducted.	
10.	Comments (not more than < 1000 characters> Place: Date:	Signature Name of the Officer: Designation: Jurisdiction:

[F. No. 349/58/2017-GST]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.